खण्ड-461, अंक-4
सोमवार, 20 अग्रहायण, शक संवत् 1928
(11 दिसम्बर, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 461 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	क-च
बुन्देलखण्ड और प्रदेश के अन्य भागों में कर्ज एवं भुखमरी से मरने वालों के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री तथा मुख्य मंत्री के कथन में परस्पर विरोधाभास विषयक आपत्ति ... (जारी)	...	...	...	1
प्रश्नोत्तर	...	...	...	1-50
सदन में कोरम का अभाव	...	...	...	50-51
बुन्देलखण्ड और प्रदेश के अन्य भागों में कर्ज एवं भुखमरी से मरने वालों के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री तथा मुख्य मंत्री के कथन में परस्पर विरोधाभास विषयक आपत्ति	...	...	...	51-53
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	...	54-55
ग्राम क्रियावली, जनपद बुलन्दशहर निवासी सोनू की हत्या के फलस्वरूप मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	55
फैजाबाद मौदहा, सिविल लाइन, फैजाबाद में उ0 प्र0 वित्त निगम द्वारा नीलाम की यह भूखण्ड सं0 4563 पुराना, नया भूखण्ड सं0 4285, क्रेता को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...			55-56
मेरठ नगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 7 कि0मी0 सड़क निर्माण हेतु शेष धनराशि जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			56
गाजीपुर जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत बरेसर से ढोतारी-केरारी होते हुये सिऊरी अमहट तक क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	56
वाराणसी रेंज में पुलिस सब इंस्पेक्टरों की तैनाती नियम विरुद्ध कराये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			56-57
जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में स्वीकृत कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...		57
रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत बेला भेला बाजार से धूरी होते हुये ग्राम पंचायत मेलथुआ तक के मार्ग का डामरीकरण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...		57

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमानीगंज से जगदीशपुर होते हुए हापेरापुर की पुलिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग को डामरीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत प्रधान मंत्री सड़क योजना में किये जा रहे निर्माण कार्यों में व्यापक उदासीनता एवं विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई खड्डा, जनपद कुशीनगर में बर्खास्त कर्मचारी श्री भागवत सिंह की सेवायें बहाल करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत निघासन से पलिया मार्ग व निघासन से बेलराया मार्ग को तत्काल ठीक कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत कोल्ड स्टोर तिराहे पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद पीलीभीत में कार्यरत वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा द्वारा स्कूल भवनों की मरम्मत की धनराशि शासन के संज्ञान में लाये बिना वापस किये जाने की जांच कराकर दण्डित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59-60
प्रदेश के राजकीय होम्योपैथी कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे तथा इलाहाबाद एवं लखनऊ के मेडिकल कालेजों में पी0जी0 कोर्स प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	60-61
इलाहाबाद के आगामी अर्द्धकुम्भ मेला-2007 को दृष्टिगत रखते हुए गंगाजल को प्रदूषण मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना...	61-62
प्रदेश में जिला निगरानी समिति/अनुश्रवण समिति का गठन न होने से प्रदेश में बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड हेतु चयनित 32 जनपदों के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी न हो पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	62-64
प्रदेश में चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये आय प्रमाण-पत्र जारी करने में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	65

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री सुन्दर सिंह की हत्या विषयक फोन आने पर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराने की मांग	65-66
जनपद फैजाबाद के कमिश्नर के लम्बी अवधि के अवकाश पर होने के कारण पूर्वांचल विकास निधि के धन (जिलांश) की स्वीकृतियां प्राप्त न होने के सम्बन्ध में सूचना	66
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 1995-96 से 2001-2002 तक के महालेखाकार द्वारा सम्पादित संकलित आर्थिक चिट्ठा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	66
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 ... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	67
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 ... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	67
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 ... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	67
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	67-68
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	68-91
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (संशोधन अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	92-95
प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा	95-102
प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन	102
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	102-103

विषय	पृष्ठ-संख्या
अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री याकूब हाजी के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर निर्णय दिये जाने की मांग ..	103-04
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	104-105
घाघरा नदी के कटान से जनपद मऊ स्थित ग्राम धर्मपुर अभिराज के टोले तथा दुबारी आदि ग्रामों के निवासियों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	105-106
श्री राम प्रसाद पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण निवासी संत रविदास नगर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजनैतिक पेंशन मंत्री का वक्तव्य	107-108
जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक सदर में वर्ष 2005-06 के लिए आवंटित हैण्डपम्पों का कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री हरि प्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	108
मेरठ मण्डल की शुगर मिलों द्वारा गन्ने की कम पेराई किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	108-109
जनपद वाराणसी कैन्ट अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	109-110
मेरठ शहर को मेट्रो सिटी का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी मेरठ नगर निगम में स्वीकृत एवं रिक्त अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	110-111
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज स्थित रजबहों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	112-113
प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने गृह जनपद की गलत सूचना देकर गृह जनपद में तैनात रहने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत सिंह जनसेवक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेदिक राज्य मंत्री का वक्तव्य	113-114

विषय पृष्ट-संख्या

पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहरों में पानी न आने, राजकीय नलकूप खराब होने तथा रसायनिक खाद उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 114-118

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में जनता की मांग पर रुपये 10 करोड़ की सड़कों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य 118-119

जनपद मऊ में वर्ष 2005 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्या धन न दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 यशवन्त सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... 119

जनपद रायबरेली के डलमऊ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क कार्य हेतु धन अवमुक्त होने के बाद भी कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन 120

जौनपुर के विकास खण्ड धरमापुर एवं सरकोनी के किसानों हेतु धान खरीद केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य ... 120-121

जनपद फैजाबाद में विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के अतिरिक्त पहुंच मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य 121

प्रदेश के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रधानों की भांति प्रतिमाह मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य 121

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य 122

विषय				पृष्ट-संख्या
लखनऊ-बलिया राजमार्ग पर रसड़ा से ग्राम सभा पहसा के बीच क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घूराराम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	...			123
इलाहाबाद शहर की विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु 132 के0वी0 के पावर सब स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य।				123-124
प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 07 कि0मी0 सड़क योजना को पूर्ण किये जाने हेतु पूरी धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	124
मेरठ विकास प्राधिकरण में रिक्त अभियंताओं के पदों को भरने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	125-126
नत्थी	...	...	...	127-129

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 20 मिनट पर अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

(कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही 1 घण्टे 20 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुयी।)

उपस्थित सदस्य 259

अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलमबदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर

ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जयराम बिमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भास्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा पुसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
पी0 के0 गय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देवती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली

प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रेमपाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला), श्रीमती	देवरिया
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशी लाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणबीर राणा, श्री	मेरठ
रतनलाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर

भारत निर्वाचन सभा

गविया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वशीर अहमद, श्री	आजमगढ़
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना'', श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव ''ललई'', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सर्वेश कुमार उर्फ		सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सियाराम सागर, डा0	बरेली	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुरेश कुमार मन्नी, श्री	गाजियाबाद		
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली		

नोट–बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदन में कोरम पूरा न होने पर 11 बजकर 8 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन को 11 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दिया है। 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 12 बजे मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

बुन्देलखण्ड और प्रदेश के अन्य भागों में कर्ज एवं भुखमरी से मरने वालों के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री तथा मुख्य मंत्री के कथन में परस्पर विरोधाभास विषयक आपत्ति

श्री अध्यक्ष-

अब हम नत्थी (क) का तारांकित प्रश्न संख्या-1 लेते हैं।

(श्री मोहम्मद आजम खाँ के उत्तर पढ़े जाने के लिए खड़े होने पर)

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने इस सदन में बुन्देलखण्ड और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में कर्ज और भुखमरी से आत्महत्या करने वालों की संख्या के आंकड़ें देकर यहां पर एक विषय उठाया था। उस समय जो हमारे राजस्व मंत्री हैं वे उत्तर दे रहे थे। उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि पूरे प्रकरण की जांच करायी गयी और तथ्य दूसरे पाये गये। किसानों की मौत कुपोषण, भूख और ऋणग्रस्तता के कारण नहीं हुई है। उनका कहना था कि यहां पर भुखमरी से मौत नहीं हुई है। जबकि कल माननीय मुख्य मंत्री जी का यह बयान अखबारों में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

एक प्रश्न ले लें। फिर आपका हो जाय। मैं आपकी बात पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं और इसे दिखवा देता हूं। आप यह विवरण हमें भेज दीजिये।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में सिमि एवं आतंकवाद की गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी

*1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में सिमी की गतिविधियों में तेजी आयी है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में आतंकवाद बढ़ा है ? यदि हां, तो उक्त प्रतिबन्धित संगठन की गतिविधियों पर रोक लगाने तथा उक्त संगठन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कोई कार्य-योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न सं0-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में गत वर्ष हुए अग्निकाण्ड की जांच हेतु जांच आयोग का गठन एवं रिपोर्ट

*2-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरट में अप्रैल, 2006 में हुए अग्निकाण्ड में कितने जन एवं धन की हानि हुई ? क्या उक्त अग्निकाण्ड की जांच हेतु कोई जांच आयोग का गठन किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि मृतक एवं घायल व्यक्तियों के आश्रितों को त्वरित रूप में कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

64 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा मा0 एक सदस्यीय जांच आयोग द्वारा धन की हानि के सम्बन्ध में आंकलन किया जा रहा है।

जी, हां।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मृतक एवं घायल व्यक्तियों के आश्रितों को त्वरित रूप से समेकित धनराशि रु0 4,47,55,142.00 (रुपये चार करोड़ सैंतालिस लाख, पचपन हजार एक सौ बयालिस) की आर्थिक सहायता दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विदेश यात्रा पर जाने वाले आई0ए0एस0 अधिकारियों की संख्या तथा विदेश यात्रा पर अंकुश लगाने की मांग

*3-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कितने आई0ए0एस0 अधिकारियों ने मार्च, 2005 से 30 सितम्बर, 2006 तक सरकारी खर्च पर विदेशों की यात्रा की हैं ? उनके विदेश जाने के क्या उद्देश्य थे ? उक्त विदेश यात्राओं पर कितना धन सरकार का व्यय हुआ ?

क्या सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विदेश यात्राओं पर अंकुश लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

01 मार्च, 2005 से 30 सितम्बर, 2006 तक प्रदेश सरकार के 05 आई0ए0एस0 अधिकारियों द्वारा विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के व्यय पर विदेश यात्राएं की गयी।

चार आई0ए0एस0 अधिकारियों के यात्रा का उद्देश्य पर्यटन विकास को बढ़ावा देने तथा विदेशी पर्यटकों को प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देने का था। एक आई0ए0एस0 अधिकारी द्वारा प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रीड़ा संकुल की स्थापना एवं सुविधाओं के सृजन के उद्देश्य से राज्य सरकार के व्यय पर विदेश यात्राएं की गयीं।

उपरोक्त आई0ए0एस0 अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर राज्य सरकार का कुल रु0 14,39,318.00 व्यय हुआ।

केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, राज्य सरकार के व्यय पर अधिकारियों के विदेश भ्रमण पर प्रतिबन्ध लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अग्रिम जमानत के प्राविधानों को लागू करने की कार्यवाही

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य में अग्रिम जमानत के प्राविधानों को लागू करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस वर्ष कोई सुझाव दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उसके अनुसार सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-438 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में पुनर्स्थापित करने के सम्बन्ध में संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, जो शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए साम्प्रदायिक दंगे एवं उसे रोकने की कार्य योजना

*2-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं ? इन दंगों में कितने लोग मारे गये तथा कितना आर्थिक

नुकसान हुआ ? सरकार ने इन दंगों में कितने लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? भविष्य में प्रदेश में इस प्रकार की घटनायें न हों, इसके लिये सरकार द्वारा क्या कोई प्रभावी योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कुल 04 साम्प्रदायिक दंगें हुए हैं।

इनमें कुल 24 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कुल 9,00,38,600/. रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।

कुल 129 अभियोग पंजीकृत किये गये एवं 1384 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी।

प्रदेश के सभी जनपदों हेतु दंगा नियंत्रण योजना तैयार की गयी है। साम्प्रदायिक सद्भाव स्थिर रखने तथा शान्ति व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु सर्वसम्बन्धित को समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जाली नोटों का प्रचलन रोकने की योजना

*3-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जाली नोटों के प्रचलन के कितने मामले 1 जनवरी, 2003 से 15 जुलाई, 2006 तक प्रकाश में आये हैं ? क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों, उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार 01 जनवरी, 2003 से 15 जुलाई, 2006 तक कुल 761 मामले प्रकाश में आये हैं।

प्रदेश में जाली मुद्रा के प्रचलन की रोकथाम, इसके स्रोतों का पता लगाने, अर्न्तग्रस्त व्यक्तियों से विशिष्ट सूचना एकत्र करने एवं पंजीकृत अभियोगों की गहन विवेचना हेतु विशेष प्रकोष्ठ (जाली नोट/सिक्के) का गठन अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध संगठन (ई0 ओ0 डब्लू0) के निर्देशन में कार्य करने और समय-समय पर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1416 पी/ऽःपु-3-2000-17पी/2000, दिनांक 28-3-2000 द्वारा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण का विवरण

*4-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वित्तीय वर्ष (2005-06) में प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि किन-किन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया गया है ? उक्त ऋण लेने का उद्देश्य क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऋण भार क्या है ? क्या ऋण

भार को कम करने के लिये सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2005-06 के आंकड़ों के अनुसार उक्त अवधि में राज्य सरकार को निम्न विवरण के अनुसार ऋण प्राप्त हुआ है :-

	(करोड़ रुपये में)
1-बाजार कर्ज	3095.88
2-नाबार्ड से कर्ज	448.13
3-स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य बैंकों से कर्ज	1480.00
4-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	0.45
5-अन्य संस्थाओं से कर्ज	38.72
6-केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से कर्ज	7779.17
7-केन्द्र सरकार से कर्ज	326.26
कुल योग	13168.61

राज्य सरकार को प्राप्त ऋण से मुख्यतः लोक निर्माण, ऊर्जा, सिंचाई, कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। नाबार्ड से प्राप्त ऋण से ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाता है। स्टेट बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त ऋण से खाद्यान्नों की खरीद की जाती है। भारत सरकार से प्राप्त कर्ज से केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र पुरोनिधानित विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जाती है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 16.62 करोड़ को आधार मानते हुये वित्तीय वर्ष 2005-06 की समाप्ति पर पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल कर्ज रु0 1,26,526.32 करोड़ पर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत ऋणभार 7613 रुपये है।

ऋणग्रस्तता कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संसाधन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अतिरिक्त संसाधन के उपायों को सुझाने हेतु मंत्रिपरिषद् की एक उपसमिति गठित है। समिति की संस्तुति पर, राज्य सरकार द्वारा कतिपय करों की दरों में वृद्धि/पुनरीक्षण, नया कर आरोपण एवं करापवंचन को रोकने के साथ-साथ सघन अनुश्रवण भी किया जा रहा है। संसाधनों में हो रही वृद्धि से ऋण पर निर्भरता कम होने के साथ ऋणग्रस्तता कम होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्राम्य विकास अभिरकण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाये जाने की मांग

*5-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोई सेवा नियमावली बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त संवर्ग की सेवा नियमावली कब तक बना ली जायेगी ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)-

जी नहीं।

प्रत्येक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 1860 की धारा-18 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। अभिकरणों में तैनात कर्मचारी राजकीय कर्मचारी नहीं हैं। अभिकरणों में केन्द्रीय सेवा का गठन इसलिए सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी सेवा के गठन के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में कोई प्राविधान नहीं है। अतः सेवा नियमावली बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता

नगर व जनपद बिजनौर में पेयजल आपूर्ति

*6-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर व जनपद-बिजनौर में पेयजल आपूर्ति हेतु कितने इण्टरकनैक्ट नलकूप, कितने ओवरहेड टैंक, इण्डिया मार्का-2 नल पम्प चलित नलकूप उपलब्ध हैं ? जल स्तर नीचे गिरने के कारण तेज गर्मियों के मौसम में पानी संकट गहराने की स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

नगरीय क्षेत्र

नगर बिजनौर में वर्तमान में 15 नलकूप और 1350 कि0 मी0 क्षमता के 2 अवर जलाशय एवं 333 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं।

जनपद बिजनौर के अन्य नगरों-12 नगर पालिका परिषद व 06 नगर पंचायतों में 67 नलकूप एवं 27 अवर जलाशय निर्मित हैं तथा 2098 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं।

ग्रामीण क्षेत्र

ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 37 नलकूप और 48 अवर जलाशय बनाये गये हैं तथा 17780 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 31 पाईप पेयजल योजनाओं में से 28 योजनायें क्रियाशील हैं। 03 पाईप पेयजल योजनाओं में नलकूप का रिबोर कार्य पूर्ण करा दिया गया है जिसमें से 2 योजनायें चालू कर दी गयीं हैं तथा एक योजना को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद बिजनौर के मात्र विकास खण्ड जलीलपुर को भूगर्भ जल बोर्ड द्वारा अतिदोहन की श्रेणी में रखा गया है जिसके लिए लघु सिंचाई विभाग, भूमि संरक्षण विभाग व जल निगम द्वारा संयुक्त रूप से रु0 428.76 लाख की कार्य योजना भूजल रिचार्ज हेतु बनायी गई हैं

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में सीवर लाइन डालने की कार्य योजना

*7-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर की बदहाल सीवर की समस्या को देखते हुए क्या सम्पूर्ण नगर में सीवर लाइन डालने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत लखनऊ शहर के सम्पूर्ण क्षेत्र को सीवर लाइन से आच्छादित करने एवं इसके शोधन तथा निस्तारण की योजना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रकरण

*8-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर मण्डलों को उक्त बेंच स्थापित होने तक लखनऊ बेंच से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

भारत का संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या-78 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का निर्णय भारत सरकार के अधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास विकास परिषद् आगरा द्वारा श्री नन्द लाल व भगवान सिंह की भूमि खसरा नं0 645 की अधिग्रहीत भूमि को अर्जन मुक्त कराने की मांग

*9-श्री मस्तराम-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री नंदलाल व भगवान सिंह पुत्रगण भोपाराम निवासी घटवासन, जनपद आगरा की भूमि खसरा नं0-645 का अधिग्रहण आवास विकास परिषद्, आगरा द्वारा किया गया है, जिसमें कई परिवार, एक समाधि तथा देवी जी का मन्दिर स्थित है ? यदि हां, तो क्या उ0 प्र0 भूमि अर्जन मैनुअल ने प्रस्तर 3(1) में दिये गये प्राविधानों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त प्राविधान का पालन सुनिश्चित करते हुए खसरा संख्या-645 को अर्जन मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री नन्द लाल व भगवान सिंह पुत्रगण भोपाराम निवासी घटवासन, जनपद आगरा की भूमि खसरा नं0-645 का अधिग्रहण नगर महापालिका आगरा द्वारा किया गया। आवास एवं विकास परिषद् व नगर महापालिका आगरा के मध्य दिनांक 30-5-68 को हुए एग्रीमेन्ट के उपरान्त खसरा संख्या-645, रकबा 0-17-0 बीघा का कब्जा दिनांक 18-6-71 को हस्तान्तरित हुआ। कब्जा पत्र के अनुसार उक्त खसरे की भूमि पर नीम गूलर, लसोडा, जामुन, पीपल, इमली आदि के पेड़ दर्शाये गये हैं किन्तु समाधि तथा देवी जी के मन्दिर का उल्लेख नहीं है।

कब्जा पत्र के अनुसार समाधि व मन्दिर मौजूद न होने के कारण भूमि अर्जन मैनुअल के प्रस्तर-3(1) के प्राविधानों के अनुपालन का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सूचना आयोग को किसी भी दर्ज मामले पर जांच करने का अधिकार

*10-श्री परमजीत मलिक-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राइट टू इन्फारमेशन एक्ट, 2005 के धारा-18 के तहत राज्य सूचना आयोग किसी भी दर्ज मामले पर उचित तथ्य पाये जाने पर जांच करा सकती है एवं उक्त जांच कार्यवाही को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत न्यायालय की शक्ति प्राप्त है ? यदि हां, तो स्वच्छ प्रशासन एवं पारदर्शिता को बनाये रखने हेतु आयोग की जांच कार्यवाहियों पर शासन द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रशासनिक सुधार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश सिंह)-

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा जांच किये जाने के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-18 में दिये गये प्राविधानों की सीमा तक ही शक्यिां प्राप्त है।

आयोग की कोई जांच कार्यवाही शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

*11-श्री बाबूलाल कुशवाहा-

[चौथे बुधवार के नियम-38 (2) के तारां0 प्र0 सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वर्तमान में राज्य सरकार पर कर्ज एवं उसके भुगतान की योजना की जानकारी

*12-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार पर वर्तमान में कितना रुपया कर्ज के रूप में बकाया है ? क्या कर्ज के कारण प्रदेश के विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कर्जे के भुगतान हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

आय-व्ययक साहित्य में प्रदर्शित पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 2006 को राज्य सरकार पर 1,26,526.32 करोड़ रुपये का कर्ज अनुमानित है।

जी नहीं, प्रदेश के विकास कार्यों पर व्यय में वृद्धि के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों के मूलधन एवं ब्याज का भुगतान समय से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

*13-श्री विजय बहादुर पाल-

[3सरे मंगलवार के तारां0 प्र0 सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में गिरते हुए भू-जल स्तर की समस्या के निराकरण के उपाय

*14-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि भू-गर्भ जल स्तर गिरने के कारण प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में कुएं भारी संख्या में सूख गये हैं ? यदि हां, तो पेयजल की गम्भीर समस्या से निपटने हेतु क्या सरकार कुंओं की सफाई कराने की कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

प्रदेश में भूगर्भ जल स्तर गिरने से कुओं के सूखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है।

कुओं की सफाई कराने की कोई विशेष कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुएँ का जल सुरक्षित नहीं है, इसलिए प्रदेश में इण्डिया मार्का-II गहरे हैण्डपम्पों एवं पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

*15-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[3सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0 सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

केन्द्रीय सचिवालय की भांति उ0प्र0 सचिवालय के कार्मियों को वेतनमान देने पर विचार

*16-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय लखनऊ में तैनात अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय में तैनात अनुभाग अधिकारियों की भांति वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके अनुरूप उ0 प्र0 सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारियों, समीक्षा अधिकारियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी वेतनमान देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों के समान वेतनमान दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षाधिकारी पद के वेतनमान को केन्द्रीय सचिवालय मे सहायक पद के पुनरीक्षित वेतनमान के बराबर करने का प्रकरण विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों की समकक्षता भी केन्द्रीय सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों से स्थापित है। अतः उन्हें भी केन्द्रीय सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के समान वेतनमान दिया जा रहा है। उ0 प्र0 सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी के समकक्षीय पद केन्द्रीय सचिवालय में नहीं है, अतः इस पद पर केन्द्रीय सचिवालय से समकक्षता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य कराने का प्रश्न नहीं उठता।

विचाराधीन मामले में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

अध्यक्ष एवं महापौर लखनऊ नगर निगम को नगर की अनेकों समस्या के समाधान विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

1-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर के सम्बन्ध में श्रीमती सुनीता सिंघल एवं श्री विनोद कृष्ण सिंघल, पूर्व सभासद का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 24-11-2005, 21-1-2006, 22-1-2006, 13-7-2006, 14-7-2006, 15-7-2006 एवं 16-7-2006 जोकि अध्यक्ष एवं महापौर, लखनऊ नगर निगम, नगर आयुक्त, लखनऊ, नगर निगम एवं अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान जोन-1, लखनऊ को सम्बोधित है, और जो सीवर लाइन की मरम्मत एवं सफाई, नये हैण्डपम्प लगाने एवं खराब हैण्डपम्पों को ठीक करने, मार्ग प्रकाश व्यवस्था ठीक करने, सड़कों को पेवर के माध्यम से कराने, नालों की सफाई कराने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

बाग मुन्नू में डूडा द्वारा सीवर लाइन डाल दी गयी है। जिससे कि सीवर समस्या का समाधान हो गया है। हाता लक्ष्मणदास, शिवाजी मार्ग, बेरूनी खन्दक, नया गांव, माडल हाउस सुल्तान रजा 115/19 बाग मुन्नू के आवास के पास मेनहोलों की मरम्मत पूर्व में ही कराई जा चुकी है। शुतरखाना, मकबूलगंज, शिवाजी मार्ग हाता लक्ष्मण दास आदि की सीवर लाईन फूलबाग नाले में मिली है। नाला पूर्ण रूपेण सिल्टिेड होने के कारण क्षेत्र में सीवर समस्या विद्यमान रहती है।

नये हैण्डपम्प लगाने एवं खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर पूर्ण करा दिया जायेगा। मार्ग प्रकाश व्यवस्था ठीक कराने तथा सड़कों को पेवर से कराने की कार्यवाही करा दी गयी है। नाला सफाई का कार्य जून/जुलाई, 2006 में कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के आदर्श पुरम कालोनी में पेयजल समस्या निवारण हेतु हैण्डपम्प लगवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

2-श्री कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिवपाल आदि निवासी न्यू आदर्शपुरम् कालोनी, विकास पब्लिक स्कूल के पीछे वाली गली बरौरा हुसैन बाड़ी, लखनऊ ने प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ नगर आयुक्त, लखनऊ को पेयजल समस्या के निवारण हेतु प्रस्तावित स्थानों पर 3 हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में अनुरोध पत्र दिनांक 21-9-05 को दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रस्तावित स्थानों पर हैण्डपम्प लगवा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

मा0 विधायक जी से कोटे के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु सहमति प्राप्त न होने के कारण हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं किये जा सके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की न्यू आदर्शपुरम् कालोनी की कतिपय मलिन बस्तियों के विकास हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

3-श्री कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यू आदर्शपुरम् कालोनी, मलिन बस्ती, बरौरा, हुसैन बाड़ी कन्हैया माधौपुर वार्ड, जनपद लखनऊ में नाली खड़न्जा एवं बिजली के खम्भों का कार्य कराने हेतु निदेशक, सूडा, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-3-2005 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

दिनांक 25-9-2006 की शासी निकाय की बैठक में रु0 7.00 लाख के कार्यों का अनुमोदन दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के कालपी नगर क्षेत्र में हैण्डपम्प स्थापित करने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

4-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कालपी जनपद-जालौन के नगर क्षेत्र में विद्युत की परेशानी से पाइप्ड पेयजल आपूर्ति बाधित रहती है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु प्रशासक, नगर पालिका, कालपी का पत्रांक 536, दिनांक 12-4-06 जो अपर जिलाधिकारी, जालौन को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मोहम्मद आजम खां-

वर्तमान में कालपी नगर के अन्तर्गत प्रतिदिन औसतन 12 घन्टे विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है जिससे पाईप्ड पेयजल योजना आपूर्ति पर आंशिक प्रभाव पड़ता है।

जी हां।

प्रशासक, नगर पालिका परिषद्, कालपी के पत्रांक 536 दिनांक 12-4-2006 में वर्णित 09 हैण्डपम्प वर्ष 2005-06 में अधिष्ठापित किये जा चुके हैं व प्राप्त 26 स्थलों की सूची का सर्वेक्षण कराने पर 16 स्थलों के निकट पूर्व में हैण्डपम्प अधिष्ठापित पाये गये हैं। शेष 10 स्थलों

पर हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, कालपी से रिवालिंग फण्ड के अन्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 4-12-06 को अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य

5-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में कुल कितने हैण्ड पम्प रिबोर करने योग्य हैं ? उक्त हैण्डपम्पों का रिबोर कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

सर्वेक्षण के आधार पर जनपद-जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र में 159 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के रिबोर की सूची के सापेक्ष 25 हैण्डपम्पों के रिबोर की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। शेष 134 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के रिबोर की कार्यवाही धनाभाव के कारण नहीं की जा सकी।

शेष 134 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में वर्तमान कुम्भ मेले के आयोजन हेतु आवंटित धनराशि

6-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007 में इलाहाबाद में होने वाले अर्धकुम्भ मेले के आयोजन हेतु कितना धन आवंटित किया गया है ? इलाहाबाद के अर्धकुम्भ मेला के अधिकारियों द्वारा शासन से कितनी धनराशि की मांग की गयी है तथा इसमें से कितनी धनराशि अभी तक अवमुक्त की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्ष 2007 मे इलाहाबाद में होने वाले अर्द्धकुम्भ मेले के आयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में आयोजनागत पक्ष में धनराशि रु0 170 करोड़ तथा अयोजनेत्तर पक्ष में धनराशि रु0 24.48 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रु0 17024.48 लाख (रु0 एक सौ सत्तर करोड़ चौबीस लाख अड़तालीस हजार) मात्र का बजट प्राविधान है।

मेलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा विभिन्न विभागों हेतु शासन से कुल धनराशि रु0 18834.92 लाख (रु0 एक सौ अटठासी करोड़ चौतीस लाख बानबे हजार) मात्र की मांग की गयी है, जिसके सापेक्ष विभिन्न विभागों को शासन से अभी तक कुल धनराशि रु0 16024.74 लाख (रु0 एक सौ साठ करोड़ चौबीस लाख चौहत्तर हजार) मात्र अवमुक्त की गयी है।

7 व 8-श्री भरत सिंह-

[3सरे शुक्र0 के अता0 प्र0 सं0-59, 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चित्रकूट के थाना मनिकपुर के ग्राम हनुवा में मैला न ढोने पर मारपीट सम्बन्धी प्रकरण पर कथित पंजीकृत मुकदमा

9-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-चित्रकूट के निवासी श्री मंत्रीलाल ग्राम-हनुवा, थाना-मानिकपुर को माह फरवरी, 2006 में मैला न ढोने पर उसी गांव के संजय, राम, विलास, राजेश, रामशंकर, रूपचंद ने मारपीट कर झूटा मुकदमा पंजीकृत कराकर जेल भिजवा दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट की आख्या के अनुसार श्री मंत्री लाल, नि0-ग्राम-हनुवा, थाना-मानिकपुर, जनपद-चित्रकूट को माह फरवरी, 06 में मैला ढोने के सम्बन्ध में मारपीट आदि का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, अपितु श्री मंन्त्र लाल पुत्र धन्धलिया, नि0 ग्राम-हनुवा, थाना-मानिकपुर द्वारा घटना के दिन गांव की महिलाओं के सामने अश्लील हरकत करने आदि के सम्बन्ध में थाना-मानिकपुर में दिनांक 31-10-2006 को मु0 अ0 सं0-10/006 धारा-294 आई0 पी0 सी0 में वादी श्री गोविन्द सिंह, उपनिरीक्षक थाना-मानिकपुर द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना पर आरोप पत्र सं0-7 दिनांक 01-02-2006 को न्यायालय भेजा गया है।

प्रकरण में शासन के आदेश पर पुनः पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट द्वारा क्षेत्राधिकारी, मऊ, जनपद-चित्रकूट से जांच करायी गयी। जांच के मध्यम श्री मंत्री लाल के परिवार एवं आस-पास के लोगों से पूंछताछ की गयी तथा अभिकथन भी अंकित किये गये जिससे मैला ढोने को लेकर कोई झगड़ा, मारपीट आदि का होना नहीं पाया गया, फलस्वरूप कोई अभियोग पंजीकृत किये जाने का औचित्य नहीं बनता है।

जनपद मेरठ के थाना इचौली में पुलिस मुठभेड़ में आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्रदान करने की मांग

10-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-6-1996 को थाना-इचौली, जनपद-मेरठ में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में शामिल श्री राज नारायन सिंह यादव व अन्य को पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा आउट आफ टर्न प्रोन्नति की संस्तुति डी0 आई0 जी0, मेरठ से की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुलिस कर्मियों को पुलिस उप निरीक्षक से निरीक्षक में पदोन्नति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 3-2-1994 के प्राविधान के अनुसार आउट आफ टर्न प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों पर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति द्वारा

परीक्षणोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 2-8-05 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार दिनांक 4-6-1996 को जनपद मेरट में हुई पुलिस मुठभेड़ में अदम्य साहस व शौर्यपूर्ण भूमिका के लिये उप निरीक्षक ना0 पु0 श्री राज नरायन सिंह यादव सहित 09 पुलिस कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति दिये जाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन के पत्र दिनांक 9-6-2002 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर प्राधिकृत समिति द्वारा मुठभेड़ में सम्मिलित उपरोक्त किसी भी कर्मी के कृत्य को व्यक्तिगत रूप से जान जोखिम में डालकर अदम्य साहस व शौर्य प्रदर्शन के श्रेणी में न पाते हुये उन्हें आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी थी। जिसे पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा भी अनुमोदित किया गया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत गत वर्ष प्रदेश सरकार को दी गई धनराशि का विवरण

11-श्री राम नरेश यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत फरवरी, 2006 से अब तक केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई और अब तक कितने अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया गया ? इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

श्री राजपाल त्यागी-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत फरवरी, 2006 से अब तक केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकार को रु0 47876.57 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

उक्त योजनान्तर्गत माह अगस्त तक 1961789 अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया गया है।

योजनान्तर्गत माह अगस्त, 2006 तक रु0 13406.16 लाख की धनराशि खर्च हुई है।

12-श्री भरत सिंह-

[3सरे शुक्र0 के अता0 प्र0 सं0-61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराजगंज के बौध परिपथ में चयनित मार्ग की दिशा परिवर्तन करने की मांग

13-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-महराजगंज में बौध परिपथ मे चयनित मार्ग के बीच में चानकी घाट नामक स्थान पर आरक्षित वन क्षेत्र एवं वन विहार स्थित होने से निर्माण कार्य बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चयनित मार्ग की दिशा परिवर्तन कर जनपद के प्रमुख जिला मार्ग सी0एस0टी0एन0 को ही पूर्ण रूप से बौध परिपथ के रूप में स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

जी हां।

जनपद महाराजगंज में बौद्ध परिपथ में चयनित मार्ग में पड़ने वाले चानकी घाट सेतु निर्माण हेतु अनापत्ति का प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही चयनित मार्ग की दिशा परिवर्तन अथवा स्वीकृत संरेखण में कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निवास में विधायकों की सुरक्षा हेतु कार्य योजना की जानकारी

14-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आतंकी हमले से विधायक आवासों में रह रहे विधायकों की सुरक्षा हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मा0 विधायकों के साथ सुरक्षार्थ रिजर्व पुलिस लाइन से शैडो/गनर लगाये जाते हैं तथा इनकी सुरक्षार्थ समस्त प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों एवं बीट उपनिरीक्षकों को उनके आवासों की सुरक्षा के सम्बन्ध में सतर्क रहकर सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। ओ0 सी0 आर0, बहुखण्डी मंत्री निवास जहां पर मा0 मंत्रीगण निवास करते हैं, सुरक्षा हेतु पर्याप्त पी0 ए0 सी0 एवं सशस्त्र पुलिस बल की गार्द लगायी जाती है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद जौनपुर में गत अनेकों वर्षों में त्वरित आर्थिक विकास एवं आदर्श जनपद योजना में अवमुक्त धनराशि का विवरण

15-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि त्वरित आर्थिक विकास एवं आदर्श जनपद योजना में जनपद-जौनपुर में वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 में कितना धन अवमुक्त हुआ है ? उसमें से कितना खर्च हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जौनपुर जनपद के लिये त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में क्रमशः रु0 245.61 लाख एवं रु0 372.94 लाख तथा वर्ष 2006-07 में अब तक रु0 131.40 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में क्रमशः रु0 90.63 लाख एवं रु0 808.53 लाख तथा वर्ष 2006-07 में अब तक रु0 768.40 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है।

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05, वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में क्रमशः रु0 173.29 लाख, रु0 94.51 लाख तथा रु0 35.50 लाख का व्यय अभी तक किया जा चुका है। आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05, वर्ष 2005-06 एवं वर्ष

2006-07 में क्रमशः रु0 69.76 लाख, रु0 392.61 लाख तथा रु0 7.45 लाख का व्यय अभी तक किया जा चुका है।

जनपद वाराणसी में होम रेंज में कार्यरत पुलिस सब इंस्पेक्टरों का स्थानान्तरण

16-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस सब इंसपेक्टरों की तैनाती में उनके होम रेंज में न रखने की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार वाराणसी होम रेंज में कार्यरत पुलिस सब इंसपेक्टरों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

वाराणसी गृह परिक्षेत्र में नियुक्त सभी उप निरीक्षकों को उनके परिक्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जाली नोटों के धन्धे की रोकथाम के उपाय

17-श्री राम नरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में जाली नोटों का धन्धा बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में वर्ष 2003 से 31 जुलाई, 2006 तक जाली नोटों से सम्बन्धित अवधिवार आंकड़े निम्न हैं :-

वर्ष	कुल मामले	व्यक्ति गिरफ्तार
2003	239	286
2004	162	282
2005	251	289
2006 (31-7-2006 तक)	120	190

जी हां। प्रदेश में जाली मुद्रा के प्रचलन की रोकथाम, इसके श्रोतों का पता लगाने, अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों से विशिष्ट अभिसूचना एकत्र करने एवं पंजीकृत अभियोगों की विवेचना हेतु विशेष प्रकोष्ट (जाली नोट/सिक्कों) का गठन किया गया है जो अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन के निर्देशन में कार्य कर रहा है। जाली मुद्रा के प्रचलन पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर पुलिस महानिदेशक एवं अपर महानिदेशक, अपराध एवं कानुन व्यवस्था द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के बाबूगंज पार्क के समीप सड़क व नाली निर्माण की मांग

18-श्री कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के बाबूगंज पार्क के समीप बने सुलभ शौचालय से मायानगर से सटे नाले (मकान नं0-495/85) तक की सड़क क्षतिग्रस्त है तथा नाली न होने के कारण घरों का पानी सड़क पर भर जाता है, जिससे नागरिकों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां। उक्त सड़क व नाली की मरम्मत कार्य हेतु आगणन रुपये 4.80 लाख का तैयार किया गया है। कार्यकारिणी की स्वीकृति के उपरान्त उक्त कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया कोतवाली अन्तर्गत जया मिश्रा, अध्यापिका की हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

19-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 2006 में बलिया कोतवाली अन्तर्गत जया मिश्रा, अध्यापिका की हत्या की गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो गिरफ्तारी कब तक की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

अध्यापिका जया मिश्रा की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16-5-06 को थाना कोतवाली बलिया पर मु0 अ0 सं0 95/06 धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली बलिया द्वारा की जा रही है। हत्या के अनावरण एवं अभियुक्तों का पता लगाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

आगरा महानगर वार्ड नं0 19 में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग

20-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर के अन्तर्गत वार्ड नम्बर 19 हसनपुरा-लोहामण्डी-आगरा में बाल्मीकि बस्ती और कुशवाहों के आवासों के बीचोबीच प्राचीन देवी पथवारी छोटाला मन्दिर के आस-पास नगर निगम की सार्वजनिक जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध आवास बनाकर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मोहम्मद आजम खां-

सन्दर्भित भूमि नगर निगम की नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निर्मित अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण करने का निर्णय

21-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-5097/9-आ-3-2001/आ0ख0 दिनांक 28 मई, 2001 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निर्मित्त अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे कराके 81 अनधिकृत कालोनियां वर्ष 2001 में चिन्हित की गयी थीं ? यदि हां, तो क्या इन कालोनियों का नियमितीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कालोनियों का नियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, अपितु शासनादेश संख्या- 5097/ 9- आ- 3- 2001/(आ0ब0) दिनांक 28 मई, 2001 द्वारा नगरीय क्षेत्रों में निर्मित्त अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में गाइड लाइन्स बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत नियमितीकरण सिद्धान्त, नियमितीकरण की शर्तें तथा भविष्य में अनधिकृत विकास/निर्माण के नियंत्रण हेतु आवश्यक प्राविधान किए गये हैं।

उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने हेतु विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया है।

अनाधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने के सम्बन्ध में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 81 कालोनियों की सूची बनायी गयी है। सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। कालोनियों के सर्वे की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर नियमानुसार नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के वि0 खं0 कदौरा के ग्राम अलीपुर के सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण की मांग

22-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-अलीपुर, वि0 खं0 कदौरा, जनपद-जालौन वर्ष 05-06 हेतु चयनित समग्र विकास ग्राम है ? क्या इस ग्राम का डामरीकृत सम्पर्क मार्ग बना दिया गया है ? यदि नहीं, तो डामरीकृत सम्पर्क मार्ग कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां।

जी नहीं।

इस कार्य की निविदायें दिनांक 14-11-2006 को प्राप्त हो गयी हैं, निविदा निस्तारण प्रक्रिया प्रगति पर है। अनुबन्ध गठित हो जाने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

23-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

[दिनांक 14-9-06 के अता0प्र0सं0-62 द्वारा उत्तरित]

आर0 वी0 आर0 डी0 एस0 डी0 इण्टर कालेज, नवाबगंज, कानपुर में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं को नियमित करने की मांग

24-श्री कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर नगर में नगर निगम, कानपुर द्वारा संचालित आर0वी0आर0डी0एस0डी0 इण्टर कालेज, नवाबगंज, कानपुर में वर्ष 1998 से विद्यालय फण्ड से नियत वेतन रु0 1000/- पर सहायक अध्यापिकायें कार्य कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सहायक अध्यापिकाओं को नियमित करते हुए उन्हें अनुमन्य वेतनमान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम, कानपुर द्वारा संचालित आर0वी0आर0डी0एस0डी0 इण्टर कालेज, नवाबगंज, कानुपर नगर में रुपया 1000/- प्रतिमाह नियत वेतन पर आवश्यकतानुसार शिक्षा-सत्र में अल्प काल के लिये अध्यापन कार्य हेतु अभिभावक शिक्षक संघ फंड से प्रधानाचार्यों द्वारा रखा जाता था। इनका भुगतान भी प्रधानाचार्यों द्वारा विद्यालय के अभिभावक शिक्षक संघ फंड से किया गया है।

अभिभावक शिक्षक फंड से रखी गयी शिक्षिकाओं को नियमित किये जाने के कोई प्राविधान/नियम नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ शहर में गोमती नदी के किनारे धोबी घाट बनाने की योजना

25-डा0 अजय कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में गोमती नदी के किनारे धोबी घाट बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

नदी को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु यू0पी0 पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड व भारत सरकार द्वारा अनुमन्य नहीं है।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु पंजीकृत समाचार-पत्रों में विज्ञापन निर्गत सम्बन्धी जानकारी

26-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा 01 जून, 2005 से 01 जून, 2006 के मध्य कुल कितने समाचार-पत्रों को विज्ञापन निर्गत किये गये ? क्या उक्त समाचार-पत्र सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे अवैध भुगतान को निदेशक सूडा से वसूल करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा दिनांक 01 जून, 2005 से 01 जून, 2006 के मध्य कुल 88 समाचार-पत्रों को विज्ञापन निर्गत किये गये।

समाचार-पत्र सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/आर0एन0आई0 में पंजीकृत है।

जी नहीं। केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन निर्गत किए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में कतिपय स्थानों को पर्यटन स्थल बनाये जाने की मांग

27-श्री राम नरेश यादव-

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में दुर्वासा ऋषि दत्तात्रेय, बेलवाई में शंकर जी और भैरव बाबा का स्थान तथा चन्द्रमा ऋषि के स्थान को पर्यटन स्थल बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद-

पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल नहीं बनाया जाता है अपितु पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का कार्य आवश्यकतानुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम वाजिदपुर निवासी नरेन्द्र सिंह की हत्या में दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

28-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत के ग्राम बाजिदपुर निवासी नरेन्द्र सिंह की 25 मई, 05 को पुलिस द्वारा हत्या किये जाने से मुकदमा अ0सं0-1278ए/05/धारा 394, 302, 201 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत थाना बालैनी में दर्ज किया गया था जिसकी जांच एस0डी0एम0 बड़ौत द्वारा की जा रही है ? क्या उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं ? यदि हां, तो इस हत्याकाण्ड में कौन-कौन पुलिस कर्मी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वादी श्री सुरेन्द्र पाल पुत्र वेद सिंह निवासी वाजिदपुर थाना पड़ौत जनपद बागपत द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 3-6-05 को थाना बालैनी जनपद बागपत पर मु0अ0सं0-1278ए/05 धारा-394,302,201 भादंवि का कथित थाना बालैनी पुलिस कर्मी नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ है जिसकी मजिस्ट्रीयल जांच जिला मजिस्ट्रेट बागपत के आदेश दिनांक 2-6-2005 के द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट बड़ौत द्वारा कर आख्या दिनांक 13-3-06 को उपलब्ध कराई गई है।

उप जिला मजिस्ट्रेट, बड़ौत, जनपद बागपत की मजिस्ट्रीयल जांच दिनांकित 13-3-2006 में किसी पुलिस कर्मी को दोषी नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शक्ति सिनेमा, बिजनौर को नियमानुसार निर्माण की अनुमति

29-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या मनोरंजन कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बिजनौर के मुख्य चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग 119 पर स्थित शक्ति सिनेमा हाल तुड़वाकर व्यावसायिक काम्पलेक्स कम मिनी सिनेमा हाल बनवाने की अनुमति संबंधित विभाग अथवा अधिकारी द्वारा दी गयी है ? क्या सरकार हो रहे निर्माण कार्यों को रुकवाकर संबंधित अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश सिंह-

जी हां।

शक्ति सिनेमा, बिजनौर को नियमानुसार निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है। अतः उसके निर्माण को रुकवाने एवं सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

30-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

[5वें गुरुवार के अता0प्र0सं0-24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती सूरजमुखी पत्नी श्री देव दयाल धानुक को हृदय रोग के उपचार हेतु आर्थिक सहायता

31-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सूरजमुखी पत्नी श्री देवीदयाल धानुक जो हृदय रोग से पीड़ित हैं तथा कार्डियोलॉजी संस्थान, कानपुर में इलाज कराने में असमर्थ हैं, को आर्थिक सहायता प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-3/307702 दिनांक 13-6-06 उन्हें प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो क्या उन्हें सहायता राशि स्वीकृत कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां, श्रीमती सूरजमुखी पत्नी श्री देवी दयाल को हृदय रोग के उपचार हेतु रु0 20,000/- (रु0 बीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता शासनादेश दिनांक 25-8-2006 द्वारा स्वीकृत कर प्रधानाचार्य, जी0 एम0 बी0 एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर को भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के अनेकों मोहल्लों में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

32-श्री कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के माया नगर, मुंशीगंज, सराय हसनगंज, बाबूगंज मोहल्ले में कितने हैण्डपम्प (इण्डिया मार्का-2) खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

07 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब हैं।

जी हां। 7 हैण्डपम्पों को रिबोर कराने की कार्यवाही जल निगम द्वारा की जा रही है। इनमें से 4 हैण्डपम्प रिबोर कराकर चालू किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश पर वर्षवार कर्ज का विवरण एवं बढ़ते कर्ज को कम करने के उपाय

33-श्री राम नरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2001 तथा 2002 में प्रदेश पर कितना कर्ज था और वर्ष 2005 की समाप्ति पर वह कर्ज बढ़ कर कुल कितना हो गया है ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बढ़े हुए कर्ज को कम करने के लिए वर्ष 2006-2007 में सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

आय-व्ययक साहित्य में प्रदर्शित वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार पर, वित्तीय वर्ष 2000-2001 की समाप्ति पर 72765.64 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2001-2002 की समाप्ति पर 83010.85 करोड़ रुपये का कर्ज था।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 की समाप्ति पर कुल कर्ज 115209.84 करोड़ रुपये था। ऋणग्रस्तता कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संसाधन बढ़ाने के प्रयास के साथ-साथ अनुत्पादक व्यय कम करने तथा लिये गये ऋणों की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। राज्य सरंकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन के उपायों को सुझाने हेतु मंत्रि-परिषद् की एक उप समिति गठित है। समिति की संस्तुति पर, राज्य सरकार द्वारा कतिपय करों की दरों में वृद्धि/पुनरीक्षण, नया कर आरोहण एवं करापवंचन को रोकने के साथ-साथ सघन अनुश्रवण भी किया जा रहा है। इन कदमों से राज्य सरकार के कर राजस्व में उत्साहजनक वृद्धि हुई है जिससे राजस्व घाटा समाप्त होकर वर्ष 2006-07 में राजस्व पक्ष में बचत संभावित है। संसाधनों में हो रही वृद्धि से ऋण पर निर्भरता कम होने के साथ ऋणग्रस्तता कम होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में घाघरा नदी में डूबते बच्चों को बचाने वाले को पुरस्कार प्रदान करने की मांग

34-श्री राम नरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि विगत शिवरात्रि के मेले में आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी में स्नान करते समय कई बच्चे डूब गये थे, उन डूबते हुये बच्चों में से एक को एक बच्चे ने अपनी जान को हथेली पर रखकर जीवित निकाला था ? यदि हां, तो उस बहादुर बच्चे को सरकार की ओर से अथवा जिला प्रशासन की ओर से क्या अदम्य साहस दिखाने के लिए पुरस्कृत किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

जी हां, अदम्य साहस दिखाने वाली बहादुर बच्ची कु0 माला पुत्री श्री दशरथ, ग्राम गांगेपुर, तहसील सगड़ी, आजमगढ़ को आजमगढ़ महोत्सव 2006 में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किये गये सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है। जहां तक सरकार द्वारा उक्त बच्ची को पुरस्कृत करने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रकरणों में जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत प्रदेश के नागरिकों को ही राज्य सरकार द्वारा उक्त श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किया जाता हैं राज्य सरकार द्वारा कु0 माला को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये जाने हेतु भारत सरकार को संस्तुति भेजने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन है।

35-श्री अब्दुल मन्नान-

[7वें गुरु0 में अता0 प्र0 सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने हेतु कार्य योजना

36-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के शहरों में सार्वजनिक स्थानों एवं रास्तों पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या तथा इसको कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-2029/8-3-05-70, कैम्प/2005, दिनांक 13 मई, 05 एवं सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के अर्द्धशा0 पत्र संख्या-2516/8-3-05-100 कैम्प/05, दि0 15 जून, 2005 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं जिसमें सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध उ0 प्र0 नगर योजना एवं अधिनियम, 1973 की धारा-26, 27 एवं 28 के अधीन तथा अन्य विभागों, परिषदों अथवा निगमों/निकायों के सुसंगत अधिनियमों में निहित प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने के भी आदेश दिये गये हैं। इसमें यह भी निर्देश हैं कि अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का समुचित रख-रखाव एवं उपयोग सुनिश्चत किया जाये ताकि पुनः उस पर अतिक्रमण न होने पाये। अतिक्रमण व अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के उपरान्त मलवा एवं निर्माण सामग्री आदि तत्काल हटा दी जाय ताकि उस सामग्री का पुनः उपयोग न किया जा सके। बढ़ रहे अतिक्रमण को हटाने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं जिस पर बराबर कार्यवाही होती रहती है। इस प्रकार यह व्यवस्था पूर्व से ही लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हिन्दी साप्ताहिक समाचार-पत्रों की संख्या एवं उन्हें सम्मानित करने सम्बन्धी जानकारी

37-श्री प्रमोद कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने हिन्दी साप्ताहिक समाचार-पत्र हैं जो वर्ष 1985 से आज तक नियमित प्रकाशित हो रहे हैं तथा जिनको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा डी0ए0वी0पी0 से वर्ष 1985 से आज तक लगातार मान्यता विज्ञापनों के लिए मिली हुई है ? क्या मुख्य मंत्री ऐसे लघु समाचार-पत्रों को सम्मानित करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 1985 से अब तक विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार-पत्रों की संख्या-487 हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापन मान्यता नहीं दी जाती हैं डी0ए0वी0पी0 की मान्यता को ही स्वीकार किया जाता हैं 1985 से डी0ए0वी0पी0 द्वारा कितने पत्र मान्यता प्राप्त हैं इसकी जानकारी डी0ए0वी0पी0 से प्राप्त की जा सकती हैं समाचार-पत्रों को सम्मानित करने का निर्णय मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेक पर निर्भर है।

लखनऊ नगर में बाबूगंज पार्क के पास बने सुलभ शौचालय के पास नाले पर अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

38-श्री कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में बाबूगंज पार्क के पास बने सुलभ शौचालय के सामने से नाला उमराव धर्मशाला की तरफ जाता है जिस पर वहां के निवासियों ने मकान बना लिये व नाले को पाट दिया है जिससे नाले की सफाई कार्य में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नाले के ऊपर किये गये अवैध कब्जों को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। लखनऊ नगर के बाबूगंज पार्क के पास बने सुलभ शौचालय के सामने नाला पर 10 भवन स्वामियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पूरे नाले की लम्बाई सुलाभ शौचालय से उमराव नाले तक 350 मीटर है जिसमें से 60 मीटर लम्बाई तक 02 भवन स्वामियों ने नाले को पाटकर उस पर मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। शेष लोगों ने बाउण्ड्री इत्यादि बनाकर इसे घेर लिया है, जिससे नाले की सफाई करने में कठिनाई होती है।

10 अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी की गयी है। यह अवैध कब्जे लगभग 20-25 वर्ष पुराने हैं। अभियान के दौरान इन्हें हटाया जायगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला को-आपरेटिव बैंकों के सचिवों की स्थानान्तरण नीति

39-श्री कौशल किशोर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिला को-आपरेटिव बैंकों के सचिवों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या सरकार उक्त नीति के अन्तर्गत सचिवों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदानन्द अंचल)-

जिला सहकारी बैंकों के सचिवों के पद सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा के अधीन हैं, इन सचिवों के स्थानान्तरण सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 व इससे सम्बन्धित विनियमावली के अधीन नीति के अनुसार किये जाते हैं।

अर्बन कोआपरेटिव बैंकों के सचिवों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं है।

जी नहीं।

इन पदों पर स्थानान्तरण सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। उक्त सरकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा नियमावली के नियम-8(डी) के अन्तर्गत अध्यक्ष प्रशासनिक कमेटी सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा के अनुमोदनोपरान्त सदस्य, सचिव प्रशासनिक कमेटी सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा द्वारा किया जाता है।

कानपुर नगर की ओंकार नगरिया कोआपरेटिव बैंक के कर्मियों की सेवा नियमावली एवं प्रोविडेण्ट फण्ड की कटौती सम्बन्धी जानकारी

40-श्री कौशल किशोर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में स्थित ओंकार नगरिया को-आपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल के अधिकार क्षेत्र में है ? यदि हां, तो क्या उक्त बैंक में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल के अन्तर्गत लागू नियमावली के अनुसार सभी अनुमन्य लाभ एवं सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या उक्त बैंक के कर्मचारियों के वेतन से प्रोविडेन्ट फण्ड एवं बीमा की धनराशि की कटौती हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदानन्द अंचल-

जी हां।

जी नहीं।

बैंक द्वारा बनाई गई कर्मचारियों की सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गई हैं, अनुमोदन प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

जी नहीं।

वेतन से प्रोविडेन्ड फण्ड की कटौती हेतु कर्मचारियों की निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम प्रोविडेन्ड फण्ड की कटौती नहीं की जा रही है। बैंक में कार्यरत कर्मचारियों का बीमा करा दिया गया है।

41-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

[5वें गुरु0 के अता0 प्र0 सं0-21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में पेंशनरों को संशोधित नियमावली का लाभ न मिलने विषयक प्राप्त पत्र

42-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में पेंशनरों को दि0 13-4-06 की संशोधित नियमावली से लाभ न मिलने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-6-06 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

43-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[5वें गुरु0 के अता0 प्र0 सं0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सेक्टर-जे जानकीपुरम्, लखनऊ में पेयजल की व्यवस्था

44-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेक्टर-जे जानकीपुरम्, लखनऊ में आवंटियों/ निवासियों के लिये पेय जलापूर्ति न होने के कारण परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेक्टर में पीने के पानी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

अब जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

45-श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल-

[दिनांक 14-9-06 को अता0प्र0सं0-63 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ स्थित साउथ सिटी, रायबरेली रोड के "जी" ब्लाक की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग

46-डा0 अजय कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित साउथ सिटी, रायबरेली रोड के "जी" ब्लाक के मकान नं0 157 से 177 तक की सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, जिससे वाहन एवं स्थानीय नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त ब्लाक की सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य का आगणन धनांक रु0 753915 का तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति उपरान्त धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नवनिर्मित जनपदों में जिला कारागार के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

47-डा0 अजय कुमार-

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के नवनिर्मित जनपदों जिनमें जिला कारगार नहीं है, में कारागारों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जर्जर हो चुके जिला कारागार भवनों के

जीर्णोद्धार हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में धन की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रदेश के नवसृजित जनपदों, जहां जिला कारागार का निर्माण कराया जा रहा है, में से निम्नलिखित जिला कारागारों के लिए निम्नवत् वित्तीय निर्गत की गई है :-

1-जि0 का0 सोनभद्र रु0-2.3265 करोड़

2-जि0 का0 बागपत रु0-3.0000 करोड़

3-जि0 का0 कौशाम्बी रु0-3.0000 करोड़

वर्तमान जिला कारागारों के जीर्णोद्धार हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में केन्द्र पुरोनिधानित कारागार आधुनिकीकरण योजना (75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश) के अन्तर्गत कुल रु0-7.7090 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के थाना बदोसराय में पंजीकृत मुकदमें

48-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी अन्तर्गत थाना बदोसराय में मु0 अ0 सं0 25 बी/95 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 302 भा0 दं0 वि0 के तहत दिनांक 2 मई, 1995 को पंजीकृत हुआ था, जिसमें 13 अभियुक्त नामित हुये थे, जिसमें सर्वश्री शिवसरन, शिव बालक, हरीशंकर, मंशाराम, जटाशंकर के विरुद्ध तो पुलिस ने न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था किन्तु नामित अभियुक्तों में से रवीन्द्र उर्फ बचोले आदि शेष अभियुक्तों के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र नहीं दाखिल किया ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण के रवीन्द्र उर्फ बचोले आदि शेष 8 अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल न किये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

विवेचना से प्रश्नगत प्रकरण के शेष 8 अभियुक्तों को घटना में शामिल न पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर की नगर पालिका द्वारा दुकानों के आवंटन की जांच की मांग

49-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका तिलहर, जनपद शाहजहांपुर द्वारा दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/147490/06, दिनांक 20-6-2006 प्रमुख सचिव/सचिव,

नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 17-4-06 में उल्लिखित आरोपों की जाच में पुष्टि नहीं हुई।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

50-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

भारत सरकार की पंचवर्षीय कारागार आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जेल सुधार प्रस्ताव में चयनित कारागार तथा व्यय

51-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि कारागारों में सुधार पर होने वाले व्यय का 75% केन्द्र सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उ0प्र0 सरकार द्वारा इस हेतु वर्तमान वर्ष में किन-किन कारागारों का चयन किया गया है तथा चयन करने का आधार क्या है ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मुरादाबाद मण्डल में किसी जेल सुधार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश कुमार वर्मा-

जी हां।

कारागार विभाग में वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही भारत सरकार की पंचवर्षीय कारागार आधुनिर्काकरण योजना (2002-07) के अन्तर्गत कुल रु0-231.25 करोड़ की स्वीकृति है, जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

केन्द्रीय कारागार आगरा, नैनी, वाराणसी एवं बरेली जिला कारागार खीरी, देवरिया, हरदोई, गाजियाबाद, बरेली, उन्नाव, बहराइच, बांदा, हमीरपुर, गार्जीपुर, इटावा, रामपुर, आगरा, मथुरा, सुल्तानपुर, बलिया, अलीगढ़ एवं फतेहगढ़ में सुधार कार्य प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूर्व से निर्माणाधीन कारागारों क्रमशः बागपत, कन्नौज, महाराजगंज, सोनभद्र, बलरामपुर, कौशाम्बी एवं मीडियम सिक्योरिटी जेल लखनऊ के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

नवीन जनपदों में कारागार निर्माण की आवश्यकता की प्राथमिकता एवं वर्तमान कारागारों में ओवर काउडिंग एवं उनकी जर्जर स्थिति के दृष्टिगत इस योजना में कारागारों का चयन किया गया है।

जी हां।

केन्द्र पुरोनिधानित कारागार सुधार योजना (2002-07) के अन्तर्गत जिला कारागार, बिजनौर का विस्तार कार्य टाइप-2 के 8 आवास, टाइप-3 के 4 आवास, टाइप-4 के 01 आवास, 08 दिन शौचालय की मरम्मत बैरकों की मरम्मत (बर्थ तोड़कर) एवं 03 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प की स्थापना का कार्य कराया गया है। वार्षिक कार्य योजना 2005-06 में टाइप-4 का 01 आवास का कार्य भी स्वीकृत है, जिसे शीघ्र प्रारम्भ कराया जाना है। इसके अतिरिक्त 08 नग टाइप-2 के आवास एवं 02 नग शैलो ट्यूब वेल का कार्य भी वार्षिक कार्य योजना 2006-07 में प्रस्तावित है।

इस योजना के अन्तर्गत जिला कारागार रामपुर में टाइप-2 के 08 आवास, टाइप-3 के 03 आवास एवं 03 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प की स्थापना का कार्य कराया जा चुका है एवं 13 बैरकों की मरम्मत (बर्थ तोड़कर) प्रगति पर है। 05 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापना का कार्य भी वार्षिक कार्य योजना 2005-06 में स्वीकृत है।

इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में जिला कारागार रामपुर में 02 नग शैलो ट्यूबवेल, 01 नग टाइप-4 का आवास का प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया है।

जिला कारागार मुरादाबाद में 01 नग शैलो ट्यूबवेल एवं 02 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प की स्थापना की जा चुकी है।

52-श्री अब्दुल मन्नान-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद लखनऊ की साधन सहकारी समिति जमोलिया में कतिपय खाताधारकों की सावधि जमा खाता की धनराशि का परिपक्वता अवधि के उपरान्त भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

53-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के सहकारी निजी बैंक, साधन सहकारी समिति जमोलिया में श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री राम गोपाल द्वारा सावधि जमा खाता संख्या-एफ0 डी0-31 में चार हजार रुपये तथा श्री राम गोपाल पुत्र नान्हू द्वारा खाता सं0 23 के अन्तर्गत पांच हजार रुपया सावधि जमा के रूप में जमा किया गया था और उक्त धनराशि दिनांक 17-4-2000 तथा 03-12-99 को परिपक्वता अवधि पूरी हो जाने पर उनके द्वारा मांग करने पर भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त भुगतान संबंधित खाता धारकों को करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल-

जी हां।

भुगतान हेतु मूल एफ0डी0 प्रस्तुत नहीं की गई।

मूल एफ0डी0 प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इनामी अपराधियों की संख्या तथा वाराणसी और इलाहाबाद जोन में अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु कार्य योजना

54-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने इनामी अपराधी सक्रिय हैं ? वाराणसी और इलाहाबाद जोन में अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0 प्र0 से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में इस समय कुल 608 इनामी अपराधी सक्रिय है।

जी हां।

वाराणसी और इलाहाबाद जोन में अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना तैयार कर कार्यवाही की जा रही है। जिसकी नियमित समीक्षा परिक्षेत्र व जोनल स्तर पर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जल निगम की शाखा सी0 एण्ड डी0एस0 में तैनाती का आधार

55-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम की शाखा सी0 एण्ड डी0एस0 में कौन-कौन परियोजना प्रबन्धक प्रतिनियुक्ति पर निर्धारित अवधि से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या कुछ परियोजना प्रबन्धक अलग-अलग यूनिटों में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह जुलाई, 2006 मा0 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उ0 प्र0 जल निगम की शाखा सी0 एण्ड डी0एस0 में तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर नहीं होती है।

जी, हां।

सी0 एण्ड डी0एस0 की आवश्यकतानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

56-श्री रणवीर सिंह राणा-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अंजुमन कब्रिस्तान, खुर्रमनगर, लखनऊ में खड़ंजा बिछाये जाने के सम्बन्ध में

57-श्री रामकरन आर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री खलील अहमद मेंहदी टोला, अलीगंज, लखनऊ का पत्र मा0 विधायक जियाउद्दीन रिजवी के पत्र दिनांक 8-3-06 के साथ जो अंजुमन कब्रिस्तान जिन पीरन सेक्टर-8 विकास नगर, खुर्रमनगर, लखनऊ में खड़ंजा बिछाये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्री खलील अहमद मेंहदी टोला, अलीगंज, लखनऊ का पत्र एवं मा0 विधायक जियाउद्दीन रिजवी के पत्र दिनांक 08-03-2006 प्राप्त हुआ है।

अंजुमन कब्रिस्तान जिनपीरन सेक्टर-8 विकास नगर, खुर्रमनगर, लखनऊ में खड़ंजा बिछाये जाने का आगणन रुपये 5.15 लाख का तैयार किया गया है। कार्यकारिणी की स्वीकृति के उपरान्त उक्त कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, थाना सरपतहा के अन्तर्गत ग्राम बसिरहा निवासी श्री राम सदल के मकान में आग लगने सम्बन्धी पंजीकृत अपराध

58-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जौनपुर के थाना सरपतहा अन्तर्गत ग्राम सभा बसिरहा के निवासी दलित श्री राम सदल के मकान में माह जून, 2006 में आग लगा दी गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा क्षेत्राधिकारी, शाहगंज व थानाध्यक्ष को दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त घटना में किन-किन लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है ? क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री राम सदल पुत्र गंगई निवासी ग्राम बसिरहा, थाना सरपतहा, जौनपुर के मकान में माह जून, 2006 में आग नहीं लगायी गयी थी, बल्कि श्री राम सदल ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने की नियत से एक मड़हा रख लिया था, जिसमें न तो कोई सामान था और न कोई रहता था। उक्त मड़हा ग्राम समाज की जमीन में होने के कारण ग्राम प्रधान श्री राम प्रवेश सिंह ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने की सूचना उप जिला मजिस्ट्रेट, शाहगंज को दिया, जिस पर तहसील से लेखपाल ग्राम बसिरहां तथा थाना सरपतहा से कां0 विनोद सिंह उक्त मड़हा हटवाने के लिए गये परन्तु श्री राम सदल ने मड़हा नहीं हटाया जिस पर लेखपाल के द्वारा दि0 26-4-06 को 115सी (बेदखली) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट उप जिला मजिस्ट्रेट, शाहगंज को दी गयी थी, जो मुकदमा विचाराधीन है। इस बात की जानकारी श्री राम सदल को होने पर उक्त ग्राम समाज की जमीन में अवैध रूप से रखे हुए मड़हे को दिनांक 08-5-06 की रात्रि में उसने स्वयं जला दिया था।

श्री राम सदल द्वारा इस सम्बन्ध में थाना सरपतहा पर ग्राम प्रधान श्री राम प्रवेश सिंह व अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था।

श्री राम सदल द्वारा थाना सरपतहा पर ग्राम समाज श्री राम प्रवेश सिंह तथा सीताराम पुत्र निहौर, अनुसूचित जाति, जिया लाल पुत्र सीताराम अनुसूचित जाति, अभय राय पुत्र सीताराम के विरुद्ध मु0अ0सं0-208/06 धारा-436, 504, 506 भा0 द0 वि0 व 3 (1) 10 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई, क्योंकि श्री राम सदल ने ग्राम समाज की जमीन पर अनाधिकृत रूप से मड़हा रखकर स्वयं जला दिया था। विवेचना से अभियोग झूठा पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट दि0 26-7-06 को मा0 न्यायालय को प्रेषित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के थाना खुटहन के ग्राम महमदपुर-गुलरा निवासी पप्पू की पुत्री की हत्या की जांच

59-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-जौनपुर (खुटहन) के महमदपुर गुलरा गांव निवासी दलित पप्पू की तीन वर्षीय पुत्री अंजली उर्फ भोदू की हत्या माह मई, 2006 में की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि क्या अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कई दिनों बाद कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पोस्टमार्टम में देरी के लिये थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद जौनपुर के थाना खुटहन के ग्राम महमदपुर गुलरा के निवासी पप्पू उर्फ राजमणि के तीन वर्षीय पुत्री अंजली उर्फ भोदू की हत्या नहीं हुई है बल्कि वह नदी में डूबकर मर गयी थी।

हत्या या अन्य अपराधिक घटना घटित नहीं हुई, इसलिए कोई रिपोर्ट किसी के विरुद्ध दर्ज नहीं है।

पुलिस द्वारा कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के निवासियों हेतु इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि

60-श्री कौशल किशोर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव, ब्लाक-असोहा, मजरे मिरीकलां, ग्राम निहालखेड़ा निवासियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने विषयक मा0 सभापति सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का पत्र संख्य 814, दिनांक 9 मार्च, 2006 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां। माननीय सभापति सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का पत्र सं0-814, दिनांक 09 मार्च, 2006 प्राप्त हुआ है।

श्री राम नरेश पुत्र श्री दुलारे, निवासी निहालखेड़ा विकास खण्ड असोहा जनपद उन्नाव को इन्दिरा आवास बनाने हेतु धनराशि देने विषयक उक्त पत्र को इन्दिरा आवास के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही हेतु मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव को प्रेषित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव ने अवगत कराया कि डी0आर0डी0ए0 की शासी निकाय द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में विकास हेतु चयनित समग्र ग्रामों में ही इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाये। शासी निकाय द्वारा ग्राम निहालखेड़ा का चयन होने के उपरान्त ही धनावटंन हो सकेगा।

ग्राम निहालखेड़ा समग्र ग्राम में चयनित नहीं है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों पर बैंकों द्वारा वसूली गयी ब्याज दर

61-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की विभिन्न योजनाओं में आवंटियों को आवंटित किये गये भवनों/भूखंण्डों पर ब्याज दर 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वसूला जाता है ? जबकि बैंकों की ब्याज दरें 7.5 प्रतिशत है ? यदि हां, तो प्राधिकरण द्वारा बैंकों से लगभग दो गुनी ब्याज दर तथा साथ में ब्याज पर ब्याज वसूले जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इस नियम को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

62-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[दिनांक 21-9-06 को अता0प्र0सं0-26 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में भू-माफियाओं का चिन्हीकरण

63-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 30 जून, 2006 तक कितने भू-माफियाओं को चिन्हित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त भू-माफियाओं के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उसका विवरण सदन पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि माफिया शब्द कानून में परिभाषित नहीं है एवं कानूनी प्राविधानों के अन्तर्गत स्थायी चिन्हीकरण नहीं है।

अपराधिक कृत्यों के लिए कानून में परिभाषित अपराध एवं दण्डों के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। उक्त परिस्थितियों में कोई चिन्हित संख्या दिया जाना संभव नहीं है।

माफिया शब्द कानून में परिभाषित नहीं है एवं इसलिए कानूनी प्राविधानों के अन्तर्गत स्थायी चिन्हीकरण नहीं है। ऐसे तत्वों के अपराधिक कृत्यों के लिए कानून में परिभाषित अपराध एवं दण्डों के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

विभिन्न अपराधिक कृत्यों हेतु असामाजिक तत्वों के विरुद्ध एन0एस0ए0, गैंगेस्टर ऐक्ट, गुण्डा ऐक्ट, 110 सी0आर0पी0सी0, हिस्ट्रीशीट खोलने, शस्त्र निरस्तीकरण एवं भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है।

माफिया शब्द कानून में परिभाषित न होने एवं कानूनी प्राविधानों के अन्तर्गत स्थायी चिन्हीकरण न होने के कारण विवरण दिया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर के पनकी में स्थित आवास संख्या-57-ई/150 के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल जज के आदेश का अनुपालन कराने विषयक जानकारी

64-श्री बादशाह सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्यायालय सिविल जज, कानपुर नगर द्वारा रतनपुर कालोनी, पनकी, कानपुर में स्थित आवास संख्या-57 ई/150 के सम्बन्ध में दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराते हुए आवास को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कानपुर विकास प्राधिकरण के भवन संख्या-57ई/150 रतनपुर, पनकी, कानपुर नगर के हस्तान्तरण सम्बन्धी विवाद श्री रमेश चन्द्र अवस्थी वादी एवं श्रीमती सरला द्विवेदी प्रतिवादी आदि के मध्य के है। जिसमें वादी द्वारा मा0 सिविल जज कानपुर नगर से मुकदमा अपराध संख्या-1376/2005 के बारे में दिनांक 5-10-2005 को पूछा था कि क्या मा0 न्यायालय के अपने आदेश दिनांक 3-10-05 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के0डी0ए0 व प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती सरला द्विवेदी को मकान संख्या 57-ई/150 रतनपुर, पनकी कानपुर नगर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। उत्तर में दिनांक 12-12-2005 तक उभय पक्ष वादग्रस्त सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखें अंकित किया गया है।

मा0 न्यायालय का आदेश पुलिस प्रशासन से सम्बन्धित नहीं है बल्कि विवादग्रस्त भवन के हस्तान्तरण विषयक है जिसका अनुपालन कानपुर विकास प्राधिकरण एवं प्रतिवादी संख्या-2 श्रीमती सरला द्विवेदी को करना है।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि प्रकरण आवास के हस्तान्तरण से सम्बन्धित है जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही उसके आधार पर कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर में दाल मिल से बाघ की खाल बरामद होने एवं दोषीजनों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी।

65-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29/30 जुलाई, 2006 को जनपद जौनपुर में पुलिस द्वारा लगभग छः लाख मूल्य के बाघ की खाल एक दाल मिल से बरामद की गई है ? यदि हां, तो इसके दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार प्रकरण की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

अभियुक्त अमित कुमार गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता निवासी ईशापुर, थाना कोतवाली, जौनपुर हालपता बरईयापार दाल आयल मिल, थाना सिकरारा, जौनपुर (2) उमा यादव पुत्र लौटू यादव नि0 शिवापार पराना पट्टी, थाना लाइन बाजार, जौनपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0-961/06 धारा-9, 39, 48 ए, 49वीं, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दि0 29-7-06 को थाना कोतवाली, जौनपुर पर पंजीकृत किया गया है।

विवेचना से अभियुक्त अमित कुमार गुप्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 24-8-2006 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त उमा यादव के विरुद्ध मा0 न्यायालय से गैर जमानतीय अधिपत्र (एन0बी0डब्लू0) प्राप्त कर गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

एक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है तथा अभियुक्त उमा यादव के विरुद्ध भी मा0 न्यायालय से एन0बी0डब्लू0 प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में कैम्पवेल रोड की क्षतिग्रस्त मुख्य सड़क बालागंज से राजाजीपुरम् तक का डामरीकरण कराने की मांग

66-श्री शहजिल इस्लाम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ में कैम्पवेल रोड की मुख्य सड़क, बालागंज से राजाजीपुरम् तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद लखनऊ में कैम्पवेल रोड की मुख्य सड़क, बालागंज से राजाजीपुरम् तक जिसकी लम्बाई लगभग 2.5 किमी0 है, क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही थी। इस सड़क के किनारे सीवर लाइन डालने का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सितम्बर, 2006 में कराया गया। सड़क के निर्माण/डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग जिसके अधीनस्थ यह सड़क आती है, से अनुरोध किया गया है। जनता के आवागमन की सुविधा हेतु नगर निगम, लखनऊ द्वारा विगत माह बरसात के बाढ़ गढ्ढे आदि भराने का कार्य कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

67-श्री विद्या सागर गुप्ता-

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

गोमतीनगर लखनऊ के जुगौली ग्राम की जमीन पर फौज का कब्जा हटाये जाने की मांग

68-श्री विद्या सागर गुप्ता-

68-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नगर के जुगौली ग्राम (जनपद लखनऊ) की जमीन पर पिछले करीब 15 वर्षों से फौज का कब्जा है और फौज द्वारा क्षेत्रीय जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन से कब्जा हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

ग्राम जुगौली स्थित किसी भी भूमि पर फौज का कब्जा नहीं है। राजस्व विभाग की जांच आख्या दिनांक 21-6-2006 के अनुसार ग्राम जुगौली की आबादी ग्राम शेखपुर कसैला की भूमि पर बसी है। जो राजस्व अभिलेखों में हकीयत मुतफर्रिका मोहकमा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट नगर महापालिका स्लेज फार्म के नाम से अंकित है। प्रश्नगत भूमि नगर महापालिका एवं कार्यकारिणी समिति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित संकल्प संख्या 1268 दिनांक 18-10-1982 द्वारा दिनांक 21-10-1982 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित की जा चुकी है। प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व सैन्य विभाग का नहीं है। सैन्य विभाग द्वारा सांसद निधि से स्वीकृत धनराशि से नाले के निर्माण को बल पूर्वक रुकवाकर निर्माण कार्य ध्वस्त करने सम्बन्धी जांच जो कैन्टोन्मेन्ट अधिशासी अधिकारी को उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ द्वारा प्रेषित की गई है, में यह अवगत कराते हुए कि प्रश्नगत भूमि सेना के नाम अंकित नहीं है, उक्त निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न न करने का भी अनुरोध किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण व सेना के मध्य प्रश्नगत भूमि का विवाद मा0 न्यायालय में लम्बित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

राजाजीपुरम् लखनऊ में एफ ब्लाक में जोनल पम्पिंग स्टेशन के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

69-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाजीपुरम् लखनऊ के एफ ब्लाक में जोनल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं, निर्माण कार्य पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

70-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के चुनाव कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

लखनऊ नगर निगम के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं तथा निकाय का गठन भी हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

71-श्री धर्म सिंह सैनी-

[3सरे शुक्र0 के अता0प्र0सं0-62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ में राजाजीपुरम् कालोनी के जलालपुर रेलवे क्रासिंग से शान्ति शिक्षा मन्दिर तक पारा रोड का पुनर्लेपन कराये जाने की मांग

72-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में राजाजीपुरम् कालोनी के जलालपुर रेलवे क्रासिंग से शान्ति शिक्षा मन्दिर तक पारा रोड का निर्माण वर्ष 2004 में कराया गया था ? यदि हां, तो शान्ति शिक्षा मंदिर से पारा गांव से होकर जाने वाली पारा रोड का शेष भाग जो रिंग रोड से जुड़ता है, वर्ष 1998 से अनुरक्षण कार्य न कराये जाने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्लेपन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां। उक्त सड़क भाग के पुनर्निर्माण व किनारे नाली निर्माण पर रु0 19.00 लाख का व्ययानुमान अनुमानित है। मा0 कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति उपरान्त उक्त कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में पैक्स फैड निर्माण इकाई द्वारा नगरपालिका क्षेत्र दुबेपुर आदि में कृत कार्यों का विवरण

73-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 पैक्स फैड निर्माण इकाई द्वारा वर्ष 2004-05 में जनपद सुल्तानपुर में विधान सभा क्षेत्र सदर के नगर पालिका क्षेत्र तथा वि0खं0 दुबेपुर एवं वि0ख0 कुड़वार में क्या-क्या कार्य किये गये ? क्या सरकार उनकी सूची पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल-

जी हां। कृत कार्यों की सूची संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 127-129 पर)

जनपद सुल्तानपुर के जिला योजना में स्वीकृत पर्यटन स्थलों के कार्यों की निर्माण इकाई का चयन निदेशालय स्तर पर किये जाने विषयक जानकारी

74-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में जिला योजना में स्वीकृत पर्यटन स्थलों के कार्यों की निर्माण इकाई का चयन जनपद में न होकर प्रदेश स्तर पर किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त चयन जिले में ही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद-

जी हां।

जिला अनुश्रवण समिति से अनुमोदित पर्यटन विभाग की योजनाओं के आगणन क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्यदायी संस्थाओं से तैयार कराकर पर्यटन निदेशालय को उपलब्ध कराये जाते हैं। निर्माण इकाई की कार्य क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए कार्य निष्पादन हेतु उसका चयन निदेशालय स्तर पर किया जाता है।

जी नहीं।

प्रदेश के समस्त जनपदों में पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय न होने के कारण।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में विगत वर्षों में पर्यटन स्थलों को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

75-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना वर्ष 2003-04, 04-05, 05-06 में जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में किन-किन पर्यटन स्थलों को विकसित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग कार्य योजना बनाने में लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद-

वर्ष 2003-04

"शून्य"

वर्ष 2004-05

1-मां विन्ध्यवासिनी देवी का पर्यटन विकास।

2-चौरासी आश्रम बेलहरी का पर्यटन विकास।

3-सीताकुण्ड सुल्तानपुर का पर्यटन विकास।

वर्ष 2005-06

1-शनिचरा मंदिर का स्थानीय पर्यटन विकास

2-पांचों पीरन का स्थानीय पर्यटन विकास।

3-बाबा महेशनाथ का स्थानीय पर्यटन विकास।

4-परिजात वृक्ष सीताकुण्ड का स्थानीय पर्यटन विकास।

5-पांचों पीरन में यात्री छादक।

6-बाबा महेशनाथ में यात्री छादक।

कार्य योजना बनाने हेतु जिले में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों में जनप्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है, तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर प्रेषित पत्रों में प्राप्त सुझावों के आधार पर ही इन स्थलों की विकास योजना प्रस्तावित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्राम इन्देमऊ, विकास खण्ड बीघापुर में समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत विकास सम्बन्धी कार्यों का विवरण

76-श्री बादशाह सिंह-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2005-06 में ग्राम-इन्देमऊ विकास खण्ड-बीघापुर, जनपद उन्नाव को समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था ? यदि हां, तो ग्राम में कुल कितने और कौन-कौन से विकास सम्बन्धी कार्य कराये गये ? क्या यह सत्य है कि ग्राम इन्देमऊ में नाली-खड़ण्जें तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य अभी तक नहीं कराये गये ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक करा दिये जायेगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

जी हां।

उक्त ग्राम में कुल 14 निम्नलिखित विकास सम्बन्धी कार्य कराये गये हैं :-

1-सम्पर्क मार्ग निर्माण

2-नाली/खड़न्जा

3-स्वच्छ शौचालय निर्माण

4-निःशुल्क बोरिंग

5-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

6-इन्दिरा आवास योजना

7-स्वच्छ पेयजल

8-प्राथमिक पाठशाला भवन

9-उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन

10-वृद्धावस्था पेंशन

11-विधवा पेंशन

12-1-विकलांग पेंशन

12-2-उपकरण सहायता

13-टीकाकरण

14-परिवार कल्याण

ग्राम इन्देमऊ में नाली/खड़न्जा निर्माण एवं शुद्ध पयेजल की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाकों के कार्यालयों में कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

77-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर के ब्लाकों के कार्यालयों में समूह (ग) के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो 6 वर्षों से अधिक समय से एक ही ब्लाक में कार्य कर रहे हैं ? क्या मंत्री जी शासनादेश के अनुसार उनका स्थानान्तरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जनपद-शाहजहांपुर के ब्लाकों में समूह (ग) के 62 कर्मचारी अपने पद पर एक ही ब्लाक में 6 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-1/3/96-का-4-2006, दिनांक 11 मई, 2006 में समूह (ग) के कर्मचारियों की तैनाती हेतु कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथापि ऐसे कर्मचारी जिनको प्रशासनिक/

जनहित आधार पर अथवा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाना था, के स्थानान्तरण वर्ष 2006-07 में किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान भवन दैनिक प्रवेश-पत्र व्यवस्था मा0 सदस्यों की संस्तुति पर पुनः पूर्व की भांति बहाल किये जाने की मांग

78-श्री परम जीत मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विधान मण्डल सदस्यों की सुविधा व पीड़ित जनता के हितों को ध्यान में रखे बिना अस्थाई व मा0 सदस्यों की संस्तुति पर दैनिक विधान भवन प्रवेश पत्र जारी करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार जनहित में उक्त सुविधा बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

सचिवालय की सुरक्षा के दृष्टिगत गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए दैनिक प्रवेश-पत्र शासनादेश संख्या-2705/बीस-मु0रि0का0/2006, दिनांक 13 मार्च, 2006 में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं। शासनादेश के अनुसार अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि प्रशासकीय विभाग गैर सरकारी व्यक्ति के लिए सचिवालय प्रवेश-पत्र निर्गत कराने की आवश्यकता पाते हैं तो ऐसी स्थिति में वे अपना प्रस्ताव प्रमुख सचिव गृह को उपलब्ध करायेंगे और विषयगत प्रस्ताव पर गृह विभाग अपनी संस्तुति सचिवालय प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायेंगे तत्पश्चात् सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सम्बन्धित गैर सरकारी व्यक्ति के लिए प्रवेश-पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन में विकास खण्ड नदी गांव में काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के उपयोग की जांच विशेष सतर्कता विभाग से कराने की मांग

79-डा0 अरुण कुपार मेहरोत्रा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-जालौन के वि0 खं0 नदी गांव में 8500 कुन्तल खाद्यान्न के घोटले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पत्रांक-क-3-265487 दिनांक 19-7-06 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार दिनांक 1-10-05 से 31-3-06 तक छह माह की अवधि में इस विकास खण्ड के ग्रामों को काम के बदले अनाज योजना में प्राप्त खाद्यान्न सु0ग्रा0रो0 योजना

तथा 12वें वित्त एवं राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि के उपयोग की जांच विशेष सतर्कता विभाग से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि तथा लक्ष्य में अनुरूप सड़कों का निर्माण कराने की मांग

80-श्री राम नरेश यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी ? उससे कुल कितने किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया था ? क्या लक्ष्य के अनुरूप सड़कों का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को क्रमशः रु0 317.47 करोड़ तथा रु0 631.37 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी।

वर्ष 2004-05 में फेज-3 के अन्तर्गत कुल प्राप्त धनराशि रु0 317.47 करोड़ में से 1382 कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराया जाना था। वर्ष 2005-06 में प्रदेश के लिए 2390 कि0मी0 सड़कें निर्मित करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2004-05 में कुल 654.00 किमी0 तथा वर्ष 2005-06 में कुल 2452.00 किमी0 लम्बी सड़कों का निर्माण कराया गया है।

वर्ष 2004-05 में धनराशि अत्यन्त विलम्ब से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समीप मार्च, 2005 में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त वित्तीय वर्ष में अपेक्षित भौतिक लक्ष्य पूर्ण नहीं किये जा सके, जिसे अनुवर्ती वर्ष में पूर्ण किया गया है। वर्ष 2005-06 हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लेपन स्तर तक सड़क निर्माण का लक्ष्य

81-श्री राम नरेश यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर लेपन-स्तर तक सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ? उक्त सड़कों के निर्माण हेतु अब तक कितनी धनराशि प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुकी है तथा कितनी अवशेष है ? अब तक कितने किलोमीटर सड़क उक्त योजना के अन्तर्गत बन चुकी है ?

श्री राजपाल त्यागी-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में कुल 4227.77 किमी0 सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें फेज-4 के अन्तर्गत 3125.72 किमी0 तथा फेज-3 (विश्व बैंक घटक) के अन्तर्गत 1102.05 किमी0 लम्बी सड़क का निर्माण सम्मिलित है। उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुल रु0 1107.92 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

उक्त अनुमानित व्यय के सापेक्ष भारत सरकार से अभी तक कुल रु0 633.84 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है तथा इस प्रकार रु0 474.08 करोड़ (1107.92-633.84) भारत सरकार से प्राप्त होने शेष हैं।

वर्ष 2006-07 हेतु निर्धारित उक्त लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30 नवम्बर, 2006 तक कुल 1280.93 किमी0 लम्बी सड़क का निर्माण किया गया है, जिसमें फेज-4 के अन्तर्गत कुल 810.88 किमी0 तथा फेज-3 (विश्व बैंक घटक) के अन्तर्गत 470.05 किमी0 निर्मित सड़क सम्मिलित है। योजना के प्रारम्भ अर्थात वर्ष 2000-01 से लेकर दिनांक 30-11-2006 तक कुल 14,861.39 किमी0 लम्बी सड़कें निर्मित करायी जा चुकी हैं।

जनपद जालौन में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

82-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम इकौना वि0 खं0 कदौरा जनपद-जालौन का सम्पर्क मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां। प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत फेज-4 में स्वीकृत है।

जी नहीं। उक्त मार्ग में लम्बाई 980 मी0 की 0.784 हेक्टेअर वन भूमि पड़ रही है। उक्त भूमि पर सड़क निर्माण की अनुमति वन विभाग से प्राप्त की जा रही है। जैसे ही वन विभाग की भूमि पर सड़क निर्माण की अनुमति प्राप्त हो जायेगी, सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र में जिला व ब्लाक स्तर से इन्दिरा आवास बनाने हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण

83-श्री राम करन आर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के विकास खण्ड सीयर तहसील बिल्थरा रोड अन्तर्गत ग्राम सभा दोथ को वर्ष 2000 से अब तक कितना धन

जिला व ब्लाक स्तर से इन्दिरा आवास, बनाये जाने हेतु मिला था, उसका वर्षवार विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान द्वारा उक्त कार्य न कराकर धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जनपद-बलिया के विकास खण्ड सीयर, तहसील-वेल्थरा रोड अन्तर्गत ग्राम सभा दोथ को वर्ष 2000 से अब तक जिला व ब्लाक स्तर से इन्दिरा आवास बनाने हेतु कोई धन नहीं दिया गया है। इन्दिरा आवास में धनराशि ग्राम सभा दोथ को न देकर सीधे लाभार्थियों के खाते में अवमुक्त की गई है। वर्ष 2000 से अब तक कुल 49 लाभार्थियों के अलग-अलग बैंक खातों में रु0 6,68,362.00 की धनराशि प्रेषित की गई है।

लाभार्थियों के पात्रता की जांच अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा), विकास खण्ड-सीयर से कराई गई। किसी भी अपात्र लाभार्थी को इन्दिरा आवास की धनराशि नहीं दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के आजाद नगर आलमबाग रोड के दोनों तरफ नालों पर की सफाई कराये जाने की मांग

84-श्री भगेलू राम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल रोड, लखनऊ से आजाद नगर आलमबाग की रोड के दोनों तरफ बने नालों को भवन स्वामियों द्वारा पाटकर अवरुद्ध कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त की, की गयी पटाई को हटवा कर नालों की सफाई करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां, जेल रोड लखनऊ से आजाद नगर आलमबाग की रोड के दोनों तरफ बने नालों को 23 भवन स्वामियों द्वारा पाटकर 120 मीटर लम्बाई में नालों को पाटकर अवरुद्ध कर दिया गया है। इस नाले के अवरुद्ध भाग को हटवाकर नाले की सफाई करायी जायेगी।

03 माह में नाले पर किये गये अतिक्रमण को अभियान के अन्तर्गत हटाकर नाले की सफाई का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में प्रधान मंत्री सड़क योजनान्तर्गत सड़क एवं पुलियों के निर्माण की मांग

85-श्री राम शंकर पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-उन्नाव के बांगरमऊ वि0 स0 क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधान मंत्री सड़क योजना में ग्राम मेला राम कुमार से ग्राम बहलोलपुर तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है जिसमें एक ही पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है जिसके कारण गंगा नदी में बाढ़ आने से लगभग पचास गांवों के डूबने की आशंका रहती है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क पर कई अन्य पुलियों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में बांगरमऊ-बिलहौर मार्ग से बहलौलपुर वाया मेला आलमशाह, मेला राम कुंवर दरियापुर, गुलहापुर, बहलौलपुर तक मार्ग फेज-4 में सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत है। उक्त मार्ग पर 8 पुलियों का निर्माण स्वीकृत है, जिसमें से 7 पुलियों का निर्माण कराया जा चुका है। एक पुलिया निर्माणाधीन है। पुलियों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप है। अतः नदी में बाढ़ आने पर सामान्यतया पानी सुगमता से निकल जायेगा।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग पर अन्य पुलियों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज में प्रधान मंत्री सड़क योजना द्वारा निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त की जांच कार्यवाही की मांग

86-श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद कन्नौज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित लगभग सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं तथा छिबरामऊ-कैरदा मार्ग इसी बरसात में लगभग पांच फीट बह गया है जिसके कारण आवागमन पूर्णतः बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत कर ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां। जनपद कन्नौज में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत फेज-2 में निर्मित कुछ मार्ग बरसात के कारण हल्के क्षतिग्रस्त हो गये थे, जिन्हें ठीक करा दिया गया है। इन मार्गों पर यातायात अवरुद्ध नहीं है।

ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार छिबरामऊ कैरदा मार्ग का अनुरक्षण करा दिया गया है। अतः ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

87-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[3सरे मंगल के अता0 प्र0 सं0-32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कमीशन अमीनों को वेतनमान देने के आदेशों का अनुपालन कराये जाने की मांग

88-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दि0 05-10-2005 के क्रम में उ0 प्र0 सरकार द्वारा जारी असाधारण गजट सं0-3000/49-1-2005- 500(187)-95 टी0सी0 लखनऊ 21 नवम्बर, 2005 द्वारा कमीशन अमीनों को सेवा संवर्ग में सम्मिलित कर 3200-85-4900 का वेतनमान देने का आदेश दिये जाने के बाद भी राजाज्ञा का अनुपालन नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त राजाज्ञा का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल-

जी नहीं।

कमीशन अमीनों के वेतनमान के सम्बन्ध में कोई राजाज्ञा जारी नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव से सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षकों के समस्त देयों का भुगतान कराने की मांग

89-श्री शरदवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में 1 जुलाई, 2005 से 31 जनवरी, 2006 तक कितने पुलिस उप निरीक्षक तथा आरक्षी सेवानिवृत्त हुये हैं ? क्या उक्त समस्त सेवानिवृत्त कर्मियों को भविष्य निर्वाह निधि का 90 प्रतिशत ग्रेच्युटी, राशिकरण एवं पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उनके समस्त देयकों का भुगतान कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद उन्नाव में दिनांक 1-7-2005 से 3-1-2006 के मध्य 4 उप निरीक्षक और 1 आरक्षी कुल 5 पुलिस कर्मी सेवानिवृत्त हुए हैं।

सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के देयकों का भुगतान उनके नाम के सामने अंकित तिथियों में किया गया है :--

सेवानिवृत्त कर्मी का नाम व पद	जी0 पी0 एफ0 का 90 प्रतिशत का भुगतान करने का दिनांक	उपादान का भुगतान करने का दिनांक	राशिकरण का भुगतान करने का दिनांक	पेंशन निर्गत करने का दिनांक
श्री धन्जू यादव, उप निरीक्षक	--	16-2-06	23-6-06	9-5-06

श्री राम नरेश, आरक्षी	13-11-05	3-10-05	5-3-06	22-2-06
श्री दीनानाथ, उप निरीक्षक	6-3-06	23-3-06	23-3-06	6-3-06
श्री कौशल किशोर मिश्रा, उप निरीक्षक	--	23-3-06	--	--
श्री मूल कृष्ण कनौजिया उप निरीक्षक	11-8-06	12-9-06	12-9-06	12-9-06

श्री धन्जू यादव की जी0पी0एफ0 पासबुक उपलब्ध न होने एवं श्री कौशल किशोर मिश्रा की जी0पी0एफ0 पासबुक की प्रविष्टियां पूर्ण न होने के कारण जी0पी0एफ0 का 90 प्रतिशत का भुगतान नहीं हो सका है। श्री कौशल किशोर मिश्रा के वेतन विसंगतियां होने के कारण राशिकरण एवं पेंशन का भुगतान नहीं हो सका है।

उक्त कर्मियों के अभिलेखों की कमियों को पूर्ण कराकर शीघ्र भुगतान कराया जायेगा।

लखनऊ शहर में आलमनगर रेलवे क्रासिंग से मोहान रोड तक स्ट्रीट लाइट लगाये जाने की मांग

90-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में आलमनगर रेलवे क्रासिंग से बुद्धेश्वर पेट्रोल पम्प तक मोहान रोड पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ? क्या यह सत्य है कि उक्त पेट्रोल पम्प से फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र तक मोहान रोड पर 11 के0वी0ए0 के खम्भे लगे होने तथा रोड साइड पर लाइट न होने के कारण अन्धेरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष भाग में स्ट्रीट लाइट लगाये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां। 11 के0 वी0 ए0 के खम्भों पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना सम्भव नहीं है।

पेट्रोल पम्प से फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र तक मोहान रोड पर अलग से पोल लगाकर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था धन उपलब्ध होने पर करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

पिपराइच गोरखपुर में नये चीनी मिल के निर्माण के संदर्भ में किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस लिये जाने की मांग

91-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पिपराइच (गोरखपुर) में नये चीनी मिल के निर्माण के सन्दर्भ में किसानों पर दर्ज किये गये मुकदमों (मुकदमा

संख्या-472/2001), थाना पिपराइच, गोरखपुर जनपद को वापस लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो मुकदमें कब तक वापस ले लिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर से आख्या प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र नियमानुसार निर्णय ले लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बुलन्दशहर के स्याना नगरपालिका द्वारा नर्सिंग होम पर लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण

92-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका परिषद् स्याना जनपद-बुलन्दशहर द्वारा मेडिकल स्टोर, प्राइवेट क्लीनिक/अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह पैथोलाजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, सी0टी0 स्कैन सेन्टर सेवाओं पर लाइसेन्स शुल्क निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या उसको समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

इन सेवाओं पर लाइसेंस शुल्क का निर्धारण किया गया है।

मेडिकल स्टोर-	रु0 660/- प्रति वर्ष
प्राइवेट क्लीनिक-	(आर0एम0पी0 रु0 660/- शेष 1330) रु0 प्रति वर्ष
अस्पताल-	(10 शैय्या रु0 1330, 20 शैय्या रु0 2660, 20 शैय्या से ऊपर रु0 3330) प्रति वर्ष।
नर्सिंग होम-	(10 शैय्या रु0 1330, 20 शैय्या रु0 2660, 20 शैय्या से ऊपर रु0 3330) प्रति वर्ष।
प्रसूति गृह-	(10 शैय्या रु0 1330, 20 शैय्या रु0 2660, 20 शैय्या से ऊपर रु0 3330) प्रति वर्ष
पैथोलाजी सेन्टर-	रु0 660/- प्रति वर्ष
एक्सरे क्लीनिक-	रु0 1330/- प्रति वर्ष
सी0 टी0 स्कैन सेन्टर	रु0 2000/- प्रति वर्ष

नर्सिंग होम पर लाइसेंस शुल्क की वसूली स्थगित है। उक्त शेष सेवाओं पर लाइसेंस शुल्क को समाप्त करने का औचित्य स्थापित नहीं है, क्योंकि स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थित सुदृढ़ नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम कानपुर के डा0 एस0 सी0 मिश्रा, सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी को वेतन अवशेष तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान करने की मांग

93-श्री महेश नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 एस0सी0 मिश्रा सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी, नगर निगम, कानपुर को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वर्ष 1996 से उनके वेतन निर्धारण अवशेष तथा वर्ष 2004 से लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

डा0 एस0 सी0 मिश्रा, सेवा निवृत्त चिकित्साधिकारी, नगर निगम, कानपुर को पंचम वेतन आयोग के अन्तर धनांक रु0 1,07,641.00 का भुगतान अभी तक नगर निगम, कानपुर द्वारा नहीं किया जा सका हैं डा0 मिश्रा के चिकित्सा देयक अंकन रु0 7895.00 का भुगतान नगर निगम, कानपुर के चेक संख्या-124539, दिनांक 6-12-2006 द्वारा कर दिया गया है।

नगर निगम, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि धनाभाव के कारण अभी तक पंचम वेतन आयोग के अन्तर की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर उक्त भुगतान कर दिया जायेगा।

सदन में कोरम का अभाव

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपने कोरम के अभाव में 12.20 बजे तक सदन स्थगित कर दिया था।

श्री अध्यक्ष-

कोरम था और अभी थोड़ा समय भी था इसलिये प्रश्न ले लिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, विधान सभा के इतिहास में पहली बार हो रहा हैं

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सरकार आज सदन में कोरम नहीं पूरा कर सकी है। जबकि उसके कितने तो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में सम्मिलित हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 12.20 तक स्थगित था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, यह कोरम पूरा करने का दायित्व प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष दोनों का है। नेता प्रतिपक्ष का भी फर्ज बनता है कि सब मिलकर कोरम पूरा करें। ऐसा नहीं है कि सरकार का अकेला दायित्व है।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं लिखा जायेगा और न ही यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जो मैं कह रहा था मुझे अगर दो मिनट मौका दे दें तो मेरी बात पूरी हो जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इस सदन में कोरम पूरा करने का दायित्व सरकार का है।

श्री अध्यक्ष-

सरकार का भी है और नेता प्रतिपक्ष का भी है, सब लोग मिलकर इसे पूरा करते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह सदन 11.00 बजे से लेकर 12.20 बजे तक स्थगित रहा।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

बुन्देलखण्ड और प्रदेश के अन्य भागों में कर्ज एवं भुखमारी से मरने वालों के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री तथा मुख्य मंत्री के कथन में परस्पर विरोधाभास विषयक आपत्ति (क्रमागत)

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, आपने पीठ से मुझे और राजस्व मंत्री जी को सुनने के बाद कहा था कि "मैंने इस सूचना पर नेता विरोधी दल और माननीय राजस्व मंत्री जी को सुना। नेता प्रतिपक्ष ने बहुत से तथ्य को आंकड़ों और अखबारों के माध्यम से सदन को अवगत कराया, माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि मैंने इसकी जांच करा ली है वह नहीं है। इस तथ्य पर आपकी जो भी आख्या है वह माननीय नेता प्रतिपक्ष को उपलब्ध करा देंगे, इसी के साथ मैं इसको अग्राह्य करता हूं।"

मान्यवर, इससे यह लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उससे आप भी संतुष्ट नहीं थे इसीलिये आपने कहा कि जो जानकारी है उससे अवगत करा देंगे। लेकिन मान्यवर, आज तक उन्होंने मुझे अवगत नहीं कराया हैं जबकि यह 9 तारीख का बयान है माननीय मुख्य मंत्री जी का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि किसानों की आत्महत्या के लिये केन्द्र जिम्मेदार है। और, दूसरी ओर इनके मंत्री कह रहे हैं कि कोई आत्महत्या हो नहीं रही है। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आत्महत्या हो रही है और उसके लिये केन्द्र जिम्मेदार है।

मान्यवर, मैंने न राज्य सरकार और न केन्द्र सरकार का विषय उठाया है, प्रदेश में भुखमरी से जो मौतें हो रही हैं, कर्ज से जो मौतें हो रही हैं उसको रखा है। और आत्महत्या कर रहे हैं किसान। यह बड़ा गम्भीर विषय है और मान्यवर, उसका एक उत्तर सदन में दिया गया उस पर आपने जो व्यवस्था दी उस व्यवस्था का पालन न हो फिर उसके बाद मुख्य मंत्री जी का यह बयान आये तो इन दोनों में क्या सत्य माना जाय, मैं यह उचित नहीं समझता कि किसी मंत्री के विरुद्ध हम सदन को गुमराह करने का यहां विषय उठायें। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मंत्री या तो सत्य बोला करें या ये न बोलें, खामोश रहें सदन में जरूरी है उत्तर देना, कह दें कि नहीं जानकारी है। लेकिन असत्य जानकारी देना इस सदन में सदन की अवमानना है इसको आप गम्भीरता से साथ लेंगे, इसलिये मैंने इसे उठा दिया।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल का उत्तर जो है, उत्तर तक ही सीमित है और उत्तर के अतिरिक्त अपनी कल्पना के आधार पर यह बोले। मैं तो थोड़ा ही सुन पाया। हम जरूर बोले हैं। लिखित भाषण अलग रख दिया, उसके बाद बोले। जो बात मैंने कही है, उत्तर प्रदेश के लिये नहीं कही है, न लिखित है, न जो मेरा भाषण है वह है। पूरे देश के लिये कहा कि खेती को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और आंकड़े सहित रखा कि पहले हिन्दोस्तान के विकास में किसानों और खेती का योगदान था 56 फीसदी और रह गया 22 से 24 फीसदी। और जितनी विकास दर बढ़ती जा रही है, लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाये 7 साढ़े 7 प्रतिशत लगभग का। दूसरी ओर बेरोजगारी है वह 11 फीसदी बढ़ रही है। अगर यह लक्ष्य प्राप्त कर भी लेंगे 10 फीसदी का तो उसमें भी हम योगदान देंगे। सबसे ज्यादा योगदान यू0पी0 का है। जो 1 प्रतिशत पर था, अब पहुंच गया 6 प्रतिशत। अध्यक्ष महोदय, मैं अंग्रेजी में कुछ बोल गया हूं उसे आप संशोधन कर दीजिएगा। पहले से 6 फीसदी से अधिक है विकास दर उत्तर प्रदेश की तो क्या गुनाह हो गया ? तो यह हमने कहा है नेता विरोधी दल, कि खेती को प्राथमिकता देनी चाहिए और खेती ही बेरोजगारी को दूर करने में सबसे ज्यादा सक्षम होगी। कुटीर उद्योग और जो उद्योग धन्धे हैं, छोटे उद्योग धन्धे हैं, तो यह हमने कहा था कि जो खुदरा बाजार में अगर विदेशी कम्पनियां आ गयी और निजी क्षेत्र के लोग पहुंच गये तो लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे, छोटे-छोटे दुकानदार। यह बात मैंने नहीं कही है न लिखित भाषण में है और न कहा कि वह जिम्मेदार है। मैंने कहा कि बेरोजगारी और गरीबी जिम्मेदार है। हमने केवल प्रधान मंत्री को नहीं कहा है हमारी बात सबसे ज्यादा गम्भीरता से सुनी गयी, उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जी पश्चिम बंगाल के और बिहार के मुख्य मंत्री जी, और भी हैं। जिस तरह का हम बोले उसी तरह से वह बोले हैं। पूरी तरह से तो

आप वह गम्भीरता ला ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि लखनऊ की चमक दमक इनको दिखाई दे रही है। नेता विरोधी दल थोड़ा सा मेड़ पर, पगडन्डी पर, खण्डहर पर और ऊंची-नीची जमीन पर जाते तो पता चल जाता। खेती से ही गरीबी दूर होगी, यह बात मैंने कहा। यह सच्चाई है, जो सारे देश को स्वीकार करनी होगी। खेती को प्राथमिकता देकर ही बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, गरीबी दूर होगी। अध्यक्ष महोदय, अम्बिका जी ने आंकड़े दिये हैं प्रदेश के, वह गलत नहीं दिये हैं। हमारे पास एक चिट्ठी आई है, उसे मैं सदन में नहीं रखना चाहता। उसमें है कि हमारे पिता जी का निधन कैसे हो गया। यह हम जानते हैं, परिवार के कारण हुआ है। लेकिन इस वजह से बदनामी हो रही है परिवार की कि इनके घर में खाने को नहीं है। घर में गल्ला रखा है और लहलहाती जमीन है। बनारस के लोग आते हैं और बता दिया कि भूख के मारे मरे थे जबकि परिवार के कारण मरे थे, परिवार के कारण मृत्यु हुई है।

श्री लालजी टण्डन-

कभी आप इस पर चर्चा कर लें, मैं वह तथ्य देना चाहता हूं कि सूचना आयुक्त को एक भूतपूर्व सांसद ने उनसे सूचना ऑफिसियली उसकी फीस जमा करके ली। उसमें यह आया है कि बुन्देलखण्ड में एक निश्चित समय के अन्दर 151 से अधिक आत्महत्याएं हुई हैं भुखमरी और कर्ज के कारण। माननीय मुख्य मंत्री जी जो कहते हैं उसको मैं गम्भीरता के साथ सुनता हूं ऐसा नहीं है कि सुनता नहीं हूं लेकिन यह बयान है जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, हमारा होता तो हम उसे स्वीकार करते, वह हमारा हो ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो बयान की बात की, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में उसको स्पष्ट कर दिया और जहां तक आंकड़े देने की बात है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वह आंकड़े नेता विरोधी दल को उपलब्ध करा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, बुन्देलखण्ड अकेले तो है नहीं। मैंने बुन्देलखण्ड की बात वहां भी रखी है और मध्य प्रदेश का नाम भी लिया है। अगर ऐसा ही है तो आप अपनी सरकार में जाइये, तब पता चलेगा कानून-व्यवस्था का। बत्तीसवां स्थान है उत्तर प्रदेश का। केन्द्र सरकार की एजेंसी है, जो अपराध तय करती है कि हिन्दुस्तान में कितने अपराध हैं, 31 सूबों से बेहतर कानून-व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, केवल लक्षद्वीप और नागालैण्ड को छोड़कर। सबसे ज्यादा कानून-व्यवस्था बिगड़ी है तो वह दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश की है। अब इनको कहां ले जाओगे ?

श्री अध्यक्ष-

जो आंकड़े उपलब्ध कराने के लिये कहा गया था वह माननीय नेता विरोधी दल को उपलब्ध करा दें।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :--

पहली सूचना श्री सुन्दर सिंह की ग्राम क्रियावली, जनपद बुलन्दशहर निवासी सोनू की हत्या के फलसवरूप मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की फैजाबाद मौहा, सिविल लाइन, फैजाबाद मे उ0 प्र0 वित्त निगम द्वारा नीलाम की यह भू-खण्ड सं0-4563 पुरान, नया भू-खण्ड संख्या 4285, क्रेता को दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की है (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

चौथी सूचना श्री लालजी वर्मा की है (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

पांचवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सात किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु शेष धनराशि जारी करने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री कालीचरन राजभर की गाजीपुर जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत बरेसर से ढोतारी-केरारी होते हुए सिऊरी अमहट तक क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की वाराणसी रेन्ज में पुलिस सब-इन्सपेक्टरों की तैनाती नियम विरुद्ध किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 में स्वीकृत कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत बेला भेला बाजार से घूरी होते हुए ग्राम पंचायत मेलथुआ तक के मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री कौशल किशोर की लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमानीगंज से जगदीशपुर होते हुए हमेरापुर की पुलिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग को डामरीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री आलमबदी की आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत प्रधान मंत्री सड़क योजना में किये जा रहे निर्माण कार्यों में व्यापक उदासीनता एवं विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई खड्डा, जनपद कुशीनगर में बर्खास्त कर्मचारी श्री भागवत सिंह की सेवाएं बहाल करने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत निघासन से पलिया मार्ग व निघासन से बेलराया मार्ग को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत कोल्ड स्टोर तिराहे पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगवाने के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की सूचना के स्थान पर डा0 विनोद तिवारी तथा श्री लालजी वर्मा के स्थान पर डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की सूचना स्वीकार की गई।

(स्वीकृत की गई सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

ग्राम क्रियावली, जनपद बुलन्दशहर निवासी सोनू की हत्या के फलस्वरूप मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर सिंह-

[दिनांक 11-4-2006 को सुबह 4.00 बजे सोनू पुत्र शंकर निवासी ग्राम क्रियावली उम्र लगभग 24 वर्ष थाना नरसैना, जनपद बुलन्दशहर पड़ोस के गांव हाजीपुर से दूध का कार्य करता था कुछ बदमाशों ने सोनू पुत्र शंकर पर अंधाधुंध गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी गयी सोनू पुत्र शंकर एक गरीब परिवार का व्यक्ति था तथा दूध बेचकर अपना व परिवार का भरण पोषण करता था। शंकर के परिवार में रोजगार का कोई साधन नहीं है तथा सोनू के मरने पर परिवार असहाय हो गया है। अभी तक मृतक के परिवार को किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

अतः मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि अपने विवेकाधीन कोष से मृतक के परिवार को एक लाख रुपया व रहने के लिये आवास बनवाने का कष्ट करें।]

फैजाबाद मौदहा, सिविल लाइन, फैजाबाद में उ0 प्र0 वित्त निगम द्वारा नीलाम की यह भूखण्ड सं0 4563 पुराना, नया भूखण्ड सं0 4285, क्रेता को दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[फैजाबाद जनपद में मौदहा, सिविल लाइन्स स्थित भूखण्ड संख्या (4563 पुराना) नया भूखण्ड संख्या 4285 जो उ0 प्र0 वित्तीय निगम के पक्ष में मेसर्स यू0 पी0 मि लि0 फैजाबाद एवं फैजाबाद ग्राफिग्स लिमि0 के मालिक श्रीमती विद्यावती मनोचा एवं श्रीमती शकुन्तला देवी द्वारा बन्धक कर वित्तीय सहायता रु0 10-11 लाख प्राप्त किया गया था। उ0 प्र0 वित्तीय निगम के ऋणों की अदायगी न होने के कारण उ0 प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर द्वारा बंधक जमीन को अधिग्रहीत कर नीलामी 20-4-90 को की गयी तथा 29-9-06 को पंजीकृत बैनामा श्री रवीन्द्र कुमार तिवारी निवासी टाण्डा, अम्बेडकर नगर के पक्ष में कर दिया गया। करीब 10 वर्ष से अधिक हो रहे हैं रवीन्द्र कुमार तिवारी द्वारा नीलामी ली गयी जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया। अभी तक जमीन पर कब्जा न पाने के कारण श्री रवीन्द्र कुमार तिवारी जिनके 20 लाख से अधिक रुपये लगे शोक में स्वर्गवास भी हो गया, परिवार भुखमारी के कगार पर है किसी प्रकार जीवन यापन कर रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जमीन पर नीलामी क्रेता रवीन्द्र कुमार तिवारी निवासी टाण्डा, अम्बेडकरनगर को कब्जा दिलाने अथवा नीलामी ली गयी जमीन का मूल्य आज के अनुसार दिलाने तथा यदि जमीन नजूल बतायी जाती है तो नजूल के अभिलेख सदन के पटल पर रखे जाने की सरकार से मांग करता हूं।]

मेरठ नगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 7 कि0मी0 सड़क निर्माण हेतु शेष धनराशि जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्येक विधायक को 7 किलोमीटर सड़क दी गई थी। उसके लिये योजना स्वीकृत कर मात्र 15 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त हुई थी। 1 करोड़ 98 लाख के विरुद्ध मात्र 30 लाख रुपया लगभग अवमुक्त हुआ था। मौके पर 45 लाख रुपये के काम हो चुके हैं। प्राप्त धनराशि तीस लाख लगभग का उपयोग प्रमाण-पत्र बी0एम0 15 भी शासन के अनुभाग 9 में पहुंच गया है। जानकारी मिली है कि फिर 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने की योजना है। इससे कार्य कैसे होंगे यह प्रश्न सामने है। वित्तीय सत्र व विधान सभा का काल समाप्ति पर है, स्पष्ट दिख रहा है कि यह कार्य अधूरे कार्य की संज्ञा में जाने वाले हैं, जोकि उचित न होगा।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शेष धनराशि 1 करोड़ 68 लाख जारी करके 7 किलोमीटर सड़क के निर्माण व मेरठ महानगर विधान सभा क्षेत्र के कार्यों को पूर्ण करने की कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

गाजीपुर जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत बरेसर से ढोतारी-केरारी होते हुये सिऊरी अमहट तक क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन राजभर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद अन्तर्गत जो मार्ग बरेसर से ढोतारी-केरारी होते हुए सिऊरी अमहट तक जाती है। काफी क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश तथा दुःख व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा कराने तथा बरेसर से ढोतारी-केरारी होते हुए सिऊरी अमहट तक मार्ग बनवाने की मांग करता हूं।]

वाराणसी रेंज में पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की तैनाती नियम विरुद्ध कराये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[प्रदेश में पुलिस विभाग में अपनी नियमावली के तहत प्राविधान किये गये हैं कि कोई भी सब इंसपेक्टर गृह रेन्ज में या बार्डर डिस्ट्रिक्ट पर कार्य नहीं कर सकता है। कदाचित इसमें निष्पक्षता ही प्रदर्शित होना उद्देश्य रहा है। लेकिन इसका अनुपालन ठीक से न होने के कारण

नोट :--| |यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अक्सर बहुत से लोग अपने गृह जनपद में तैनाती तथ्यों को छिपाकर प्राप्त कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में वाराणसी रेन्ज में कई प्रकरण सामने दिखायी दिये हैं।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए वाराणसी रेन्ज में नियमों के विरुद्ध नियुक्त लोगों की जांच कराने की मांग करता हूं।]

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में स्वीकृत कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

[आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कराना चाहूंगा। जनपद चित्रकूट में वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से प्राप्त धन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान करके धन सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को दिया गया किन्तु वर्ष 2004-05 के स्वीकृत कार्य अभी तक नहीं कराये गये हैं अधिकांश कार्य अधूरे पड़े हैं। इसी प्रकार वर्ष 2005-06 के धन से भी स्वीकृत कार्यों को अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे विकास कार्य बाधित हैं। उक्त वर्षों में स्वीकृत धन सम्बन्धित कार्यदायी संस्थायें लेकर हड़प कर गयी हैं जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक हित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत बेला भेला बाजार से घूरी होते हुये ग्राम पंचायत मेलथुआ तक के मार्ग का डामरीकरण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र 96 डलमऊ, जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-दीनशाहगौरा में बेला भेला बाजार से घूरी होते हुए ग्राम पंचायत मेलथुआ तक जाता है। जिसकी लम्बाई लगभग तीन किमी0 है। जिसमें से एक किमी0 तक 10 वर्षों से बोल्डर पड़ा है और शेष मार्ग कच्चा है और मार्ग पर बड़े-बड़े बोल्डर पड़े होने से एवं कच्चा मार्ग होने से ग्रामीण जनता का आवागमन बाधित होता है तथा क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बात को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग के डामरीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमानीगंज से जगदीशपुर होते हुए हापेरापुर की पुलिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग को डामरीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कौशल किशोर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड मलिहाबाद में गांव अमानीगंज से गांव जगदीशपुर होते हुए गांव हापेरापुर की पुलिया तक डामरीकरण सड़क की आवश्यकता है। उक्त सड़क का आवागमन बहुत ही ज्यादा है। इस सड़क का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। यह लोकमहत्व का प्रश्न है।

अतः आपसे आग्रह है कि उक्त लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को नियम-301 के तहत ग्राह्य करके आवश्यक कार्यवाही के निर्देश देने का कष्ट करें।]

आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना में किये जा रहे निर्माण कार्यों में व्यापक उदासीनता एवं विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आलमबदी-

[मैं आप द्वारा माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित कराते हुए यह सूचित करना चाहता हूं कि उपरोक्त योजना के कार्य पिछले 4 माह से ठप्प पड़े हैं, जिससे कि ग्रामीण जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र 196, निजामाबाद, आजमगढ़ में प्रधान मंत्री सड़क योजना का कार्य निर्माण खण्ड-4 द्वारा किया जा रहा है, इसके अभियन्तागण न तो कार्य स्थल पर मिलते हैं और न ही कार्यालय पर उनसे सम्पर्क हो पाता है। कार्य ठेकेदार अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जिस पर विभागीय अभियन्ताओं की पकड़ न होने से कार्यों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कार्यों की गुणवत्ता पर विभागीय अभियन्ताओं की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।]

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई खड्डा, जनपद कुशीनगर में बर्खाश्त कर्मचारी श्री भागवत सिंह की सेवायें बहाल करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 पूर्णमासी देहाती-

[अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई खड्डा, जनपद कुशीनगर में श्री भागवत सिंह पुत्र श्री रामरूप सिंह वेल्डर द्वितीय के पद पर नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे तथा हिन्द मजदूर सभा यूनियन के कोषाध्यक्ष थे, यह अधिकारियों की गलतियों को उजागर करते रहते हैं कर्मचारी के हित के बातों को लेकर संघर्षरत रहते थे, जिससे नाराज होकर तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक ने 1990 में बिना किसी आरोप के द्वेषवश निलम्बित कर दिया। इनके खिलाफ कुछ आरोप लगाये गये थे, जो जांच में निराधार पाया गया, इसके बावजूद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री भागवत सिंह को बर्खास्त कर दिया गया, जो मानवता के विपरीत है। वर्तमान समय में इनका परिवार भुखमरी के कगार पर है इनकी स्थिति दयनीय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए श्री भगवत सिंह को सवेतन बहाल करने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत निघासन से पलिया मार्ग व निघासन से बेलराया मार्ग को तत्काल ठीक कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

[जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में निघासन से पलिया मार्ग व निघासन से बेलराया मार्ग शासन द्वारा चौड़ीकरण योजना में स्वीकृत है जिसका कार्य भी प्रारम्भ हो चुका था परन्तु किसी कारण से कार्य उक्त दोनों सड़कों पर रुक सा गया है इस समय गन्ने की पेराई का सत्र चल रहा है सड़क खराब होने के कारण गन्ने से भरा ट्रक के चालक रोड से किनारे नहीं कर पाते हैं जिससे सड़क पर जाम लग जाता है। आम जनमानस का सड़क पर चलना दूभर हो गया है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त दोनों सड़कों तत्काल ठीक कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत कोल्ड स्टोर तिराहे पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुंशीलाल गौतम-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में पं0 दीनदयाल उपाध्याय जो एकात्म मानववाद के दर्शन जिन्होंने दिखाया और जाति व्यवस्था को दूर करने की पहल की। उनकी प्रतिमा मेरे नगर पालिका के कोल्ड स्टोर तिराहे पुरानी लोक निर्माण विभाग की सड़क पर जहां अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है उसमें भारत का रूप निर्धारण करके सरकारी खर्चे पर पं0 दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगवाई जाने की मांग करता हूं।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद पीलीभीत में कार्यरत वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा द्वारा स्कूल भवनों की मरम्मत की धनराशि शासन के संज्ञान में लाये बिना वापस किये जाने की जांच कराकर दण्डित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 विनोद तिवारी-

[मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ सदन का ध्यान नियम-301 के अन्तर्गत आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर सहित पूरे जनपद मे सैकड़ों परिषदीय विद्यालय मरम्मत किये जाने योग्य हैं काफी संख्या में स्कूल बाउन्ड्री विहीन हैं इसके बावजूद भी जनपद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पीलीभीत में कार्यरत वित्त एवं लेखाधिकारी "बेसिक शिक्षा" श्री राम कृष्ण वर्मा द्वारा स्कूल भवनों के मरम्मत की धनराशि क्रमशः 25, 76, 736 रु0 व 16, 10, 530/रु0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत के संज्ञान में लाये बिना शासन को वापस कर दी गयी है यह पीलीभीत की जनता व पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय है एक ओर आर्थिक अभाव में मरम्मत आदि की कई योजनाएं लम्बित हैं दूसरी ओर श्री वर्मा द्वारा धन वापस किया जाना असहयोगात्मक व्यवहार का प्रतीक है ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए लोगों में काफी आक्रोश है।

कृपया उक्त ज्वलन्त विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथी कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने तथा इलाहाबाद एवं लखनऊ के मेडिकल कालेजों में पी0जी0 कोर्स प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 7 होम्योपैथिक राजकीय मेडिकल कालेज चल रहे हैं, जिनमें शिक्षकों के अनेकों पद रिक्त चल रहे हैं। इस कारण इनमें पठन-पाठन बुरी तरह प्रभावित चल रहा है। इन पदों पर तत्काल नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

प्रदेश के किसी भी मेडिकल कालेज में पी0जी0 कक्षायें नहीं हैं, जिसके कारण प्रदेश के छात्रों को पी0जी0 कोर्स करने के लिये दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। वर्ष 2001-02 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इलाहाबाद एवं लखनऊ के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में पी0जी0 कोर्स प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। कुछ कार्यवाही इस दिशा में हुई थी, परन्तु बाद में सरकार की उदासीनता से कार्यवाही आगे न बढ़ सकी। जो कि चिन्तनीय है। होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति शिक्षा के महत्व को देखते हुए तत्काल मेडिकल कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने तथा इलाहाबाद एवं लखनऊ के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में पी0जी0 कोर्स प्रारम्भ करने की सरकार से मांग करता हूं।

उक्त विषय लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है, अतः नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

शेष माननीय सदस्य श्री अकीलुर्रहमान खां, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्रीमती विद्या चौधरी व श्री रणवीर सिंह राणा की सूचनाएं अस्वीकार की गईं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 3 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद के आगामी अर्द्धकुम्भ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेला-2007 के दृष्टिगत गंगा जल को प्रदूषण मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी व श्री जगदम्बिका पाल की प्रदेश में जिला निगरानी समिति/अनुश्रवण समिति का गठन न होने से प्रदेश में बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड हेतु चयनित 32 जनपदों के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी न हो पाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की प्रदेश में चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये आय प्रमाण-पत्र जारी करने में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में। ये तीनों सूचनाएं नहीं सुनी जायेंगी। चूंकि डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की सूचना प्रश्न से सम्बन्धित थी और महत्त्वपूर्ण है अतः सुन लिया जायेगा। जो आश्वासन दिया गया था वह चूंकि आश्वासन था इसलिये नियम 300 में तो नहीं बनता है परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये डा0 गौर अपनी बात कहें।

इलाहाबाद के आगामी अर्द्धकुम्भ मेला-2007 को दृष्टिगत रखते हुए गंगाजल को प्रदूषण मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[माननीय अध्यक्ष जी, हम, आप सभी अवगत हैं कि आगामी जनवरी माह से इलाहाबाद में अर्द्ध कुम्भ मेला प्रारम्भ होने जा रहा है, देश-विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने आयेंगे। मेरे उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में संगम स्थल आता है। मैं जब भी संगम स्थल जाता हूं, साधु-संतों से भेंट होती है। वह आन्दोलित है। मैंने एक प्रश्न किया था कि अर्द्धकुम्भ मेला को देखते हुए संगम में गंगाजल को पवित्र एवं प्रदूषण से मुक्त करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? इसका 4 दिसम्बर, 2006 को जो उत्तर दिया गया है, उसके पहले भाग में कहा गया है कि सिंचाई विभाग को गंगा में नरौरा डैम से अतिरिक्त जल छोड़ने हेतु निर्देशित किया गया है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि अभी नरौरा से जल नहीं छोड़ा गया है। दूसरे भाग मे यह बात आती है कि प्रदूषणकारी रंगीन उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले उद्योगों को दिनांक 1-12-2006 से 16-2-07 तक की अवधि मे उत्प्रवाह गंगा नदी तथा अन्य सहायक नदियों में नहीं निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये जा रहे हैं। 01 दिसम्बर को निर्देश दिये गये हैं परन्तु मुझे जानकारी है कि अभी आदेश का पालन नहीं हुआ है। मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा कि शासन के उस आदेश का क्रियान्वयन हुआ या नहीं। एक सप्ताह के पहले मैं उधर गया था तो वहां पर पानी लाल रंग का आ रहा था। इलाहाबाद में अनेकों नाले हैं, उनका गंदा पानी गंगा में जा रहा है। इसमें सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि टेम्पोरेरी तालाब जैसा बना दिया जायेगा और नालों का गंदा पानी उसमें इकट्ठा होगा। इसका कार्य भी अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। यहां पर साधु-संतो ने अनेकों सभायें की और यह कहा है कि जो आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया है, अगर नरौरा से पानी नहीं छोड़ा जाता है और उद्योगों से जो प्रदूषण की चीजें नालों से जा रही हैं, अगर नहीं रुकेगा तो साधु-संतो ने जल समाधि लेने की घोषणा की है। लाखों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोगों की भावनाओं का सवाल है। सरकार ने अब तक क्या किया है, इसकी जानकारी दिला दें। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था इसलिये मैंने इसे नियम-300 के अन्तर्गत उठाया है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था को बेहतर से बेहतर करने में कोई कमी नहीं की जा रही है और जो कमी होगी उसे दूर किया जायेगा। इसे पक्ष और विपक्ष की निगाह से नहीं देखा जा रहाहै। मान्यवर, आप खुद इस बात से परिचित हैं कि मैं बार-बार जाकर देख रहा हूं और फिर खुद जाकर देखूंगा, अगर किसी प्रकार की कमी हे तो दूर किया जायेगा। किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने देना चाहता हूं। वहां पर बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की गयी है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

दो चीजें आप बता दीजिये। क्या नरोरा से जल छोड़ दिया गया है और जो उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है वह रुक गया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें किया यह था कि पानी की मिकदार बढ़ा दी थी बहुत बड़ी मात्रा में तो उससे पानी का रंग भी साफ हो गया और प्रदूषण भी नहीं रहा था। ऐसी ही व्यवस्था इस बार भी हे, पानी की मिकदार बढ़ा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई गन्दगी उसमें न रहे। मान्यवर, बहुत ख्याल रखा जा रहा है, जो भी बाहर से लोग आते हैं उनके लिये रहने की व्यवस्था की गयी है, जो मोस्ट वी0आई0पी0 ट्रीटमेंट हो सकता है वह किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी को मैंने सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना माननीय प्रमोद कुमार की है।

श्री सुन्दर सिंह-

मान्यवर, मुझे सुन लें। मेरी जान को खतरा है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आपने कोई सूचना तो दी नहीं हैं आपकी जान को खतरा है, आप मुझसे अलग से बात करिये।

प्रदेश में जिला निगरानी समिति/अनुश्रवण समिति का गठन न होने से प्रदेश में बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड हेतु चयनित 32 जनपदों के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी न हो पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जो औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं इसमें मैं चाहता हूं कि विकास के मुद्दे से जुड़े इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट हो। मान्यवर, इसके पीछे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्देश्य यह है कि इसमें प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ कमी रहने के कारण जो प्रदेश को आवंटित धन नहीं मिल रहा है उसके बारे में मैंने यह प्रश्न उठाया है। मान्यवर, भारत सरकार ने श्रम विकास योजना को पुनः परिभाषित किया है। पहले श्रम विकास योजना में धन जनपद को जाता था और वहां बैठे हुए अधिकारी तय करते थे कि कौन एजेंसी काम करायेगी या पैसा कहा जायेगा। मान्यवर, अब बैकवर्ड रीजन्स ग्राण्ट में जो नयी योजना आयी हे कि इसमें उत्तर प्रदेश के 32 जिले चयनित किये गये हैं और बहुत से प्रदेश हैं जो बैकवर्ड हैं वह भी चयनित हुए हैं। 32 जिले जो यहां चयनित किये गये हैं वह प्रदेश के आधे के बराबर हैं मान्यवर, मैंने अभी सम्बन्धित मंत्रालय में जाकर बात की तो पता चला कि इसमें एक अनुश्रवण समिति का गठन जनपदों में होना है, उसकी रूपरेखा क्या हो यह सरकार तय करेगी, किसको बनाना है यह सरकार तय करेगी लेकिन किन्हीं कारणों से इस अनुश्रवण समिति का गठन नहीं हुआ है और अगर हुआ भी है तो इसकी सूचना भारत सरकार के मंत्रालय में नहीं पहुंची है, इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है जबकि प्रत्येक जनपद को 40-45 करोड़ रुपये आवंटित होंगे इस योजना के अन्तर्गत और इससे निःसंदेह इन पिछड़े जनपदों का काफी भला हो जायेगा। तो यह औचित्य का प्रश्न उठाना, सिर्फ प्रदेश के विकास को गति देने के लिये सुझाव देनेके रूप में उठाया गया है। यदि अनुश्रवण समिति की संवैधानिक जिम्मेदारी है या उसे बनाना आवश्यक है तो वह समिति बना दी जाय और अगर बन गयी है तो भेज दी जाय और अगर भेज देने के बाद भी वहां पर ऐसा लगता है कि कार्यवाही नहीं हो रही है तो प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करके इस पैसे को अवमुक्त कराके इन जनपदों में कार्य प्रारम्भ कराये। इन जनपदों को 40 से 45 करोड़ रुपये उसकी आबादी, क्षेत्रफल, पिछड़ेपन के हिसाब से मिल जायेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सही समय है जिस समय काम लगाया जा सकता है। मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सिर्फ सरकार से यह चाहता हूं कि इसको दिखवा लें और दिखवाने के बाद यदि कहीं कोई कमी रह गयी है तो उसको दूर कराकर विकास का कार्य शुरू किया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, औचित्य का प्रश्न उठाकर अच्छा काम किया है और सरकार को भी सावधान किया हैं लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं माननीय प्रमोद कुमार जी को कि सरकार गम्भीरता से इसको ले रही है, सावधान भी है। आपने जो सुझाव दिया है उसको पूरी तरह से हम करेंगे, साथ में एक अनुरोध हम आपसे करेंगे बिजली के मामले में। बिजली के मामले में चयनित किये गये जिले केन्द्र सरकार के द्वारा चयनित हैं और शर्त यह रख दी गयी है कि हम धन तब देंगे जब हम एजेन्सी बतायेंगे और उसी से आप काम करायेंगें अब आप देख रहे हैं कि सुल्तानपुर, आजमगढ़ आदि जिले ऐसे हैं। दो जिलों में काम हो रहा है, मुझे आपत्ति है कि और जिलों में होना चाहिए। उन दो जिलों को सबसे ज्यादा पैसा मैंने दिया है। इटावा में भी दिया है बदायूं और रायबरेली नम्बर एक पर है, जितना धन आवंटित किया गया है। यह ठीक है कि रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष का क्षेत्र है, बदायूं में हमारा विधान सभा क्षेत्र है। यह एजेन्सियां दो जिले में काम कर रही है लेकिन आजमगढ़ सुल्तानपुर से लेकर 6 जिले वंचित क्यों है ? यह बात हम तो वहां पर भाषण में कह आए हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इसे केन्द्रीय स्तर पर रखें। हम तो रायबरेली के लिए सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं क्योंकि रायबरेली के जितना पिछड़ा जिला मैंने नहीं देखा है। वह लगातार पिछड़ गया है। सुल्तानपुर और रायबरेली दोनों पिछड़े हुए जिले हैं सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा आवंटन बदायू और रायबरेली में हुआ है। आपका सुझाव अच्छा

है। हम उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन आप भी इस पर विचार कर लें। अन्य जिले भी पिछड़े जिले हैं जहां पर एजेन्सी काम नहीं कर रही है। केवल दो ही जगह काम कर रही है। यह एजेन्सी केन्द्र सरकार की है। उन्होंने कहा है कि यह एजेन्सी रहेगी, यही काम करेगी, तब हम पैसा देंगे। इसे हमने मजबूरी में स्वीकार किया है। इसका ध्यान दीजिए। यह मेरा आपसे सुझाव है, कोई शिकायत नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने प्रमोद कुमार जी को सुना ...

श्री जगदम्बिका पाल-

जो 32 जिले चयनित किए गए हैं वहां के लिए मैचिंग ग्रान्ट तो आपको भी देनी पड़ेगी कमेटी बनानी पड़ेगी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जहां तक मैचिंग ग्रान्ट की बात है तो यह तो समझी हुई बात है। भारत सरकार से जो पैसा मिलता है उसकी मैचिंग ग्रान्ट तो हम देते ही हैं। अगर नहीं देंगे तो भारत सरकार से मिलने वाला पैसा हमारे लिए बेकार हो जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह बार-बार कहा जाता है कि योजना आयोग ने इतना पैसा दिया लेकिन आप भी यह जानते हैं कि वह कैसे पैसा देता है। यह राज्यों की भागीदारी है राज्यों से जो तमाम रेवेन्यू जनता का जाता है उसी से भारत सरकार हिस्सा देती है। अभी जो 50 हजार करोड़ रुपये योजना आयोग से मिलने की बात छपी है उसमें 19 हजार करोड़ रुपये हमें अपने संसाधन से जुटाने पड़ेंगे। यह हमारा पैसा है जो हमारे पास आ रहा है। मैं पाल साहब, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव जी से कहूंगा कि आप भी केन्द्रीय नेतृत्व से बात करिए। हमारी भी मा0 प्रधान मंत्री जी से बात हुई है। आप कहेंगे तो काम तुरन्त शुरू हो जायेगा और 31 मार्च तक लक्ष्य रखा गया है, वह पूरा हो जायेगा। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है।

श्री प्रमोद कुमार-

मैंने श्रम विकास योजना के बारे में प्रश्न उठाया है। बिजली के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह मेरी शिकायत नहीं है मेरा सुझाव है। आपका भी सुझाव है जिसका मैंने स्वागत किया है। मेरा कहना है कि आठों जिलों में काम शुरू हो जाय तो लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

जहां तक मेरी जानकारी है पैसा अवमुक्त होता है उसका टेण्डर होता है, एजेन्सी बनती है उसमें अकेले केन्द्र सरकार का दखल नहीं है। जो योजनाएं बनती हैं उसमे यह तय हो जाता है कि राज्य सरकार कितना पैसा देगी और केन्द्र सरकार कितना पैसा देगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री प्रमोद कुमार को व मुख्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है। इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

प्रदेश में चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये आय प्रमाण-पत्र जारी करने में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

जहां तक श्री सुखदेव राजभर की सूचना 'प्रदेश में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आय प्रमाण-पत्र जारी करने में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में', का प्रश्न है इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मुझे भी सुन लें। मैं एक अहम् मसला सदन के समक्ष रख रहा हूं। मैं दो मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा। मान्यवर, मैं व्यवहारिक रूप से सदन के सामने कह रहा हूं कि जितनी भी योजनाएं हैं चाहे वे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा चलाई गई कन्या विद्याधन योजना हो या और भी योजना हो इसके लिए जो आय प्रमाण-पत्र सत्यापन का कार्य होता है वे आप करवा लें जिन लोगों के लिये वह योजना है कि इतनी आय वर्ग वालों का उसका लाभ मिलेगा उस निर्धारित सीमा के अन्दर आने वाले लोगों को तो आय प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो रहा है और उससे अधिक आय वाले जो सम्पन्न लोग हैं वे प्रमाण-पत्र बनवाकर उन योजनाओं का लाभ उठा रहे है। तहसीलदार, लेखपाल द्वारा उनको आय प्रमाण-पत्र नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में उसके लिये लाभार्थी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हो गई आपकी बात आ गई। अब उत्तर भी सुन लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय सदस्य आय प्रमाण-पत्र की बात कर रहे हैं इसको आप दिखवा लीजिए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी, ठीक है। सरकार ने संज्ञान ले लिया है।

(व्यवधान) (श्री सुन्दर सिंह के खड़े होने पर)

श्री सुन्दर सिंह की हत्या विषयक फोन आने पर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराने की मांग

श्री अध्यक्ष-

कहिये आपका क्या है ?

*श्री सुन्दर सिंह-

मान्यवर, मैं आज अपने आवास से विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आ रहा था। मेरे पी0आर0ओ0 ने मुझे बताया कि उसके पास एक फोन आया कि एक आदमी ने फोन पर यह बताया कि मेरी हत्या कराने के लिये 50 लाख रुपये में तय किया गया है और जिसको मैंने चुनाव में हराया था ठाकुर वह मेरी हत्या कराना चाहता है। मान्यवर, मेरी सुरक्षा का सवाल है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपके पी0आर0ओ0 के फोन पर आया न।

श्री सुन्दर सिंह-

मान्यवर, सब नम्बर भी आ गया है फोन का।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं अभी लाबी में बैठकर जो भी अधिकारी हैं उनको इस बारे में निर्देश दे देता हूं।

(दो तीन माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

जनपद फैजाबाद के कमिश्नर के लम्बी अवधि के अवकाश पर होने के कारण पूर्वांचल विकास निधि के धन (जिलांश) की स्वीकृतियां प्राप्त न होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

क्या है, बतायें। क्या जान का खतरा है ? लिखकर दीजिये।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, यह विधायकों से जुड़ा सवाल है। जान की खतरा का कोई मामला नहीं है। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल के विकास के लिये पूर्वांचल विकास निधि का गठन किया गया है और उसके जिलांश का हिस्सा जनपदों में जाता है और सब विधायकों को बंटता है। मैं फैजाबाद परिक्षेत्र से आता हूं। मान्यवर, स्वीकृतियां जारी करने का अधिकार कमिश्नर को है और वहां पर जो कमिश्नर है उन्होंने हार्ट का आपरेशन करवाया है और वो डेढ़ महीने से छुट्टी पर है जिस कारण से स्वीकृतियां जारी नहीं हो पा रही है। इसका वित्तीय अधिकार और किसी को नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि

श्री अध्यक्ष-

सरकार का उत्तर तो सुन लीजिए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, हम इसको दिखवा लेंगे। कहीं ऐसी कोई कमी रह गई होगी तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करा ली जायेगी।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 1995-96 से 2001-2002 तक के महालेखाकार द्वारा सम्पादित संकलित आर्थिक चिट्ठा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन †

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 1995-96 से 2001-2002 तक के महालेखाकार द्वारा सम्पादित संकलित आर्थिक चिट्ठा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 4 तथा 5 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 की बैठक में विधान सभा का आगामी उपवेशन दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 के स्थान पर दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 को रखे जाने एवं तद्नुसार दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 से दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 06 दिसम्बर, 2006 से दिनांक 10 दिसम्बर, 2006 तक सदन के उपवेशन न हों।

2-दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 को सदन का उपवेशन हो।

3-दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 से दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

दिसम्बर, 2006

06 बुधवार
07 गुरुवार
08 शुक्रवार
09 शनिवार
10 रविवार
} बैठक नहीं होगी।

11 सोमवार (क) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं उसका पारण (आधा घण्टा)।

(ख) प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा (जारी)।

(ग) प्रदेश के अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा (जारी)।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्द आजम खां)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11-12-2006 को नियम-311 के अन्तर्गत दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री राम इकबाल सिंह की है इन्होंने लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप छात्रसंघ चुनाव का निर्णय

लिए जाने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रसंघ का चुनाव रोकने एवं विश्वविद्यालय बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(श्री जगदम्बिका पाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भरत सिंह-

मेरी भी सूचना थी।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए मैं एक साथ सारी सूचनाये नहीं पढ़ता हूं। आपकी सूचना है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मेरी भी सूचना थी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना आयेगी। आपका नाम है।

***श्री जगदम्बिका पाल-**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बहुत ही लोक महत्व और सुनिश्चित प्रश्न पर, उसकी ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया है। मैं समझता हूं कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी में अप्रत्याशित रूप से छात्र असन्तोष उत्पन्न हो गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति बन गयी है। पिछले दिनों लिंगदोह समिति की सिफारिशें आईं उसकी सिफारिशों के मुताबिक छात्र संघ का चुनाव होगा। लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चुनाव कराये जाते तो कदाचित जो लखनऊ विश्वविद्यालय की जो स्थिति है और जो अन्य विश्वविद्यालयों में उत्पन्न हुई है वह उत्पन्न न होती। उस लिंगदोह समिति की सिफारिश का कुलपतियों ने अपने-अपने अनुसार व्याख्यान की है। कहीं व्याख्या में आयु सीमा को 25 वर्ष माना है, कहीं इसको जुलाई से मान रहे हैं और कहीं नामनेशन की तारीख से मान रहे हैं। 24 घण्टे में पूरे छात्रावास खाली करने के निर्देश दे दिए गए। बेटियां, लड़कियां किस तरह से अपना सामान उठाकर ले जा रही है। नवम्बर तक एडमीशन हुए हैं, दिसम्बर में पढ़ाई शुरु हुई, यदि विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल तक बन्द रहेगा तो जीरो सत्र हो जायेगा। जिस प्रकार आज प्रतिस्पर्धा हो रही है, पूरे देश के विश्वविद्यालयों का सत्र होता है और वहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पी0एम0टी0, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 और अन्य अनेक कम्पटीशन में जाना रहता है लेकिन जिस तरीके से यह फैसला किया गया है, लखनऊ विश्वविद्यालय और सभी महाविद्यालयों को अनिश्चितकाल के लिए बन्द कर दिया गया है, गोरखपुर में भी बन्द कर दिया गया है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम छात्र संघों के चुनाव भी करायेंगे और सत्र भी नियमित करायेंगे लेकिन जैसा बयान आया है, किस तरह से प्रशासन को विश्वास में लिए बिना मा0 कुलपति जी ने निर्णय ले लिया कि विश्वविद्यालय को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनिश्चितकाल के लिए बन्द कर रहे हैं। कुलपति का काम है, शैक्षणिक स्तर को सुधारना, सत्र को नियमित करना, समय की सीमा में रहते हुए पाठ्यक्रम को पूरा करना, न कि विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बन्द करना। छात्र आन्दोलन हमेशा होते हैं। मैं लिंगदोह समिति से चाहूंगा कि वह हस्तक्षेप करे, यदि छात्र के ऊपर किसी ने मुकदमा लिखा दिया, यदि मुकदमा लिख जायेगा तो वह छात्र संघ का चुनाव लड़ने से वंचित हो जायेगा। यदि कोई सजा-याफ्ता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे लोक सभा के चुनाव हों या विधान सभा के चुनाव हों लेकिन प्रशासन भी कभी-कभी इस तरह के मुकदमे लिखा देता है, जनता के भी मुकदमे होते है, कोई अध्यापक के पास गया उसने कोई बात कही, उसने उसके खिलाफ शिकायत कर दी, कोई एफ0आई0आर0 हो गई, जिसका कोई आधार भी नहीं है, तो वह भी चुनाव से वंचित होगा, तो मान्यवर, यह तो उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित करने का भी प्रश्न है। जिस तरह छात्र असन्तोष उत्पन्न हुआ है यदि ऐसी कोई उनकी मांग होती जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन जिनका दायित्व है, यदि कोई कुलपति हो गया तो वह मनमानी करे और जब चाहे विश्वविद्यालय बन्द कर दे, पढ़ाई को ठप कर दे, इससे तो सत्र जीरो हो जायेगा। अध्यक्ष जी, यह बहुत लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है अतः गम्भीर घटना के इस प्रश्न को ग्राह्य करें।

*श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, इसमें मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। लिंगदोह समिति की जो सिफारिश आई है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे स्वीकार किया है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है इसलिए उसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं, समिति की सिफारिश की व्याख्या अलग-अलग विश्वविद्यालय अपने-अपने ढंग से कर रहे हैं। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त कुलपतियों की एक बैठक हो जानी चाहिए, सरकार इसके लिए पहल करे और उसके बाद दिशा-निर्देश, आचार संहिता जो भी लागू हो, एक कामन गाइड-लाइन आ जाए और वह पूरे छात्र यूनियनों के लिए लागू हो। यदि ऐसा हो जायेगा तो परिस्थितियों में परिवर्तन होगा। किसी कालेज में कुछ लागू है, किसी में कुछ लागू है और प्रत्येक यूनीवर्सिटी अपने-अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, यदि व्याख्या में फर्क है तो मेरा सुझाव है कि किसी स्तर पर पूरे प्रदेश के कुलपतियों की बैठक होनी चाहिए और इसके लिए कोई सामान्य निर्देश, दिशा निर्देश, आचारसंहिता लागू होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, यह कानून-व्यवस्था का भी मुद्दा बन गया है, इसलिए कुलपति कोई ऐसा मुद्दा न उठायें। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं जो छात्रावास खाली कराये जा रहे हैं, यह एक ऐसा कदम है जिसकी निंदा की जानी चाहिए। मान्यवर, यह दिसम्बर का महीना है। दिसम्बर के महीने के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें प्रतियोगी परीक्षार्थी बैठते हैं। इसमें अगर पहले तय कर लिया होता कि कौन छात्र छात्रावास खाली करेंगे और कौन नहीं करेंगे तो यह स्थिति न होती। मेरा कहना है कि जो छात्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वैधानिक रुप से वहां पर रह रहे हैं उनसे छात्रावास न खाली कराए जायें लेकिन जो छात्र या अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहां अनाधिकृत रुप से रहे हैं उनसे छात्रावास खाली करायें। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों से छात्रावास न खाली कराये जायें। मेरा कहना है कि पूरे प्रदेश के कुलपतियों की बैठक बुलाकर लिंगदोह समिति की सिफारिशों की व्याख्या की जाये और मैं इस पर बल देता हूं।

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, पूरे देश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में किस प्रकार से छात्रसंघ के चुनाव हो इसके लिए लिंगदोह समिति की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। इसकी सिफारिशों को मैं पढ़ना चाहता हूं। पहली सिफारिश यह है कि छात्रसंघ चुनाव में स्नातक कक्षाओं (चार से पांच वर्षीय स्नातक प्रबंधन पाठ्यक्रमों को छोड़कर) के वही छात्र चुनाव लड़ सकते है जिनकी उम्र 17 से 22 वर्ष के बीच है। स्नातकोत्तर कक्षाओं के अधिकतम 25 वर्ष और शोध कर रहे 28 वर्ष उम्र तक के छात्र चुनाव लड़ सकेंगे। दूसरी सिफारिश यह है कि उम्मीदवार की कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। तीसरी सिफारिश यह है कि कार्यकारिणी पद के लिए एक बार और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए दो बार चुनाव लड़ सकेंगे। चौथी सिफारिश यह है कि उम्मीदवार का कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह तो अखबारों में भी आ चुका है। आप ग्राह्यता पर बोलिए।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह जानकारी के लिए है। मान्यवर, लिंगदोह समिति की सिफारिशों के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य कुछ विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव की घोषणा की गयी। मान्यवर, लिंगदोह समिति की सिफारिश की हर विश्वविद्यालय ने अलग-अलग व्याख्या की। इसके कारण छात्रों, छात्र नेताओं नें 7 तारीख को विरोध किया।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

आप चाहते क्या हैं, सीधा कहें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अभी कह रहा हूं। मान्यवर, इस समिति की सिफारिश के विरुद्ध छात्र आन्दोलन कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 8 दिसम्बर को कुलपति ने प्रेस कान्फ्रेंस में अनिश्चितकाल के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बंद कर दिया। छात्रों से भी छात्रावास खाली करने का आदेश जारी कर दिया। सरकार ने छात्रसंघ चुनाव स्थगित करने का निर्णय ले लिया। मान्यवर, मेरा कहना है कि लिंगदोह समिति की जो संस्तुतियां हैं इस पर सरकार प्रदेश के कुलपतियों के साथ बैठक कर व्यापक रुप से विचार कर ले जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर शैक्षिक माहौल न बिगड़े।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल गौर साहब ने उठाया है तो मैं गौर साहब से कहना चाहता हूं कि आपने तो प्रतिबंध लगा दिया था। हमने ही छात्रसंघ चुनाव कराना उचित समझा और छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्णय लिया। आप सभी नेतागण बैठे हैं। कितनी साजिशें हैं छात्रसंघ के खिलाफ, और आप ही बताइये कि क्या लखनऊ की कानून व्यवस्था खराब है ? लखनऊ विश्वविद्यालय बंद है। आप सब जाते हैं और कहते हैं कि यह सरकार बर्खास्त कर दो। अब भी तो आप जाइये और कहिए कि विश्वविद्यालय खुलवाइये। यह गम्भीर बात है। कौन सी मजबूरी है ? कहां कानून व्यवस्था खराब है ? कहां असंतोष है ? अगर लड़कों में रोष हो गया है और निकल पड़े सड़कों पर, उनके पास कोई हथियार तो थे नहीं, फिर भी यह कहा गया था कि लड़के बाहर से आये तो उसकी जांच हो रही है। हमने कभी निहत्थे लोगों को गोली मारने का आदेश नहीं दिया। अगर पुलिस ने ऐसा किया तो इसको हम दिखवा लेंगे। आप ही लोग बता दें कि कहां कानून व्यवस्था खराब है। जिस तरह से यह वी0सी0 कर रहा है यह मामूली बात है ? यह राजनीति का सवाल नहीं है। अगर आप लोग मौन तोड़ देंगे तो कल ही यह यूनिवर्सिटी खुल जायेगी। अगर आज छात्र संघ खत्म हो जायेगा तो, आप भी प्रमोद तिवारी जी, उसी से निकलकर आये हो, मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, राम इकबाल जी भी अध्यक्ष रहे हैं, क्या होगा ? इस तरह से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसी के माध्यम से आये होंगे। मैं केवल यहां की ही बात नहीं कर रहा हूं। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर अगर देखा जाय तो लगभग सौ लोग ऐसे होंगे जो छात्र संघ से निकलकर आये होंगे और राष्ट्रीय नेता बन गये होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि जब तक उनके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसे सजा नहीं हो सकती है और उसे अपराधी नहीं माना जायेगा। और आज क्या हो रहा है, यह आप देख ही रहे हैं। आप लोग किनका भविष्य खराब कर रहे हैं ? मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इसमें सब दल मिलकर एक बैठक करें। आज सारे लड़कों को अपराधी कहा जा रहा है, जिससे लड़के बरबाद हो रहे हैं। वी0सी0 कहता है कि यह अपराधी हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

तो उसे गिरफ्तार करवायें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जब लड़कों ने जाम किया तो वह कहता है कि अगर नहीं मान रहे हैं तो इन छात्रों को गोली मार दो, यह कहा है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने। टेलीफोन पर कहा जाता है कि गोली क्यों नहीं मारते हो। यह हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार किया है।

श्री सतीश महाना-

तो यह तो क्रिमनल अफेंस हो गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इस तरह से लोकतंत्र खत्म होता जा रहा हैं मैं अगर इधर कुछ कहूंगा तो आप उधर राज्यपाल महोदय के पास पहुंच जाओगे और उनसे कहोगे कि सरकार को बर्खास्त कर दो। आज यह वी0सी0 सारे लड़कों को अपराधी कह रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इसकी जांच करवायें। यह तो एक नर्सरी है जहां से लोग निकलते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय प्रमोद कुमार जी, वह भी कहें और माननीय राम नरेश जी भी कहें। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह समाजवादी पार्टी का कोई सवाल नहीं है, लड़के तो ज्यादा समर्थक आपके पिटे हैं, यह बात सही है।

*श्री राम नरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय यह बात सही है कि आजकल विश्वविद्यालय इस तरह के अखाड़े बनते चले जा रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है, इसको ध्यान में रखते हुए जहां तक आपराधिक प्रवृत्ति के छात्रों के खिलाफ कार्यवाही करने का सवाल है, अगर आप कदम उठाते हैं ऐसे मामले में, उसमें कहीं पर कोई विरोध की भावना नहीं है। अब जहां तक राजभवन जाने का सवाल है, उसको तो न आप मना कर सकते हैं और न हम मना कर सकते हैं, लोकतंत्र में अधिकार मिला हुआ है लेकिन इतना जरूर है कि आज विश्वविद्यालय की जैसी स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए हमारा, आप सबका दायित्व हो जाता है कि इसको ठीक किया जाय और जो गलत हो रहा है उसको रोका जाय ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सके। मेरा यह भी आपसे निवेदन है।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, जो भी हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, न तो अनुशासनहीनता ही बरदास्त करने लायक होती है और न ही यह तानाशाही। यह बालक हैं जो वहां पर पढ़ रहे हैं और जो कुलपति है, कुलपति का नाम ही अपने में है कि जिसकी जिम्मेदारी हो कि सबके हित की वह रक्षा करे, वह कुल है और कुलपति उसका पति है उसका प्रमुख है अगर वह कहे कि गोली मार दें जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर कहा तो यह बहुत ही गम्भीर बात है, मैं चाहता हूं कि इसमें कहीं न कहीं ये आपकी भी कमी रहती है कि आप इस सम्बन्ध में सबका विश्वास क्यों नहीं हासिल करते हैं और कोई कदम उठाने की बात हो तो सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करके बात-चीत करके इस समस्या का कोई हल निकाले, इसकी कोई कार्ययोजना तय करें ताकि पढ़ाई भी चले और अनुशासन भी रहे और इस तरह की स्थिति भी पैदा न हो। कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते, चूंकि आपका भी इशारा है वह अलग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात है मैं उस विषय पर कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। यह सही है कि कुलपति का अर्थ है कुल का पति, अगर वह मर्यादा के बाहर जा रहा है तो कुलाधिपति को अधिकार है उसको रोकना चाहिए अगर इस तरह की बात हो रही है कि गोली मार दो और कुलाधिपति उसके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यह भी वे अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, चाहे कुलपति हो, चाहे कुलाधिपति हो, चाहे नेता सदन हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे दलीय नेता हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए अपनी-अपनी सीमायें हैं और उस सीमा के अन्दर रह कर काम करना होगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो अवैधानिक तरीके से हास्टल में नहीं रह रहे हैं उनको हास्टल से निष्कासित करने का औचित्य क्या है ? इसका उत्तर देना होगा। जो अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं, जिनको वहां नहीं रहना चाहिए, वह रह रहे हैं। अगर कोई गलत गतिविधि कर रहे हैं तो उनके ऊपर आप ऐक्शन लीजिए, हम कुलपति की सराहना करेंगे लेकिन यह तो नहीं कर सकते हैं कि सारे हास्टल खाली करा लिये जायें, सारा विश्वविद्यालय बन्द कर दिया जाये। अगर ऐसा होगा तो उन बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा ? लोग अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं या उनको बरबाद करने के लिए भेजते हैं। यह शून्य सत्र हो जाये और जो छात्र हैं, जिनको परीक्षा देना है उन्हें वह अवसर प्राप्त न हो, यह अवसर छीनना किसी के अधिकार में नहीं है, इसलिए इसके बारे में गम्भीरता के साथ जो भी हो, राजनीति अपनी जगह पर होती है लेकिन जो दूरगामी नीतियां हैं समाज के लिए उसके बारे में एक आम राय सब में होनी चाहिए मैं तो हमेशा इस मत का रहा हूं कि उसके बारे में आप कोई निर्णय कर लें, बैठ करके कुछ इसके बारे में परामर्श कर लीजिए और इसमें हमारा सहयोग होगा, जहां पर गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए, लेकिन जहां पर अच्छा हो रहा है वहां पर हमारा समर्थन भी है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया है। मैं चार बजे के लिए सभी दल के नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि आपके चेम्बर में आ जायें। वहां पर हम लोग बैठकर निर्णय ले लेंगे।

आपको यह भी मालूम हो जाना चाहिए कि छात्रगण, पहले जो भी आदेश जारी हुए हैं कुलपति के माध्यम से, उससे वे खुश हो गये थे। कहीं किसी तरह से अशांति नहीं थी। वे सब बहुत अच्छे तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। दूसरा आदेश उन्होंने कर दिया, दो दिन बाद। उससे बात बढ़ गयी। उसमें क्या-क्या लिखा है वह आप देख लें। किसी पर मुकदमा है तो वह पर्चा दाखिल नहीं कर सकता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

32 पेज का आदेश है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

रपट किसी पर लिखी है तो वह भी पर्चा दाखिल नहीं कर सकता है। छात्र आन्दोलनों में हम भी रहे हैं, आप भी रहे हैं और यहां बहुत से लोग रहे हैं। कोई केस किसी पर चला,

फिर वह केस खत्म हो गया। अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गयी है तो वह पर्चा नहीं भरेगा या मुकदमा चल रहा है तो पर्चा नहीं भरेगा ? टी0वी0 के न्यूज चैनलों में बार-बार आ रहा है अपराधी हैं, अपराधी हैं। जो सूची का सवाल है, जहां तक मुझे जानकारी है, कुलपति ने कोई सूची नहीं दी कि इन्हें निष्कासित करना है। अब कुलपति साहब कह रहे हैं कि जिला प्रशासन का सहयोग नहीं मिला इसलिए नहीं निकाल पाये उन्हें वहां से। आप देखें किस तरह से लड़कियां रो-रो कर गयी हैं वहां से। वह निर्दोष बच्चे वहां से गये हैं। अब वह परेशान है कि जहां इन्टरव्यू होगा वहां जाना है तब तक कोई मकान खोजें और वहां रहकर हम पढ़ें। वह लोग आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब यह हालत आ गयी है। पहले यह बयान दिया कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। एक बार बता दें कुलपति जी कि कब सरकार का सहयोग नहीं मिला। कभी वे सरकार में किसी से मिले ? किसी से मिले हों तो बतायें। चीफ सेक्रेटरी से मिले हों, डी0जी0पी0 से मिले हों, हम से मिले हों तो बतायें। कभी नहीं मिले। ऐसा होता नहीं था कि कानून व्यवस्था के सवाल पर सीधे राज भवन चले गये और राज भवन का आदेश हो गया। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है। नीचे से ऊपर के लोग कह रहे हैं और सब लोग मौन होकर देख रहे हैं। सब वहां पर पहुंच जाते हैं। बिना सोचे समझे वहां पर चले गये। आप लोग चार बजे आ जाइये।

आपके नेता का एक मामला बता रहा हूं। बहुत गम्भीर मामला था। मैं रक्षा मंत्री था। माननीय अटल जी ने फोन किया कि सदन में इसे उठाना उचित नहीं समझते हैं, आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। वे और माननीय जसवंत सिंह जी आ गये। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं। नीचे आकर खड़े हो गये। बोले आइये मत। जब तक मैं चलने लगता तब तक पता लगा कि वे दोनों लोग आ गये हैं। तो वह बातें भी हैं। ऐसे नेता हैं, आदर्श हैं। सवाल उठाने से पहले बात चीत कर लें तो बहुत सी बातें हो जाती हैं। अगर कहीं किसी दल को कोई परेशानी है तो समय लेकर मिल लें। अब सीधे गर्वनर साहब से मिल लिये। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोज आ जाता है कि बर्खास्त करो। कल आप आयेंगे तो बर्खास्तगी आपकी भी हो जायेगी। ऐसा माहौल बना दिया है कि बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। चुनाव की जो बात है, फरवरी में क्यों नहीं करवाते हैं ? क्यों नहीं कहते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में सब कर लें ? जब हम जनता के बीच में जाने को तैयार हैं तो फिर बर्खास्त करने की क्या बात है ? आज ही कह दें कि 30 तारीख तक सब मतदाता सूची जारी हो जायेगी और पर्चे दाखिल 5 तारीख तक हो जायेंगे। मुझसे भूल हो गयी नहीं तो मैं नवम्बर में ही वोट आन एकाउंट फाइनल करा देता और कह देता कि दिसम्बर में चुनाव करा लिये जायें। हमें जनता के बीच में जाने का डर नहीं है। जो घबरा रहे हैं वही कह रहे हैं कि यहां की पुलिस बेईमान है, अधिकारी बेईमान हैं, वे सरकार के दबाव में बेईमानी [illegible] वे क्या जो आपने सेन्ट्रलफोर्स की बात कही है, वह ईमानदार होंगे ? केन्द्रीय सुरक्षा बल आयेगा वह भी किसी सरकार के अधीन है। आप बता दें कि कब केन्द्रीय सुरक्षा बल नहीं आया है ? हमेशा आता है। आप कह रहे हैं कि अकेले चुनाव करायें। विपक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि प्रदेश के अलग से चुनाव कराये जायें

और अन्य राज्यों के चुनाव पहले कराये जायें। तो क्या हम लोग विदेशी हैं ? समाजवादी पार्टी के हमारे साथी विदेशी हैं ? उनको अकेले घेरा जायेगा ? घेरकर हमला किया जायेगा ? फौजें तैयार की जायेंगी कि हम विदेशी हैं ?

आप सभी तो समर्थन कर रहे हैं।

श्री राम नरेश यादव-

ये समझते हैं हम आ जायेंगे तो यह असम्भव है कांग्रेस पार्टी के रहते हुए।

श्री मुलायम सिंह यादव-

कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, माननीय राम नरेश यादव जी खुद नहीं कर रहे हैं, यह सच है। आप चिन्ता मत करिये। अगर कांग्रेस नाराज हो जायेगी तो चिन्ता की बात नहीं है।

डेमोक्रेसी तो रहे किसी पार्टी में, हमारे यहां है। हम लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी हो। अगर पार्टी के अन्दर लोकतंत्र नहीं है तो देश के अन्दर लोकतंत्र कैसे चल सकता है ? यह लोकतंत्र आप देखते हैं, हम नहीं कहते हैं। एस0पी0, बी0एस0पी0, कांग्रेस पार्टी हो। जो उचित समझता हूं वह जवाब देता हूं, वही करता हूं। यह कभी सुना, आप तो थे नगर विकास मंत्री। आपको 2-3 बार टेलीफोन किया था एक निजी काम के लिए। नहीं कर पाये थे, मजबूरी थी आपकी, करना चाहते थे। आप जानते हैं और हम जानते हैं, नहीं कर पाये। अब पोलिटिकल आदेश था, सब कुछ किया लेकिन नहीं कर पाये। आपकी नीयत पर नहीं हमला करूंगा, आपकी कोशिश थी कि काम हो जाय। वैसे ही हम कहना चाहते हैं यह गम्भीर मामला है। छात्रों की जो प्रतिक्रिया हुई तो दूसरा आदेश किया गया, उससे हुई। वह आदेश बिल्कुल ही गलत है। हमको आपको सोचना चाहिए। यह कोई नहीं सोचेगा कि अपराधी है तो सजा न हो जाय। रपट किसके नाम नहीं है ? रपट तो आपके नाम भी लिखी थी और मंत्रियों को ..... और मंत्रियों देखें कहां-कहां कायम है। यह मत देखो। आजम खां को आप कैसा मानते हैं ? बता दो आप। इसलिए हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, कि आप भी इसमें पहल कीजिए, आप भी अपने स्तर से पहल कीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

4.00 बजे हम आपके कक्ष में आ जायेंगे। इसे गम्भीरता से आप लें और सदन गम्भीरता से ले और अच्छा हो। प्रस्ताव भी करें तो और अच्छा हो।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब इतना अच्छा किसी मौजू पर माहोल हो और सदन में कई मौके ऐसे आये हैं जिसमें सारे सदन ने निर्णय लिया है और गम्भीरता से लिया है। यह तो लखनऊ की यूनिवर्सिटी है यह है तो उत्तर प्रदेश की लेकिन पूरी

दुनिया में इसकी ख्याति बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हो, इसलिए इसको बड़े सम्मान से देखा गया है। इसलिए यहां पर जो चांसलर हैं, वाइसचांसलर हैं या स्टूडेन्ट हैं, स्टाफ है सब का अपना चरित्र है और ऐसा कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए जिससे प्रदेश की बदनामी हो। माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और कांग्रेस पार्टी ने गम्भीर रुख अख्तियार किया है। सब का मत है कि लोकतंत्र में छात्रसंघ को कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसा विश्वास इसलिए है कि आज सदन में जितने लोग बैठे हैं जिनको हम नुमाया कह सकते हैं माननीय नेतागण हैं सभी यूनियन से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। हमें तो यूनियन की ऐसी सजा मिली कि हम तो किसी राजनैतिक दल का चुनाव ही नहीं लड़ सकते थे इमरजेंसी में पौने दो साल जेल में बन्द रहे। एल0एल0एम0 कर रहे थे फाइनल सेमिस्टर था बच्चों को पढ़ाते थे, अच्छाखासा भलाई का काम करते थे जो नहीं कर सके। तो यूनियन को कमजोर नहीं होना चाहिए, यूनियन को मजबूत होना चाहिए। आज इस तरह का माहौल बना है जिसमें नेता विरोधी दल की भी सहमति है और जब आप दोनों की सहमति है तो जाहिर है कि पूरे दल की सहमति है। तो इस तरह का प्रस्ताव हो जाय कि भविष्य में कोई भी विश्वविद्यालय जब तक सरकार को विश्वास में न ले ले तब तक यह न हो। किसी तरह का कोई सम्पर्क चांसलर ने नहीं किया। किसी तरह का कोई सम्पर्क चांसलर ने नहीं किया न शासन से न प्रशासन से। किस प्रकार से हास्टल बन्द करने का फैसला हुआ, यूनिवर्सिटी बन्द करने के साथ-साथ हास्टल को खाली कराया, कोई भी टकराव हो सकता था। उन्हें पहले चाहिए था कि पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते, पी0ए0सी0 लेते, सी0आर0पी0एफ0 लेते ताकि माहौल अच्छा रहता। कितना गम्भीर आरोप है कि कोई चांसलर अपने बच्चों पर गोली चलाने के लिए कहे। हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और वाइस चांसलर का घेराव भी किया है, ऐसे भी दिन आये हैं जब फोर्सेज ने घेर लिया दिल्ली से टेलीफोन आया कि आप मारे जाओगे गोली चलाने के आदेश दे दो लेकिन गोली चलाने की इजाजत नहीं दी गई। इसलिए मैं उन अधिकारियों के संयम की सराहना करूंगा जिन्होंने उनके आदेश को नहीं माना। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा होगा कि सदन इस बात के लिए सहमत हो, नेता सदन सभी नेताओं के साथ बैठकर कोई सहमति बना लें लेकिन इस वक्त सदन की सहमति से नेता सदन जो कार्यवाही करना चाहें उसके लिए नेता सदन को यह सदन अधिकृत कर दे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा बनाने के लिए जो भी कार्यवाही वह करना चाहें, कर सकते हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस है लेकिन ऑटोनॉमस के नाम पर मनमानी नहीं होनी चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूं लेकिन एक विश्वविद्यालय में कोई घटना हो और उसका प्रभाव सभी पर पड़े, इस पर विचार कर लें। हम लोग पूरी तरह से साथ हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल बने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है उसके अनुरूप सभी लोग इस पर बैठकर विचार कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें कहीं से इम्प्रेशन नहीं है कि लखनऊ विश्वविद्यालय का माहौल दूसरी यूनिवर्सिटी पर थोपा जाए। हर विश्वविद्यालय का अपना माहौल है, अपना चरित्र है, अपना काम करने का तरीका है। इस वक्त सारी बातें केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में हैं।

श्री अध्यक्ष-

आज चार बजे इस विषय पर मेरे कक्ष में बैठक होनी है, इसलिए मेरा सभी दलों के माननीय नेताओं से, मौर्या जी आपसे, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग मेरे कक्ष में उपस्थित हों।

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया कि यह सदन लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थिति सुधारने और उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए और उसमें जो अव्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी अधिकृत हैं, से यह सदन सहमत है ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, बैठक में निर्णय ले लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नेता सदन मुख्य मंत्री होने के नाते केवल लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए अधिकृत हैं और इसे ठीक करने के लिए जो भी उपाय उठायेंगे, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने पाल साहब, गौर साहब तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना और इस पर चूंकि आज चार बजे बैठक होगी, इसलिए मैं इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूं।

श्री भरत सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम-56 के तहत सूचना दी थी और आपने हमें उस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, 05 दिसम्बर को बलिया में ग्राम बादिलपुर थाना हल्दी के डा0 सीताराम, जो कि बलिया के सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं, उनके लड़के का तिलक महोत्सव था। उस तिलक महोत्सव में रात में कुछ असामाजिक तत्वों, अपराधियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। एक व्यक्ति चन्देश्वरी प्रसाद सिंह, वह बी0सी0सी0एल0 में जी0एम0 थे और उनके समधी थे। डा0 सीताराम के समधी की हत्या हो

गई और एक गंरया के मनोज मिश्रा की हत्या कर दी गयी, दो अन्य लोगों को गोली लगी। अपराधियों ने किसी षडयंत्र के तहत यह हत्या की। डाक्टर साहब के परिवार के लोगों ने तत्काल हल्दी थाने को सूचना दी। बलिया के पुलिस मुख्यालय को सूचित किया गया। बलिया-बैरिया मार्ग बहुत खराब स्थिति में है, उस पर चलना मुश्किल है। 20 कि0मी0 की दूरी पुलिस अधीक्षक ने मात्र 18 मिनट में तय कर ली।....

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप लोगों से आग्रह है कि अपनी सीटों पर बैठ जायं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी विधायकों को उपलब्ध नहीं होते हैं इसलिए सदन में मुख्य मंत्री जी को घेर लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है, दो-चार लोगों को छोड़कर सभी लोग बैठे हैं।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक तत्काल डाक्टर सीताराम के आवास पर पहुंचते हैं और परिवार के लोगों से घटना के बारे में कुछ नहीं सुनते हैं, न ही उनकी तहरीर लेते हैं बल्कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं और डाक्टर सीताराम के अनुज डा0 अशोक सिंह, डा0 सीताराम के लड़के डा0 विनोद सिंह, डा0 वैभव सिंह और डा0 अशोक सिंह के लड़के अभिषेक चारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और फर्जी तहरीर लेकर आई0पी0सी0 की धारा-304 के तहत मुकदमा कायम कर इन लोगों को जेल भेज दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक ने इतनी त्वरित रूप से पहुंचने का काम किया जो मुश्किल है। पीड़ित परिवार डा0 सीताराम सिंह जिनके घर पर समारोह है, अपने ही समधी की हत्या कैसे करा सकते हैं यह सोचने की बात है ? यह निश्चत रूप से बहुत ही गम्भीर साजिश किया गया है, षडयंत्र किया गया है और इसमें प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। अपराधियों को बचाने के लिए तहरीर ली गयी, यह जो अपराधी आकर हत्या कर गये, उनको बचाने का षडयंत्र है। क्या कोई डाक्टर अपने समारोह में इस प्रकार ही हत्या करा सकता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के माध्यम से यह मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करायी जाए। इसके साथ ही मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरी घटना की सी0बी0आई0 से जांच करायी जाए। चारों डाक्टरों पर जो मुकदमा प्रशासन ने कायम किया है उसको वापस लिया जाए और उनके तहरीर पर अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाए।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा इधर ध्यान दें। आज पूरे बलिया की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही खराब है। अभी 4 दिसम्बर को बैरिया थाने में

9.30 बजे दिन में विदेशी सिंह नामक लड़के ही हत्या कर दी गयी और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। दो महीने के अन्दर दर्जनों चोरियां हुई।....

श्री अध्यक्ष-

आपकी जो सूचना है उसी पर बोलिये।

श्री भरत सिंह-

लेकिन आज तक पर्दाफाश पुलिस ने नहीं किया। बैरिया थाने में पुलिस चौकी से 50 मीटर दूरी पर 4 तारीख को विदेशी सिंह की हत्या कर दी गयी और अभी तक अपराधी घूम रहे हैं पकड़े नहीं गये हैं। 5 दिसम्बर को बाबू बेल में इतनी बड़ी घटना हुयी और उसमें निर्दोष डाक्टरों को पुलिस प्रशासन ने फंसाने का काम किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाय। पूरा बलिया आन्दोलित है, पूरा चिकित्सा समाज आन्दोलित है, जनता मर्माहत है इसलिए में चाहूंगा कि अध्यक्ष जी इस पूरी घटना की सी0बी0आई0 से जांच करवाई जाय। बलिया में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, होमगार्ड का एक दरोगा बेरिया में पोस्टेड है, पूरे जिले में होमगार्ड के लोग तैनात हैं। वह लोग खुले आम दारू पीने का काम कर रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ मिलाने का काम कर रहे हैं। पूरे जनपद की यह स्थिति है। मेरा विधान सभा क्षेत्र जो छपरा और भोजपुर से लगा हुआ है पूरा संगीन इलाका है और वहां अपराध बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस घटना की गहराई से जांच कराकर ठोस कार्यवाही की जाय। इस मामले की जांच सी0बी0आई0 से कराने की आवश्यकता है इसके अलावा जो डाक्टरों पर मुकदमे कायम किये गये हैं उनको वापस लिया जाय। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य हमारे पुराने मित्र हैं और जेल के साथी हैं। सबको छोड़ा जा सकता है, जेल के साथी को नहीं छोड़ा जा सकता। हम तो इनकी सही तो सही, गलत भी मानते हैं। अब वह सदन में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं तो बोलने का मौका कहां से मिले। सारा जितना भी उधार था अब तक का आज आपने चुकता कर लिया। तो आपकी एक मांग तो पूरी हुयी।

श्री भरत सिंह-

मैं सदन में बराबर आता हूं। पिछले साल में 2-4-5 दिन सदन से अनुपस्थित था। कहना आपका सही नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अच्छा मैंने अपने अल्फाज वापस लिये। मगर सदन में आना किस काम का जब आपकी मौजूदगी पता न चले। आज आपने चाहा बोलना, बोल लिये।

श्री अध्यक्ष-

उनकी मौजूदगी पता लगाने के लिए बहुत प्रोत्साहित न करिये नहीं तो मेरे लिये समस्या हो जायगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दो प्रश्न थे एक तो आपको बोलने दिया जाय, आप बोले, यह समस्या हल हो गयी। दूसरा जांच का मामला है, और कानून है देश में आप जानते हैं, हत्या सबसे बड़ा अपराध है। 302 के बाद 303 कोई दफा ही नहीं है। इतना बड़ा अपराध हो गया तो कोई न कोई तो होंगे ही, अब मान्यवर, एफ0आई0आर0 हो गयी है तो गिरफ्तारी होगी 302 में। अब अगर कहीं कोई गलती हुयी है, तो जांच पुलिस खुद करती है।

श्री भरत सिंह-

डी0आई0जी0 के जिम्मे जांच लगा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप प्रोत्साहित कर रहे थे। बहुत प्रोत्साहित न करिये नहीं तो मेरे लिये समस्या पैदा करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, वह तो एक प्रोसीजर है लॉ का, वह तो एडाप्ट होगा उसमें न मैं कुछ कर सकता हूं और न कुछ आप कर सकते हैं। 302 की रिपोर्ट है, नामजद रिपोर्ट है, गिरफ्तारी न होती तो आप कहते कि देखिये हत्यारे घूम रहे हैं एक चीज आपने मानी उसका मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि जितने किलोमीटर का फासला था उससे कम मिनट्स के अन्दर वहां पुलिस अधीक्षक पहुंच गये। तो जो प्रशासन इतना चुस्त-दुरुस्त है उससे यह उम्मीद करना कि वह नाइंसाफी करेगा यह ठीक नहीं है। फिर भी इसको दिखवा लेंगे और कहीं भी कोई नाइंसाफी नहीं होने दी जायगी।

श्री भरत सिंह-

प्रशासन अपराधियों के साथ साजिश में शरीक है यह सिद्ध है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह गम्भीर प्रश्न है कि प्रशासन अपराधियों के साथ साजिश में लिप्त है। ऐसे अधिकारियों में कौन साजिश में लिप्त हैं इसकी जांच भी होगी और आवश्यक कार्यवाही भी होगी।

श्री भरत सिंह-

जो पूरा बलिया का दोआबा क्षेत्र है वहां की आम जनता को पता है फायरिंग को सैकड़ों लोगों ने देखा है और लोग कहते हैं कि पुलिस अधीक्षक मारने वालों को जानते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप तो विधायक हैं पुराने हैं, पढ़े लिखे हैं एक एफ0आई0आर0 दर्ज होती है हत्या की एफ0आई0आर0 मृतक के सम्बन्धी जन लिखाते हैं उसी आधार पर कार्यवाही होती है। अगर सभी लोगों ने मारने वालों को देखा है तो उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई होगी। इसकी भी जांच करवा ली जायेगी।

श्री भरत सिंह-

एफ0आई0आर0 मनोज मिश्र के पिता को प्रेसराइज करके डाक्टर के खिलाफ लिखवाई गयी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसकी हमें लिखित मिल जाय तो बढ़िया जांच हो जायेगी अन्यथा आपने जो कहा है उसके आधार पर जांच हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर भरत सिंह को व संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद यह नियम 56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री लाल जी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना है। नम्बर में कुछ पिछड़ गई है जब नम्बर आए तब बोल लीजिएगा। इस पर मैं आपको सुनूंगा व संसदीय कार्यमंत्री को भी सुनूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम सभी लोगों ने 311 की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

इसका नियम 311 में औचित्य नहीं है मेरा निवेदन है कि 311 में मत दिया करिए। इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं पीठ का हमेशा सम्मान करता हूं। वह प्रकरण अलग था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है एक आदमी कोई बोल ले।

श्री इन्द्र जीत सरोज-

आपने महत्वपूर्ण घटनाओं पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। संविधान निर्माता डा0 बाबा भीम राव अम्बेडकर जी का अपमान आज पूरे प्रदेश में हो रहा है। जीते जी वह अपमानित होते रहे और आज जब वह दुनियां में नहीं हैं तब भी कुछ शरारती तत्व उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। पांच दिसम्बर की रात को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ला फैकल्टी में जहां डाक्टर भीम राव अम्बेडकर की बहुत पुरानी मूर्ति है तो पांच तारीख की रात को कुछ शरारती तत्वों ने मूर्ति के हाथ तोड़ दिये मूर्ति की आंख फोड़ डाली, चश्मा तोड़ दिया। अलीगढ़ के कस्बा छर्रा के अन्तर्गत 5 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे वहां भी बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई और इसी तरह से 7/8 दिसम्बर की रात में मदनपुर उर्फ प्रतापपुर थाना

करण्डा में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई। मान्यवर, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। हमको जैसे ही सुबह पता चला हम वहां पहुंचे। 6 दिसम्बर को बाबा साहब का परनिर्वाण दिवस हाई कोर्ट चौराहे पर बराबर मनाया जाता है। वहां पर छात्र और बाबा साहब को मानने वाले लोग इस घटना से आन्दोलित हो जाते हैं और आन्दोलन करने लगते हैं। जैसे ही हम लोगों को घटना की सूचना मिली हमने डी0एम0 और एस0एस0पी0 को यह इन्श्योर किया कि हम लोग अपने लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और कोई भी दंगा वहां नहीं होने देंगे। हमने उन आन्दोलनकारियों को समझाया कि देखो आपको यह बड़े पैमाने पर आन्दोलन करने की जरूरत नहीं है इसमें वर्ग संघर्ष हो सकता है इसलिये शांतिपूर्ण तरीके से हमने प्रशासन से बात की कि वहां पर आप दूसरी मूर्ति लगवा दें। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बाबा साहब जी का एक सुनियोजित ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश में अपमान हो रहा है। जगह-जगह पर उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। अभी कानपुर में इतना बड़ा दंगा हो गया। इतनी मूर्तियां तोड़ी गईं वहां आज तक खुलासा नहीं हो पाया। आजमगढ में भी मूर्ति तोड़ दी गई। मान्यवर, यह एक गहरी साजिश है प्रदेश में वर्ग संघर्ष कराने की साजिश है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि इसकी सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए। अभी उस दिन कानपुर की घटना के विषय में बिना कोई जांच रिपोर्ट आये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि यह सब बी0एस0पी0 के लोगों ने कराया है।

श्री अध्यक्ष-

अब वह बात खत्म हो गई। आप इलाहाबाद की घटना में कहां उसको ला रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

इसमें सी0बी0आई0 की जांच होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं बराबर हो रही हैं इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। बाबा साहब जी का हम लोगों पर विशेष कर हम दलित लोगों पर विशेष उपकार है। अगर उनका उपकार न होता तो 24 सितम्बर, 1932 को हम दलितों को यहां पर वोट देने का अधिकार उन्होंने दिलाया जो संविधान में लिपिबद्ध कराने का काम किया है जिसके तहत हम यहां चुनकर आते हैं। आज उस मसीहा का अपमान हो रहा है। करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए। ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों और यह जो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होने की नौबत आ रही है वह न होने पाये और उस पर अकुंश लगे। इसलिये निवेदन है कि सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी, आपके दल के सदस्य हैं उनके क्षेत्र का मामला था वे इस पर बोल लिये हैं अब इस पर सरकार का पक्ष आ जाने दीजिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने तो जितना समय था उससे कम समय में अपनी बात रख दी है। औरों को भी सुन लीजिये।

(माननीय डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर व स्वामी प्रसाद मौर्य जी के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब आपका तो नाम नहीं था।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र का है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, गौर साहब बोल लें, मैं फिर बोल लूंगा।

*डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में यूनिवर्सिटी परिसर का मामला है। मान्यवर, बाबा साहब राष्ट्रीय महापुरुष हैं और हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। आज जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं वह नहीं होनी चाहिए। इसलिये मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं स्वयं उस स्थान पर गया था। मैं जहां पर रहता हूं वहां से 50 कदम पर लॉ फैक्लिटी के अन्दर बाबा साहब की बहुत भव्य प्रतिमा पहले से बहुत अच्छी लग गई है। इसके लिये मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इसलिये यह कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसका सरकार संज्ञान ले लें।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मान्यवर यह घटनायें निरन्तर विगत 15 दिन से लगातार बढ़ती जा रही है। 29 नवम्बर, 06 को मान्यवर, कानपुर की घटना हुई। 5/6 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना हुई। 5-12-06 को अलीगढ़ में मूर्ति तोड़े जाने की घटना हुई 8 दिसम्बर को खंडवा गाजीपुर में अम्बेडकर प्रतिमा तोड़े जाने की घटना हुई। 10 दिसम्बर, 2006 को डा0 अम्बेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त किये जाने की घटना हुई। 15 दिन के अन्दर आधे दर्जन से ज्यादा डा0 अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की घटनायें घटी है। इससे यह लगता है कि इसके पीछे कोई न कोई साजिश है और इस देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने वाले, इस देश के प्रथम कानून मंत्री, संविधान के निर्माता और साथ ही साथ करोड़ों लोगों के दिलों से जुड़ी भावनाओं के प्रतीक, महापुरुष के रूप में डा0 अम्बेडकर का इस तरह से अपमान किया जाना, इससे यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगता है कि तमाम लोग जिनकी भावनायें उनसे जुड़ी है उन लोगों को कहीं न कहीं उकसाने की साजिश की जा रही है। मैं नहीं चाहता उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा हो। मैं चाहता हूं कि जो यहां साम्प्रदायिक सौहार्द है वह बना रहे जो लोग साजिश करने वाले हैं उनकी समाज को बांटने की साजिश कारगर न हो। वह अपने मंसूबों में कारगर न हों इसलिए सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग उत्तर प्रदेश को आग के हवाले करना चाहते हैं। डा0 अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़कर साम्प्रदायिक हिंसा, जातिय द्वेष और समाज को बांटने की कोशिश करना चाहते हैं। यह मामला इसलिए भी गम्भीर है क्योंकि हमको शौक नहीं है कि किसी चीज को हम बार-बार उठावें। लेकिन जैसा कि बार-बार माननीय नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को शान से कहते हैं कि कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। इस पर सवालिया निशान लगता है। बार-बार घटनायें घट रही हैं। अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ने वालों का खुलासा होना चाहिए। कानून राज्य क्या यही है। अपराधी जिस तरह से कारगर साबित हो रहे हैं और कानून सो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इसके पीछे जो साजिश करने वाले लोग हैं उनका खुलासा होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से विनम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें सी0बी0आई0 की जांच कराएं। एक वाकये का उल्लेख और करना चाहता हूं। क्योंकि वहां से उस दिन भले ही सामान्य प्रकार से, जैसे कि संसदीय कार्य मंत्री जी हास्य विनोद करते हैं उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 वालों ने तुड़वाया। इनके महासचिव ने कहा कांग्रेस ने तोड़ा। कुछ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने तोड़ा कुछ कहते हैं कि भा0ज0पा0 की साजिश है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भा0ज0पा0, ब0स0पा0 किसी की साजिश है इसका खुलासा होना चाहिए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

भा0ज0पा0 का नाम लिया तो यह भी बता दें कि किसने किया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

ओछी राजनीति है इस तरह का आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

बात खत्म हो गई।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस गम्भीर प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। जिससे हिंसात्मक कार्यवाही प्रदेश में न हों।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया है, मा0 बसपा नेता ने, वह पूरी तरीके से निराधार और बेबुनियाद हैं और यह सदन को गुमराह करने वाला है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं एक निवेदन करूंगा, तमाम अखबारबाजी हो रही है और इस घटना से मा0 अध्यक्ष जी भी दुखी हैं। मान्यवर, भारत जैसे देश में बाबा साहब जैसे महापुरुष का अपमान बर्दास्त नहीं किया जा सकता। एक चर्चा हो जाए, सी0बी0आई0 से जांच कराने की मांग जो है, लेकिन आप पीठ से निर्देश दे दें, आप एक घण्टे, आधे घण्टे, दो घण्टे जितना भी सम्भव हो, सदन में इस पर चर्चा करा लें। मान्यवर, आप भी चाहते हैं कि इस देश में ऐसे किसी भी महापुरुष का अपमान न हो। किसी महापुरुष का कहीं हाथ, कहीं पैर तोड़ रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जायेंगी, क्या भारत का यही संस्कार है ? आप चर्चा जरूर करा दें, मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, शायद बात थोड़ा इधर-उधर हो गई, मेरी कभी भी यह मंशा नहीं रही जैसा बहुजन समाज पार्टी के साथी ने बात कही, लेकिन इतना जरूर है और यह देखना चाहिए कि इससे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का कितना फायदा है या किसको कितना नुकसान है ? हमें लगता है, हम सत्ता में हैं हम ऐसा कोई काम करेंगे तो इससे हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान होगा, यह मैंने कहा था। राजभर जी बैठे हैं, मैंने कहा था कि इस बात पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता और बड़ी शख्सियत थे और किसी को इससे इन्कार नहीं होगा। मैंने कहा था जो ऐसे लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, यहां तक कहा कि जो मुसलमान हैं, यदि संविधान नहीं होता तो उनको जीने के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता। पूरी इन्सानियत पर उनका कितना योगदान है लेकिन आप भी जानते हैं कि कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जिससे हर व्यक्ति और हर मूर्ति को प्रोटेक्शन दिया जा सकता हो। हमारी बात को अन्यथा न लें, इराक में अमेरिका की फौजें हैं, कितनी ताकतवर अमेरिका की फौजें हैं लेकिन क्या वह अपनी फौज के हर सैनिक की हिफाजत कर पा रही हैं, कितने उसके सैनिक मारे जा रहे हैं इसलिए हमें बैठकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। मा0 राजभर जी से मैंने यहां तक कहा था मूर्ति चाहे कोई सामाजिक संस्था लगाये, कालेज या यूनीवर्सिटी लगाए या कोई अपने तौर पर लगाये, उसकी सुरक्षा कैसे हो, यह भी तय करना होगा, कोई न कोई रास्ता निकालना होगा कि यदि प्रतिमा लगायें तो उसकी जगह कैसे होगी, कहां होगी, उसकी सुरक्षा कैसे होगी ? मैंने यहां तक कहा कि हैवी ग्रिल हों जिससे वह छिपे भी नहीं और कोई हाथ भी न लगा सके। प्रतिमा चाहे कोई व्यक्तिगत संस्था लगाये या सरकार लगाये लेकिन उसके बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके।

मान्यवर, अगर प्रतिमा के साथ कोई शरारत करता है तो उसकी जितनी भी निंदा की जाये कम है। प्रतिमाओं का आदर करने का माहौल बनाने की आवश्यकता है। जैसे अभी आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हो गये। आप हमारा नाम ले लें तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो सत्ता में है वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में क्यों ऐसा माहौल बनाएगी कि कल महामहिम इस बात को कहें कि प्रदेश का माहौल अच्छा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और हम सभी बैठ कर यह तय कर लें कि प्रदेश के अन्दर कैसे प्रतिमाओं की रक्षा हो। मान्यवर, इस पर आप जैसा चाहें वैसा निर्णय ले लें लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता इस पर चर्चा चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जब संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं तो मैं इस पर आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं। लेकिन इसके बाद मैं चाहता हूं कि सभी दलीय नेताओं की बैठक में भी इस पर विचार हो जाय। उक्त सूचना अग्राह्य करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आज सभी दलीय नेता दूसरे प्रकरण पर विचार के लिये बैठ रहे हैं तो मेरा आग्रह है कि इस विषय को भी आज की दलीय नेताओं की बैठक में रख लें ताकि सभी इस पर बात करलें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने लोकमहत्व के विषय पर, ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, ग्रेटर नोएडा का एक इंस्टीट्यूट एन0आई0एम0टी है। उसने इस वर्ष बिना किसी वैधानिक मान्यता के 66 छात्रों का प्रवेश अपने यहां बी0टेक0 प्रथम वर्ष में दे दिया। इन छात्रों ने फीस जमा की और जो भी शर्तें थीं उसको पूरा करने के बाद प्रवेश लिया। 31 जुलाई, 2006 की रसीद में फीस की राशि 45 हजार 500 रुपये है। लेकिन बाद में पता चला कि वहां तो इसकी मान्यता ही नहीं है। जो विद्यालय यू0पी0 टेक्निकल विश्वविद्यालय की मान्यता पाते हैं। वह यू0 पी0 टेक्निकल विश्वविद्यालय की शर्तें पूरी करने के बाद मान्यता पाते हैं। वह मान्यता ग्रेटर नोएडा के इस विद्यालय को नहीं दी है। जब यह बात छात्रों को पता चली तो उन्होंने मैनेजमेंट से सम्पर्क करके अपनी बात रखनी चाही और उन्होंने कहा कि हमारा कैरियर नहीं बरबाद हो, हमारी फीस वापस करो। कई बार बातचीत हुयी ताकि किसी प्रकार से साल बच जाये। लेकिन सारी बातों का नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सारे प्रयास निष्फल रहे। तीन दिसम्बर को 4 लड़कों-सिद्धार्थ, हेमन्त, आरिफ अली और वसीम ने जिला मजिस्ट्रेट से मिलकर आग्रह किया कि हमें धोखाधड़ी से बचाएं और हमें न्याय दिलायें। इस सम्बन्ध में एक लिखित प्रार्थना-पत्र जिला मजिस्ट्रेट को दिया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने जांच एंव कार्रवाई करने का आश्वासन इन्हें दिया। लेकिन आज 11 तारीख हो गयी है उस सम्बन्ध में कोई सार्थक प्रयास होना प्रतीत नहीं होता है। यह बहुत बड़ा अहम मसला है, 66 लड़कों का भविष्य

अंधकारमय है। जिस विश्वविद्यालय में यह पढ़ रहे थे और जहां कक्षाएं संचालित हो रहीं थीं, वह अवैधानिक कालेज हैं। उनको कहां से परीक्षा दिलायी जायेगी यह अन्सरटेन है।

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाहते हैं यह बतायें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं दो तीन मांगें रखना चाहूंगा। एक तो यह कि उन लोगों की फीस वापस की जाय, दूसरा उनको किसी न किसी विश्वविद्यालय में शामिल करके परीक्षा देने का मौका दिया जाय। अगर यह सम्भव नहीं हो रहा हो तो उनका एक साल का मुआवजा दिलाया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हर यूनिवर्सिटी के मानक अलग-अलग हैं। क्या मेरिट लिस्ट बनती है यह तो आप भी जानते हैं। जहां तक एक जगह से दूसरी जगह परीक्षा दिलाने की बात है तो यह संभव नहीं हो सकता। कम्पनसेशन की जहां तक बात है तो सरकार को इसका अधिकार नहीं बनता है। आप बतायें कि कैसे यह हो सकता है तो इसमें विचार कर लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

धोखाधड़ी का मामला बन सकता है इसमें एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायें।

श्री अध्यक्ष-

यह बात सही है कि ये लोग लड़कों को भरमाते हैं, एडमीशन ले लेते हैं और बाद में पता चला है कि यह आथराइज्ड नहीं है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा कि जो वैधानिक कार्यवाही हो वह करें। उक्त सूचना अग्राह्य करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं खुद कह रहा हूं कि इसमें कार्यवाही की जायेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरठ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मेरठ रोड गाजियाबाद में आई0ए0एम0आर0 इंस्टीट्यूट खुला है। इसमें 2005-2006 में 44 छात्रों ने इंटीग्रेटेड एम0 टेक0, बायोटेक के पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। इसमें तत्कालीन कुलपति श्री आर0 पी0 सिंह और श्री सुरेश चन्द्र भरद्वाज की मिलीभगत से इसे एकडमिक काउन्सिल से अनुमति न मिलने के बाद भी इस संस्थान को उ0 प्र0 शासन और राजभवन को गुमराह करते हुए मान्यता दिला दी। बाद में जब यह प्रकरण एकडमिक काउन्सिल के सामने आया तो इसकी मान्यता को निरस्त कर दिया। इस प्रकरण में 21-10-2005 को प्रो0 ए0 पी0 गर्ग की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने अपनी फाइन्डिग्स में यह पाया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने एकडमिक काउन्सिल का फर्जी प्रस्ताव बनाया और इस प्रस्ताव को बनाने में डा0 आर0 पी0 सिंह व डा0 संजीव कुमार शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समिति ने दिनांक 28-5-2005 को अपनी अंतरिम आख्या जमा कर दी है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें डा0 आर0 पी सिंह

और संजीव शर्मा को दोषी पाया गया। मान्यता रद्द होने के पश्चात् यह छात्र सड़कों पर उतर आये। छात्रों ने इस सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन दिया कि हमारी गलती नहीं है तो इस पर विश्वविद्यालय ने 2005-06 के सत्र में अपने विश्वविद्यालय में जो कालेज था, सर छोटू राम इन्स्टीट्यूट, इसमें बी0 टेक और बायोटेक में दाखिला दिला दिया और तीस लाख फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन करा दिया, इन्रोलमेंट करा लिया। प्रवेश-पत्र की फोटो कापी में आपको दे दूंगा और इनका इम्तिहान ले लिया। मान्यवर, इन छात्रों का एक सेमिस्टर का इम्तिहान ले लिया। आज वर्तमान में जो वी0 सी0 हैं, प्रो0 एस0 पी0 ओझा, जिन्होंने उस समय सदाशयता दिखाते हुए उन 44 छात्रों का दाखिला लिया था, फीस के तीस लाख रुपये भी उन छात्रों ने जमा कर दिये थे, आज उनकी पढ़ाई बन्द करा दी है और यह कह रहे हैं कि आप उसी कालेज में वापस ले लें। पिछले सात दिनों से वह 44 छात्र छात्राएं वी0 सी0 के कमरे के आगे बैठे हैं। आखिर इन छात्रों की गलती क्या है ? फर्जी प्रस्ताव बनाकर इनको मान्यता दिला दी और आज यह लोग सड़क पर आ गये हैं। बच्चों को सर छोटूराम इंस्टीट्यूट में प्रवेश दे दिया गया 30 लाख रुपये उनसे फीस ले ली गयी और उनकी सेमेस्टर की परीक्षा भी करा दी गयी और अब कहा जा रहा है कि आपका प्रवेश निरस्त कर दिया गया है, अब आप यहां नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप कहीं और जाकर पढ़ाई करो, कहीं दूसरी जगह जाकर प्रवेश लो। तो यह इतनी बड़ी विसंगति पैदा हो गयी। मैं आपसे कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहा हूं और ग्राह्यता पर बोलते हुए आपसे कृपा पूर्वक मांग करना चाहता हूं कि आप स्वयं इसमें हस्तक्षेप करें और सरकार को निर्देश दें कि इन छात्रों को अब यथावत् सर छोटू राम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मेरठ विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ने दें। साथ ही इन 44 बच्चों का अगला सत्र बेकार न जाय, इसके लिए कोई व्यवस्था करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे, इसका परीक्षण करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप इसको दिखवा लें, सूचना अग्राह्य करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, इसमें आप सिर्फ इतना कह दें कि सरकार इस सम्बन्ध में जांच करा ले ताकि बच्चों की पढ़ाई चलती रहे वह बाधित न हो और उनका वर्ष बरबाद न हो। मान्यवर, मैं इसमें यह भी चाहूंगा कि सरकार इसमें जांच करा कर उचित कार्यवाही करके सदन को भी अवगत करा दे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बिल्कुल सही है लेकिन शिक्षा का स्तर नीचे न गिरे इसको भी ध्यान में रखा जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

इसमें शिक्षा के स्तर की बात कहां से आ गई ? इसमें सरकार को कोई स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है, वह इसको दिखवा लेंगे।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, यह हमारे क्षेत्र के गन्ना किसानों से सम्बन्धित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कृपापूर्वक मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब कोई अवसर नहीं प्रदान किया जायेगा। आप अपने स्थान पर शान्तिपूर्वक बैठ जायें।

छठी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तरवां में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार सदन की वेल में आकर रिपोर्ट्स टेबिल के पास खड़े होकर अपनी बात कहने लगे)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

सातवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद लखनऊ स्थित बालागंज-हरदोई रोड में आजाद नगर योजना स्थित भूखण्ड संख्या-एस0एस0/414(ए) के निबन्धन की कार्यवाही न कराये जाने के सम्बन्ध में है, इस सम्बन्ध में मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

आठवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा विश्वविद्यालय से हटाये गये कुलपति को पुनः कुलपति बनाये जाने पर विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर अराजक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्रों से उनके स्वागत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें। यह मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष-

आपके विधान सभा क्षेत्र का मामला है तो आप नियमों में मामला उठायें, इस तरह से अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करने से क्या फायदा होगा ? स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप इन्हें समझायें और इनसे अपनी सीट पर जाने को कहें।

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, यह हमारे क्षेत्र के गन्ना किसानों से सम्बन्धित मामला है, उनको एक भी पर्ची नहीं दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने स्थान पर चलें, हम इसको देखेंगे।

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, महत्वपूर्ण विषय है, दो मिनट कह लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने स्थान पर जायें, इस तरह से कोई दबाव न बनायें, जो नियमों में है उसके तहत अपनी बात कहें। यह कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी बहुत सूचना ली जाती है।

श्री मुंशीलाल गौतम-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया दो मिनट में मेरी बात सुन लें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यह भट्टा श्रमिकों के बच्चों से सम्बन्धित विषय है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब कुछ नहीं सुना जायेगा। मौर्य जी आप इनसे कहें, अपने स्थान पर जायें।

(माननीय सदस्य श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रयास से माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं इसकी तथ्यात्मक जानकारी आपको दे रहा हूं, इसकी गम्भीरता को देखते हुए, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-56 में कहां से आ गया। आप बैठ जायें। नियम-51 में आप मुझे लिख कर दे दीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ठीक है मान्यवर, मैं इसको नियम-51 में लिखकर दे दूंगा, आप इसको ले लीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, आप किसी नियम में तो स्वीकार करते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम 51 में इसे दे दीजियेगा मैं ले लूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ठीक है यह नियम 51 में आपको सूचना दे देंगे आप लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

मद संख्या-9

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मेरा ईंट भट्ठा श्रमिकों के बच्चों का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपका सम्मान करता हूं आप कृपया बैठ जायें।

श्री मुंशी लाल गौतम-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

* डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, यह जो द्वितीय संशोधन विधेयक सरकार की तरफ से लाया गया है इसमें बहुत छोटा सा संशोधन है। जैसा कि इसमें लिखा है सदस्यों की पदावधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किये जाने की बात है। मान्यवर, यह 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष क्यों किये जा रहा है। सम्भवतः ऐसा कुछ विशेष लोगों को विशेष अनुकम्पा लाभ पहुंचाने के लिए यह किया जा रहा है। मान्यवर, इसी पांच तारीख को भी जो विधेयक लाया गया था उस पर बोलते हुए कहा था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का दायित्व है कि प्रदेश के अन्दर जो हमारे हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के कालेज हैं और उनमें शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाय। उसमें मैंने उठाया था कि तकरीबन 500 एल0टी0 के लोग और प्रवक्ता के 200 लोग चयनित हैं लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। सरकार ने कदाचित उसका संज्ञान लिया और कुछ लोगों के सम्बन्ध में कार्यवाही हो गयी। लेकिन अनेक लोग जो चयन के लिए क्वालीफाईड हो गये हैं उनको नियुक्ति नहीं मिली है। पहला बिन्दु मैं संशोधन के समय यह लाया था। मैं पुनः सरकार से आग्रह करूंगा कि उनकी नियुक्ति हो। इसी के साथ-साथ इससे जुड़ा हुआ विषय है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 6 अगस्त, 1993 के पश्चात् अद्यतन लगभग 25 हजार तदर्थ/अल्पकालिक माध्यमिक शिक्षक कार्यरत है। इनको वेतन आदि सब मिल रहा है इनको विनियमित किये जाने की बात है। इसके पहले जो

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लोग थे जब हमारी सरकार थी तो उन्हें नियमित कर दिया गया था। मान्यवर, जो शिक्षकों की कमी है कोई भी सरकार हो उसका दायित्व बनता है कि शिक्षकों की कमी न रहे। इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन भी हमने 11 अक्टूबर, 2006 को माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया था। आपने अभी विषय विशेषज्ञों को समायोजित करने का निर्णय लिया है। इन पर भी सरकार विचार करें।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूंगा कि शिक्षकों का जो चयन होता है चाहे हायर एजूकेशन में हो या माध्यमिक में हो, क्योंकि जो भी नियुक्त हो जाता है वह फिर 33-35 साल शिक्षक रहता है और वह अध्यापक के रूप में कार्य करेगा तो ढंग से चयन होना चाहिए और पारदर्शिता के साथ पूरे चयन की व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं आप जानकारी प्राप्त कर लें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसमें चयन किस प्रकार से होता है। क्या वहां पारदर्शी व्यवस्था है। जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं उसमें अध्यक्ष की अध्यक्षता में बोर्ड बनता है उसमें विशेषज्ञ होते हैं। बहुत पहले मुझे भी एक बार विशेषज्ञ के रूप में जाने का मौका मिला था। मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं वहां पर कमियां हैं। आप पदावधि चार वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार का दायित्व है कि जो वहां पर चयन बोर्ड है उसमें पारदर्शिता लायी जाय। जो प्रतिभाशाली लोग है उनका चयन इसमें किस प्रकार से हो इस पर विचार किया जाय। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं मैं आग्रह करूंगा कि आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से विचार-विमर्श कर लें कि चयन प्रक्रिया क्या हो। जो कमियां दिखें वह दूर करने का प्रयास करें और वह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता हो जाय जिससे अच्छे लोगों का चयन उसमें हो जाय। मैं इसमें कोई आरोपित नहीं करूंगा। चूंकि इलाहाबाद का रहने वाला हूं इसलिए जानकारी मिलती रहती है। यह कहा जाता है कि इतना रुपया दे दें नियुक्ति मिल जायेगी। तो मेरा कहना है कि व्यवस्था वहां की ठीक हो। मैं संशोधन के माध्यम से इस बात को रखना चाहता हूं।

मा0 शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिंह)-

मान्यवर, यह संशोधन उनके कार्यकाल को 4 वर्ष से 6 वर्ष करने के लिए किया गया है और यह एकरूपता लाने के लिए एक तरह से किया गया। इसमें जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी सदस्यों ने और चेयरमैन ने एक प्रत्यावेदन दिया था जिस पर मंत्रि-परिषद् ने यह फैसला किया कि इनका कार्यकाल 4 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया जाय, इसमें कोई विशेष ऐसा कार्य नहीं है जिसमें आप संशोधन ला रहे हैं जो माननीय सदस्य ने कहा कि उसमें चयन प्रक्रिया में कोई बहुत दोष है ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं है। माननीय सदस्य शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। जहां तक उनके सुझाव को लेने की बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर सुझाव लेने को तैयार हूं उसमें कोई अगर कमी है तो उसे दूर करेंगे। जो पहले शिकायतें प्राप्त हो रही थी वह शिकायतें बन्द हो गयी हैं और कोई सुझाव देंगे तो उसे मानने को तैयार हूं। सिर्फ 4 वर्ष का 6 वर्ष करने का संशोधन है और कोई सुझाव हो तो बता दें। माननीय सदस्य जो पूंछ रहे हैं उसका उत्तर भी दिया है। तो मेरा अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पारित होने दे और अपना संशोधन वापिस ले लें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, पहला बिन्दु मैंने कहा था कि प्रदेश के अन्दर 25 हजार तदर्थ अल्पकालिक शिक्षक हैं और ये राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे हैं क्या उनको विनियमित करने पर सरकार विचार करेगी जिससे शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है वह पूरी हो सके।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, समस्या बहुत सी है और उनका निदान आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। जिनके साथ आज तक न्याय नहीं हुआ था उन कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये यह किया जा रहा है जो सम्बन्धित समाज के हैं जिनके साथ आपने न्याय नहीं किया उनके साथ न्याय किया जा रहा है अगर कुछ लोगों को लाभ हो सकता है तो उसमें आप भी सहयोग प्रदान करे। इसको वापस ले लें तो वह आपको भी दुआ देंगे। वरना वह समझेंगे कि आपने उनका अहित किया इसलिए आप भला करें आप इस संशोधन को वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब वापिस ले रहे हैं ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं, क्योंकि उत्तर ठीक नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 1982 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"(6) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय पद धारण करने वाले प्रत्येक सदस्य के लिये भी लागू होंगे।"

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष-

प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर हुई चर्चा पर मंत्री जी को जवाब देना था।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, मैं बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने छात्रवृत्ति के विषय पर हो रही चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मौर्या जी तो केवल इसलिए इस चर्चा को लाये हैं कि लोग यह महसूस करें कि दलितों के यही एक मात्र नेता हैं या हमारी पार्टी ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की पक्षधर है। मान्यवर, जबकि सच यह है कि इनकी पार्टी टेन्डर पार्टी है। पी0डब्लू0डी0 में तो एक बार टेण्डर पड़ता है लेकिन इनके यहां जब तक टिकट दाखिल न हो जाय, तब तक टेण्डर पड़ता रहता है। मैं समझता हूं कि पिछला टेन्डर जो इनके

यहां पड़ा है, वह 5 लाख से 1 करोड़ तक टेण्डर गया है। गोरखपुर में तो एक करोड़ का टेन्डर था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह विषय पर नहीं बोल रहे हैं और जिस तरह से इनके द्वारा एक गम्भीर विषय का मजाक उड़ाया जा रहा है, वह उचित नहीं है। इस चर्चा में इस तरह की बातें कहकर, यह सरकार के पाप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर, इनको विषय पर बोलना चाहिए।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्य जी, आप आसन ग्रहण करें।

श्री राम करन आर्य-

[xxx] मान्यवर, अब मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। मान्यवर, इस बार एक करोड़ का टेन्डर न होने पावे ताकि मेरे जैसा व्यक्ति भी चुनाव जीतकर आ जाये आपकी तरफ से। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं है, आपको तो इनसे लड़ना चाहिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 पत्र केन्द्र सरकार को लिखे हैं। पहला पत्र जो उन्होंने लिखा है, वह मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। वह लिखा है 3 जून, 2005 को, उसके बाद दूसरा पत्र 26 अगस्त, 2005 को लिखा है। छात्रवृत्ति के मामले पर हमको और आपको दोनों को इनसे लड़ना चाहिये। आप उनसे तो लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि हमसे लड़ रहे हैं। इसके बाद 13 दिसम्बर, 2005 को तीसरा पत्र लिखा है, चौथा पत्र 16 जून, 2006 को लिखा है और इसके बाद अन्तिम और पांचवां पत्र उन्होंने 27 अक्टूबर, 2006 को लिखा है। बकाया कितना है यह लोग जानते हैं। आप भी जानते होंगे। अगर आप अपने को विद्वान मानते हैं। क्योंकि एक नेता इधर बैठते हैं और एक उधर बैठते हैं, दोनों समकक्ष है। पार्टी इधर छोटी हो गयी। नेता जो बैठ जाता है, चाहे वह कुछ न जानता हो, वह विद्वान माना जाता है इसी तरह जज है जो सर्वज्ञ है। भले ही वह संविधान का ए0बी0सी0डी0 ही न जानता हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप जो कुछ कह रहे हैं, वह अपने नेता के लिये कह रहे हैं।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, हम दोनों साथ रहे हैं इसलिए थोड़ा बहस हो जा रही है। आप जानते हैं कि हाई स्कूल तक की छात्रवृत्ति शेड्यूल कास्ट के लोगों को राज्य सरकार देती है और इण्टरमीडिएट से लेकर परास्नातक और भी जितनी उच्च डिग्रियां होती हैं, वह केन्द्र सरकार देती है। यह लोग चले गये नहीं तो हम उनसे पूछते। मान्यवर, 447.9623 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति का केन्द्र सरकार पर बकाया है।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जो माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र गया है 27 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने लिखा है। उन्होंने बड़ा मार्मिक पत्र लिखा है कि अतः इस सम्बन्ध में पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि कृपया उक्त योजना के अन्तर्गत अवशेष केन्द्रांश की धनराशि 447.9623 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया जा सके। मैं चाहता हूं कि समाज कल्याण मंत्री जी इसको इन्हें दे दें। मैंने स्वयं कुंवर रेवती रमण सिंह जो समाजवादी पार्टी के संसद सदस्य हैं, मैंने उन्हें पत्र दिये थे और उन्होंने भी केन्द्र सरकार को लिखा और बात भी रखी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस इशू पर कम से कम हमारी पार्टी के जितने भी संसद सदस्य हैं उनकी मदद आपकी भी पार्टी को करनी चाहिए, मैं यह पत्र आपको दे दूंगा। मेरा एक निवेदन और है कि जो अभी मैंने इस बात को दोहराया और अभी मौर्या जी ने इस बात को रखा, मैं पहले उनकी बात को सुन रहा था, क्योंकि सुनना चाहिए। अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का जो बकाया है वर्ष 2003-2004 का 90.5 करोड़ रुपए, वर्ष 2004-2005 का 92.47 करोड़ रुपए, वर्ष 2005-2006 का 78.896 करोड़ रुपए, वर्ष 2006-2007 का 50.9837 करोड़ रुपये और जो शेष है वह है 186.5463 करोड़ रुपये तथा बुक बैंक की जो धनराशि मिलती है वह है 2.89 करोड़ रुपये। इस तरह से मिलाकर 447.9623 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार का उत्तर प्रदेश की छात्रवृत्ति पर बाकी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह टेण्डर पार्टी के लोग हैं, 50 लाख रुपया देकर चले आते हैं और 20 हजार 15 हजार दलितों के वोट खरीद लेते हैं क्योंकि यह टेण्डर पार्टी वाले लोग हैं, हम टेण्डर पार्टी वाले नहीं हैं। अपने डिग्री कालेज में हमने नारा लगाया कि अम्बेडकर जी की दलित क्रान्ति, लोहिया जी की सप्त क्रान्ति, बोल जवानों अब क्या होगा, पूरा होगा पूरा होगा। मान्यवर, डेलीवेज वालों को तो फिर भी कुछ मिल जाता है, गुलाम को तो कुछ मिलता ही नहीं है। मान्यवर, मैंने तीन महीने जेल में काटे हैं, इसमें भी बहुत से लोगों ने काटे होंगे। यहां भी काटने वाले लोग काटे होंगे, जब जेल जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग मेरी आर्थिक सहायता करते थे। मौर्या जी मैं जानता हूं कि जिस तरह से मैं झेलता हूं, मैं अपने क्षेत्र में जानता हूं दलित लोगों को यह नहीं मालूम है कि पैसा कहां-कहां से आता है, वह यही समझते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने रोक दिया है, वह कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने रोक दिया लेकिन यह छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार की है। जब सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक थी और माननीय मुलायम सिंह यादव वहां गये थे तो समाज कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने माननीय मुलायम सिंह यादव की सराहना की थी। हमने लड़कियों को कन्याधन दिया है, उसमें दलित भी हैं। हमने योजनाएं तैयार की हैं, जिसमें दलित बालिकाओं का बी... हो रहा है। हमने प्रधान बनाया है और न जाने क्या-क्या किया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय आर्य जी, कृपया सीमित करें।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, अन्त में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी अनुसूचित जातियों की पक्षधर है, पिछड़ी जातियों की पक्षधर है इसलिए अकेले ठेका लेने वाले बहुजन समाज पार्टी के लोग क्यों दलितों का घर जलाने का काम करते हो ? जिस तरह से लोहिया, अम्बेडकर का नाम लेकर समाजवादी पार्टी के लोग चल रहे हैं। माननीय मौर्या जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी भारत सरकार को पत्र लिखें।

श्री अधिष्ठाता-

आर्या जी, अब समाप्त करिये।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, बस खत्म कर रहा हूं। यह जो लोग यहां बैठे हैं आज हमें कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। आप कांग्रेस गवर्न्मेंट को कटघरे में खड़ा करें कि दलितों के साथ अन्याय कर रहे है। क्यों नहीं छात्रवृत्ति बांटा जा रहा है। आप अपने क्षेत्र में जाते होंगे, दलित नौजवान घेर लेते होंगे, हमें भी घेर लिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

राम करन आर्य जी, अब समाप्त करिये।

श्री राम करन आर्य-

अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता लेकिन जो दलित का दर्द हे वह कह दिया। यह तो वोट के लिए लाये हैं, लाना भी चाहिए लेकिन हम दोनों आदमी मिलकर केन्द्र की सरकार पर दबाव डालें कि जो वर्ष 2004 से छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया है, वह दें जिससे दलित नौजवानों के पढ़ाई-लिखाई और कापी-किताव का इंतजाम हो। यह सरकार पर दबाव बनाने पर मिल सकेगा। मैं दलितों की छात्रवृत्ति के लिए लड़ाई लड़ता था, दलित जाति को जो छात्रवृत्ति मिलती है वह छात्र-वेतन है, यह कोई भीख नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार और हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने एक राय इसकी व्यवस्था की। जो छात्र वेतन मिलता था उस छात्र-वेतन को कांग्रेस पार्टी ने रोक रखा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भाईयों से कहना चाहता हूं कि वह भी दबाव बनायें कि छात्रवृत्ति दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, आपने जो बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आभारी हूं।

(ब0स0पा0 के सदस्य श्री भगेलू राम द्वारा जारी चर्चा में बोलने का अवसर दिये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अधिठाता-

इस चर्चा पर एक घण्टे का समय निर्धारित है। इस पर पहले दिन आधे घण्टे की चर्चा हो चुकी थी, 17 मिनट आज हो चुका हैं समय बहुत कम है, मात्र 15 मिनट का समय अवशेष है। अभी माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

स्पष्टीकरण बाद में मांग लीजिएगा, पहले मंत्री जी का उत्तर आ जाए।

*समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा हो रही है बहुजन समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री लाल जी वर्मा, मा0 सुखदेव राजभर जी के हस्ताक्षर से यह नोटिस आयी थी, श्रीमन्, उस पर श्री मौर्या जी, लालजी वर्मा जी, राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान सदस्य मुंशी लाल गौतम जी और समाजवादी पार्टी के मा0 राम करन आर्य जी ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। आश्चर्य उस समय हुआ, जब मैंने नोटिस की भावना को देखा। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति देय है। श्रीमन्, इस दशा में इस आदरणीय सदन को बताना भी चाहता हूं कि छात्रवृत्ति का जहां तक सवाल है कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, उसमें आय की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जहां तक कक्षा-9 व 10 का सवाल है, तो इन कक्षाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए उनके अभिभावक की आय रुपये 30,000 वार्षिक होनी चाहिए। जिस अभिभावक की वार्षिक आय रु0 30,000 होगी उसी के बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी, अगर उससे ज्यादा होगी तो उसको नहीं मिलेगा। कक्षा-11 व 12 में छात्रवृत्ति के लिए अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये होनी चाहिए अगर जिन छात्रों के अभिभावकों की आय सीमा इससे ज्यादा है तो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। मा0 बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का यह कहना कि छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को अनुमन्य है, गलत है, यह उनकी नियम-52 की नोटिस में है, यह सत्य नहीं है। ब0स0पा0 के माननीय नेता अपनी जानकारी कर लें। छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक सभी को मिलती है। अब छात्रवृत्ति दो तरह की होती है। पूर्व दशम-कक्षा 1 से लेकर 10 तक और दशमोत्तर-कक्षा 11 से लेकर ऊपर तक। मान्यवर, जहां तक पूर्व दशम छात्रवृत्ति की बात है यह शत प्रतिशत प्रदेश सरकार की बाध्यता हैं यह वित्त पोषित योजना है। जहां तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति का प्रश्न है यह शत प्रतिशत भारत सरकार की वित्त पोषित योजना है। मान्यवर, माननीय आर्या जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र का उद्धरण दिया है, यह बात सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र भेजा है आधे दर्जन से ज्यादा पत्र भेजा है। आपकी सुविधा के लिये मैं यह पत्र आपको भेज रहा हूं। यह पत्र भेजा है। माननीय प्रधान मंत्री जी को, माननीय उपाध्यक्ष योजना आयोग को और वित्त विभाग के अधिकारियों को। मान्यवर, इस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि 447 करोड़, 96 लाख, 23 हजार रुपये की देयता है। उन्होंने एक पत्र और लिखा है जो 27 अक्टूबर का है जिसमें उन्होंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने पिछले सारे पत्रों का हवाला भी दिया है और चिन्ता व्यक्त की है और इसका किस तरह का प्रभाव प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों पर पड़ रहा है इसका उल्लेख किया है। मुख्य मंत्री के पत्र के आखिर में देखें, उसमें वेदना है, कसक है और चिन्ता भी है और कहा है कि प्रधान मंत्री जी विचार करें। लेकिन मुझे आज कहते हुये अफसोस हो रहा है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस के नेता नहीं हैं, अगर होते तो बताते कि इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी से बदला ले सकते हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं से बदला ले सकते हैं लेकिन अनुसूचित जाति के छात्रों ने कांग्रेस का क्या बिगाड़ा है यह हम समझ नहीं पाते हैं। मान्यवर, हमने स्वयं कई पत्र वहां को लिखा है और उन्होंने एकनालेज किया है। उन्होंने लिखा है कि माननीय अवधेश प्रसाद जी आपका दिनांक 21 मई, 2005 का पत्र मेरे कार्यालय में दिनांक 19 जून, 2005 को प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए शत् प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्र से सहायता उपलब्ध कराये जाने के बारे में अनुरोध किया है। इसी तरह से हमने एक पत्र मार्च, 2006 में लिखा है जिसका जवाब मिला है कि आपका पत्र मिला सद्भावना सहित, मीरा कुमार। मान्यवर, इसी तरह से 11 जनवरी, 2005 को पूरे देश के समाज कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था हमें भी उसमें भाग लेने का मौका मिला और वहां पर बहुत सारे बिन्दुओं पर चर्चा हुई। मान्यवर, अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति इसलिये नहीं मिल पा रही है कि केन्द्र ने पैसा देना बन्द कर दिया है। उन्होंने हमें जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि आपके बहुमूल्य सुझाओं को ध्यान में रख लिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम सराहनीय हैं। हमारे द्वारा किये गये कामों की सराहना किया है पूरे देश के पैमाने पर। लेकिन जो बात हमने वहां पर रखी थी उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। जो हमारी आवश्यक देयता थी, उसमें हमारा जो अंशदान 64 करोड़ 72 लाख का था वह अंशदान हमने दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद 447 करोड़ रुपये जो हैं उसके कारण समस्या पैदा हुयी। हम तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के बहुत आभारी होते कि वह छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव लाते और सर्व सम्मति से भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाता, एक संकल्प के माध्यम से एक सर्व सम्मति प्रस्ताव केन्द्र सरकार को जाता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता ने अपने भाषण में कहीं पर भी यह चर्चा नहीं की। माननीय स्वामी प्रसाद जी ने कोई विशेष चर्चा इसके बारे में नहीं की। जहां तक छात्रवृत्ति का सम्बन्ध है कक्षा एक से आठ तक गांव सभाओं के खातों में जाता है। कक्षा एक से पांच तक 25 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक 40 रुपये उसके बाद 60 रुपये है यह गांव सभाओं के खातों में जाता है। कक्षा 9 से 10 तक का छात्रों के खाते में जाता है। जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है राज्य सरकार पूरी तरह से सजग और प्रयत्नशील है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन एक सर्वसम्मत प्रस्ताव करके भारत सरकार को भेजेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने यह कहा कि आपने केन्द्र सरकार को समर्थन दिया है तो समर्थन हमारे नेता ने इसलिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी न आ जाय इसको रोकने के लिए किया है इसलिए नहीं दिया है कि उसके द्वारा

सरकार चलाई जाय जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के ऊपर जुल्म ढाए जायं। यह नियम 52 की सूचना है। मेरा कहना है कि इसमें राज्य सरकार से कोई कोताही नहीं की गई है सदस्य ने जहां कहीं इंगित किया है उसको दिखवा लेंगे। कहीं पर अगर किसी अधिकारी ने गड़बड़ी की होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि सदन की इस भावनाओं से केन्द्र सरकार को भी यह बात समझ में आ गई होगी हम भी आशा करते हैं कि हमारा जो हिस्सा है वह हमें उस तरह से मिलेगा व अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित चर्चा पर हमारे जिन सदस्यों ने हिस्सा लिया उसमें श्री सुखदेव राजभर, श्री लाल जी वर्मा, श्री मुंशीलाल गौतम, श्री राम करन आर्य जी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा पर समय समाप्त हो चुका है। केवल स्पष्टीकरण पूछ लें।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

एक स्वर से सभी ने चर्चा पर अपनी बात रखते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि छात्रवृत्ति समय से वितरित नहीं हो पायी है। जिस तरह से समाज कल्याण मंत्री ने बेबस मंत्री के रूप में इस बात को स्वीकार किया कि केन्द्र सरकार से पैसा न मिलने के कारण वह विधिवत दाशमोत्तरोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित नहीं कर सके हैं। मैं दशम पूर्व छात्रों के सम्बन्ध में जिनकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है उसके विषय में स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं। मंत्री जी पूरे प्रदेश में दशम पूर्व छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी है। मैं केवल एक जनपद सुल्तानपुर का हवाला देता हूं, वहां पर 616 लाख के परिप्रेक्ष्य में मात्र 52.17 लाख रुपये पहुंचा है। स्वाभाविक है कि शेष धन वितरित नहीं हुआ है। इसी तरह से पिछले वर्ष में दशम पूर्व छात्रों के लिए सुल्तानपुर में 616 लाख रुपये वितरित किये गये इस वर्ष 606 लाख रुपये वितरित किये गये यानी बढ़ाने के बजाय घटा दिया है। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं छात्रवृत्ति में कटौती की जा रही है। इससे पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र प्रभावित हो रहे है।

(इस समय 2 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री अध्यक्ष-

इस पर एक घन्टे हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मंत्री जी ने पत्रों का हवाला देते हुए इस बात को खुद स्वीकार किया है कि केन्द्र सरकार से 447.96 करोड़ रुपये नहीं मिल सके हैं जिससे छात्रवृत्ति समुचित रूप से वितरित नहीं हो सकी है। यानी अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के साथ जानबूझकर इस प्रकार की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साजिश की जा रही है। सरकार का यह रवैया दलित विरोधी है। सरकार के इस दलित विरोधी रवैये के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बर्हिगमन करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में मैंने नियम-52 के अन्तर्गत सूचना दी है....

श्री अध्यक्ष-

इस चर्चा को जारी रखते हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 से 15 दिसम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 से 14 दिसम्बर, 2006 तक के उपवेशन न हों।

2-दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को सदन का उपवेशन हो।

3-दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 से 15 दिसम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

दिसम्बर, 2006

12 मंगलवार 13 बुधवार 14 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
15 शुक्रवार	11.00 बजे (पूर्वाह्न) (1) वित्तीय वर्ष 2007-2008 के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) का प्रस्तुतिकरण। (2) वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण। (3) वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। (4) उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन एवं उसमें की गयी संस्तुतियों पर विचार।

(5) प्रदेश में विक रहे शीतल पेय में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के पाये जाने से जनस्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-(एक घण्टा)।

(6) प्रदेश में बढ़ती महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा (जारी)।

संसदीय कार्य तथा नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सर्वसम्मति से पारित तो करवाइये।

श्री अध्यक्ष-

पारित तो करा दिया। आपका कहना है कि हां और नहीं। वह तो मैंने करवाया। कोई कुछ बोला नहीं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित करवाइये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अल्प संख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हाजी याकूब के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर निर्णय दिये जाने की मांग

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अल्पसंख्यक कल्याण का एक विषय था। आपने उस पर व्यवस्था सुरक्षित रखी थी 11 तारीख के लिये। माननीय हाजी याकूब का था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्रिगण को आज कैबिनेट में जाना था इसलिये इसको 15 तारीख को ले लेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

टीक है मान्यवर।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11-12-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुई :-पहली सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जो जनपद फैजाबाद स्थित मडऋहा नदी की खुदाई में अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने एवं विभाग द्वारा करोड़ों का घोटाला किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की जो जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के ग्रामो में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री देवकी नन्दन कोरी की जो जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम पंचायत भगतूपुर संतपुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्री की नियुक्ति गलत ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की जो जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी के ग्राम लोखरिया के नाबालिग छात्र श्री अवधेश को पुलिस द्वारा गायब किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री हुकुम सिंह जी की है। हुकुम सिंह जी तो आये नहीं हैं इनके स्थान पर माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की सूचना जो मेरठ नगर निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति टीक किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठवीं सूचना श्री आलम बदी की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में प्रस्तावित मार्गों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद सीतापुर के सहायता प्राप्त कन्या माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग की शिक्षिकाओं को प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर की सहकारी चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा उनके खाते में जमा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को उच्चीकृत करने एवं चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय स्पुरा बुजुर्ग क्षेत्र ऐरायां के अध्यापक श्री राधे श्याम को अन्यत्र हटाये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्रीराजेश कुमार की जनपद लखीमपुर खीरी स्थित नगर पंचायत मैलानी में तैनात अधिशासी अधिकारी को हटाने एवं उनके विरुद्ध धन के दुरुपयोग के मामले में जांच कराने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज स्थित शारा सहायक खण्ड-23 के अन्तर्गत अधिग्रहीत जर्मीन का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की झांसी एवं

चित्रकूट मण्डल के जल संस्थान कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई- श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, डा0 विनोद तिवारी, श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरि प्रताप सिंह, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री महेश त्रिवेदी, श्री जगदीश नारायण राय, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री रवीन्द्र पुण्डीर, श्री रणवीर राणा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री मुन्शी लाल गौतम।

श्री सुखदेव राजभर-

मेरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

15 को ले लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार-

मेरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

56 में लिखकर दें।

घाघरा नदी के कटान से जनपद मऊ स्थित ग्राम धर्मपुर अभिराज के टोले तथा दुबारी आदि ग्रामों के निवासियों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

श्री राम नरेश यादव, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 विधान सभा को नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 22-11-2006 को यह सूचना दी गयी थी कि जनपद मऊ के सभी गांव-ग्राम-धर्मपुर-विशुनपुर (बिन टोलिया), पांच पण्डाटोला अभिराज के टोले तथा दुबारी-मोलनापुर घाघरा नदी के किनारे स्थित हैं। यह सभी गांव कटान से इस वर्ष 120 घर कट कर नदी की धारा में चले गये हैं और कृषि योग्य भूमि के लगभग 600 एकड़ जमीन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है इसलिये वहां के गांव के लोग बहुत परेशान और भुखमरी के कगार पर है। अभी भी कटान जारी है, किन्तु प्रशासन की ओर से जो कार्यवाही की जानी चाहिए नहीं की जा रही है। रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जाड़ा भी आ गया है और भी परेशानी हो गयी है। वहां के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से राहत दिलाये जाने के लिये व कटाव को रोकने के लिए धरना प्रदर्शन का भी मार्ग अपनाया है। मानवीय दृष्टिगत से उनकी समस्या का समाधान किया जाना नितान्त आवश्यक है और कटान की यही स्थिति रही तो सैकड़ों घर और बरबाद हो जायेंगे। मुझसे बाढ़ एवं कटाव समिति मधुबन जनपद-मऊ के अध्यक्ष ने मिलकर सारी समस्याओं का बहुत दुःख भरे शब्दों में जिक्र किया है।

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा निश्चित ही अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार और सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कटाव रोकने की व्यवस्था, आवास एवं खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की मांग की है।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मऊ में घाघरा नदी के दाहिने तट पर सूरजपुर तटबन्ध 12.4 कि0मी0 की लम्बाई में निर्मित है। घाघरा नदी तथा सूरजपुर तटबन्ध के बीच में ग्राम-धर्मपुर, विशुनपुर (बिनटोलिया), पांच पाण्डाटोला अभिराज के टोले तथा दुबारी-मोलनापुर स्थित है। उक्त सभी ग्राम घाघरा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इन ग्रामों के पास नदी, सूरजपुर तटबन्ध से लगभग 3 कि0मी0 की दूरी पर है। तटबन्ध एवं नदी के बीच बसे ग्रामों तथा भूमि को कटान से बचाने की सिंचाई विभाग की नीति नहीं है। प्रश्नगत ग्रामों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु सुरक्षित क्षेत्र में पुनर्वासित करायवे जाने के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार ये कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी मऊ को शासन के पत्र दिनांक 28-04-06 द्वारा निर्देशित किया गया है।

3-प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी-मऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि घाघरा नदी की बाढ़ से माह सितम्बर, 2006 के दौरान आंशिक रूप से जनपद की एक मात्र तहसील मधुबन प्रभावित रही। घाघरा नदी में बाढ़ आने से मधुबन तहसील के ग्राम धर्मपुर, विशुनपुर बिनटोलिया, दुबारी, परसिया, जयरामगिरी, मोलनापुर तथा चक्की मूसाडोही आंशिक रूप से प्रभावित रहे। इन ग्रामों में जनता के आवागमन हेतु छोटी, मझोली एवं बड़ी नावें क्रमशः क्रमशः 51, 161 एवं 19 आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में लगाई गयी थी। ग्राम धर्मपुर, विशुनपुर में दिनांक 03-09-06 को कुमारी संगीता पुत्री जयराम, नाबालिक उम्र 10 वर्ष संरक्षक सोनमती पत्नी जयराम की बाढ़ में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। मृतका की माता सोनमती पत्नी जयराम को तत्काल चेक संख्या-049881 द्वारा रु0 50,000/. (रुपये पचास हजार मात्र) अनुग्रह धनराशि प्राप्त करा दी गयी थी।

4-घाघरा नदी के बाढ़ से प्रभावित उपरोक्त ग्रामों में जो परिवार कटान के कारण बेघर हो गये हैं, उन्हें तात्कालिक जीवन सहायता हेतु रु0 19,800/. (रुपया उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) का पोलिथीन वितरित किया गया तथा 75 परिवारों कुल रुपये 2,51,000/. (रुपया दो लाख इक्यावन हजार मात्र) का गृह अनुदान उपलब्ध कराया जा चुका है।

5-जिन परिवारों के मकान कट कर नदी में विलीन हो गये हैं, ग्राम चक्की मुसाडोही में कुल 32 तथा ग्राम धर्मपुर विशुनपुर में भी कुल 32 परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटित कर दी गयी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

राजेन्द्र जी की सूचना नियम-56 में जो है उसे नियम-51 में बदल दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री राम प्रसाद पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण निवासी संत रविदास नगर को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशन स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजनैतिक पेंशन मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा दी गयी नोटिस द्वारा सदन में चर्चा कराये जाने की मांग की गयी है कि प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख शासन को उपलब्ध करा दिए गये हैं किन्तु शासन द्वारा श्री राम प्रसाद जनपद संत रविदास नगर की राजनैतिक पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री राम प्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण संत रविदास नगर का राज्य सम्मान पेंशन हेतु आवेदन-पत्र जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 11-06-1997 के साथ प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने इस आधार पर राज्य सम्मान पेंशन की मांग की कि स्वतंत्रता आन्दोलन में उन्होंने छः माह की जेल यातना भोगी। अपने कथन की पुष्टि में श्री राम प्रसाद ने सेन्ट्रल जबलपुर डिपो के कर्नल अहमद द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की । श्री राम प्रसाद को सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु जिलाधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 11-06-1997 में प्रबल संस्तुति की किन्तु शासन द्वारा उनका उक्त प्रमाण-पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी माना गया। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रमाण-पत्र की जांच जिलाधिकारी से करायी गयी। इस सम्बन्ध में आर्मी आर्डिनेन्स कारपोरेशन रिकार्ड आफिस सिकन्दराबाद का पत्र दिनांक 20-11-1997 प्राप्त हुआ, जिसमें यह सूचित किया गया कि रिकार्ड नष्ट हो जाने के कारण उक्त की पुष्टि नहीं हो सकती। यह भी उल्लेखनीय किया गया कि श्री राम प्रसाद दिनांक 10-09-1943 को सेना में भर्ती हुये थे तथा दिनांक 03-05-1947 को उन्हें डिस्चार्ज किया गया किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाला गया था। इसकी पुष्टि न हो पाने के कारण इनका प्रार्थना पत्र दिनांक 29-4-1999 को अस्वीकृत कर दिया गया तथा दिनांक 11-10-2000 को भी इनका दूसरा प्रार्थना-पत्र इसी आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि श्री राम प्रसाद द्वारा उपलब्ध कराया गया सेन्ट्रल जबलपुर डिपो का प्रमाण-पत्र शासन द्वारा प्रथम दृष्टया फर्जी माना गया, अतः श्री राम प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र की जांच किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी। उक्त प्रमाण-पत्र की विवेचना करने के उपरान्त विवेचक द्वारा अपनी अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा श्री प्रसाद के प्रमाण पत्र को न तो सही माना गया और न झूठा माना गया बल्कि आंशिक रूप से उसे सत्य माना गया और मा0 न्यायालय द्वारा अंतिम रिपोर्ट दिनांक 11-12-2003 को स्वीकार की गयी।

श्री राम प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र जिसे मा0 न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से सत्य बताया गया है, की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण मामले में शासन स्तर पर अभी अंतिम निर्णय

लिया जाना विचाराधीन है। इसी बीच श्री राम प्रसाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-05-2005 शासन में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लिखित तथ्यों की जांच जिलाधिकारी संत रविदास नगर से करायी जा रही है। जिलाधिकारी से जांच आख्या प्रतीक्षित है। जिलाधिकारी की जांच आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक सदर में वर्ष 2005-06 के लिए आवंटित हैण्डपम्पों का कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री हरि प्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 04-12-06 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि जनपद प्रतापगढ़ के सदर.....

[विधान सभा के ब्लाक-सदर में वर्ष 2005-06 के आवंटित हैण्डपम्प आज तक पूरे नहीं लगे जिसके कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-3143/38-5-2005, दिनांक 27-7-2005 द्वारा मा0 सदस्यगण, विधान सभा/विधान परिषद् हेतु वर्ष 2004-05 के लिये 100 हैण्डपम्प तथा वर्ष 2005-06 के लिये 100 हैण्डपम्प अर्थात 2005-06 में कुल 200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जिसके सापेक्ष मा0 सदस्य द्वारा अपने कोटे के अन्तर्गत विकास खण्ड-सदर एवं मानधाता हेतु क्रमशः 110 एवं 100 कार्यस्थलों की सूची दी गई तथा उनके सापेक्ष क्रमशः 104 एवं 100 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में मा0 सदस्य को आवंटित कुल 200 हैण्ड पम्पों के सापेक्ष कुल 204 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा चुके हैं।

मेरठ मण्डल की शुगर मिलों द्वारा गन्ने की कम पेराई किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

प्राप्त सूचनानुसार गत पेराई सत्र में मेरठ मण्डल में स्थापित 15 चीनी मिलों द्वारा दिनांक 07-12-2005 तक 268.07 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई की गयी थी। वर्तमान पेराई सत्र में इन चीनी मिलों द्वारा दिनांक 07-12-2006 तक 248.42 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई की गयी है। वर्तमान पेराई सत्र में कुछ चीनी मिलें 10-15 दिन विलम्ब से चली हैं। इस प्रकार गत सत्र की अपेक्षा वर्तमान पेराई सत्र में उक्त तिथि तक 19.65 लाख कुन्तल कम गन्ने की पेराई हुई है, किन्तु गन्ने की मात्रा की दृष्टि से पेराई में मात्र दो दिन का विलम्ब परिलक्षित हो रहा है।

आशा की जाती है कि दिसम्बर, 2006 के दूसरे सप्ताह तक सभी चीनी मिलें पेराई का वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लेंगी। मण्डल स्तर पर आयुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा पेराई की समीक्षा कर गन्ना उठान एवं पेराई में वृद्धि कराने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं, तत्क्रम में जिलाधिकारियों द्वारा चीनी मिलों की बैठक कर पेराई की समीक्षा की गयी तथा आवश्यक निर्देश दिये गये, जिसके उपरान्त पेराई में सुधार हो रहा है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषक प्रायः दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक पेडी गन्ना काटकर गेहूं की बुआई करते हैं। आशा की जाती है कि उस समय तक सभी चीनी मिलें वांछित पेराई कार्य सम्पन्न कर लेंगी।

जनपद वाराणसी कैन्ट अन्तर्गत उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 सदस्य विधान सभा श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" द्वारा उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 4-12-2006 को निम्नवत् सूचना दी गयी है :--

परिषद् की वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के मोहनसराय-रामनगर बाईपास मार्ग के दोनों ओर विकास खण्ड काशी विद्यापीठ की 31 ग्रामों की कृषि योग्य भूमि पर आवासीय योजना बनाने तथा उसका भू-उपयोग आवासीय किये जाने पर तत्कालीन नगर विकास मंत्री जी द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगाये जाने का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत योजना के निरस्तीकरण की कार्यवाही न हो पाने एवं किसानों की भूमि की रजिस्ट्री एवं भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाये जाने का उल्लेख किया गया है। मा0 सदस्य द्वारा उक्त रोक को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निरस्त कर देने के कारण प्रभावित किसानों के मन में अपने स्वामित्व के सम्बन्ध में अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति व्याप्त होने, उनके आक्रोशित होने एवं विभिन्न किसान संगठनों एवं पार्टियों द्वारा धरना/प्रदर्शन जारी रहने का भी उल्लेख किया गया है।

इसी विकास खण्ड की काफी भूमि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहीत करने तथा इसी प्रकार से डीजल लोकोमोटिव कारखाने तथा बाईपास सड़क के निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहीत किये जाने के कारण किसानों के भूमिहीन होने तथा अल्प भूमि रह जाने के कारण उनके समक्ष रोजी-रोटी की समस्या खड़ी होने के दृष्टिगत उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की योजना के विरुद्ध की गयी स्थगन की कार्यवाही को वर्तमान शासन द्वारा निरस्त करने की कार्यवाही करने की मांग करते हुए लोक महत्व के उक्त विषय पर ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

2-इस सम्बन्ध में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद् द्वारा वाराणसी शहर की आवासीय समस्या को दृष्टिगत रखते हुए 31 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी क्षेत्रफल 4795.356 एकड़ की योजना प्रस्तावित की गयी। योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा योजना को स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त निर्णय लिया गया था, जिसका परिषद् अधिनियम-1965 की धारा 28 के अन्तर्गत प्रथम गजट प्रकाशन दिनांक 04-01-2003 को किया गया तथा धारा-29 के अन्तर्गत योजना के कुछ काश्तकारों को नोटिस निर्गत की गयी थी। जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी की परिषद् द्वारा की जा रही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रोकने तथा येाजना को निरस्त करने के सम्बन्ध में मा0 विधायक, वाराणसी कैण्ट, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीशजी'' के पत्र दिनांक 07-03-2003 पर तत्कालीन मा0 आवास एवं नगर विकास मंत्री, उ0 प्र0 शासन द्वारा आदेश दिया गया कि अधिग्रहण रोक दें एवं क्षेत्रीय विधायक से परामर्श कर प्रकरण का निदान सुनिश्चत करें। उक्त आदेश के अनुपालन में परिषद् द्वारा दिनांक 27-3-2003 से योजना की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी।

3-प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में योजना के क्रियान्वयन, क्षेत्रफल आदि का अध्ययन कर स्थल निरीक्षण करके आख्या प्राप्त किये जाने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसके क्रम में गठित समिति द्वारा जी0टी0 रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी का स्थल निरीक्षण दिनांक 12-06-2006 को किया गया एवं समिति की प्राप्त संस्तुति पर शासनादेश दिनांक 26-07-2006 द्वारा वाराणसी नगर की आवासीय समस्या के निदान एवं जन-सामान्य को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवास नीति के अन्तर्गत उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की जी0टी0 रोड भूमि विकास एवं गृस्थान योजना, वाराणसी को नियमानुसार संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। किन्तु वर्तमान में उक्त योजना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही फिलहाल स्थगित है।]

मेरठ शहर को मेट्रो सिटी का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी मेरठ नगर निगम में स्वीकृत एवं रिक्त अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मेरठ शहर को मेट्रो सिटी का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी मेरठ नगर निगम.....

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जो उत्तर आया है, जो पदों की संख्या है उसके सम्बन्ध में मेरा कहना है कि दुबारा रिकार्ड दिखवा लें। मेरी जानकारी के अनुसार सूचना ठीक थी। वहां तैनाती करा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है मंत्री जी दिखवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मैं स्वीकृत एवं रिक्त अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि नगर निगम, मेरठ में निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) के 03 एवं अवर अभियन्ता (सिविल) के 07 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 01 सहायक अभियन्ता एवं 06 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं। इस प्रकार सहायक अभियन्ता (सिविल) का 02 पद एवं अवर अभियन्ता (सिविल) का 01 पद रिक्त है। वर्तमान में विभाग में सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं की कमी के कारण उक्त पद रिक्त हैं। लोक सेवा आयोग को सहायक अभियन्ताओं के चयन हेतु अधियाचन भेजा गया है। अवर अभियन्ता संवर्ग की ज्येष्ठता सूची विवादित होने के कारण सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही बाधित हैं अवर अभियन्ता के पद पर लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2-नगर निगम, मेरठ में जल विभाग में महाप्रबन्धक का पद नहीं है। नगर अभियन्ता (जल) का 01 पद सृजित है, जिस पर तैनात श्री आर0 पी0 एस0 परिहार के फरवरी, 2006 में निलम्बित होने के कारण पद रिक्त चल रहा है। इसी प्रकार जल विभाग में सहायक अभियन्ता के सृजित 02 पदों के सापेक्ष 01 पद भरा है तथा 01 पद रिक्त है। अवर अभियन्ता के सृजित 05 पदों के सापेक्ष वर्तमान में 03 पद भरे हुए हैं तथा 02 पद रिक्त हैं। उक्त पदों पर शीघ्र ही तैनाती की जायेगी।

3-नगर निगम, मेरठ में प्रशासनिक विभाग में अपर नगर आयुक्त के 02 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के 01 अपर नगर आयुक्त तैनात हैं। अपर नगर आयुक्त के रिक्त 01 पद पर पी0सी0एस0 सेवा संवर्ग के अधिकारी की शीघ्र तैनाती हेतु नियुक्ति विभाग से अनुरोध किया गया है। नगर निगम, मेरठ में उप नगर आयुक्त के कुल 03 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 01 पद भरा हुआ है तथा 02 पद रिक्त हैं। उप नगर आयुक्त के पदों पर अधिकारियों की कमी के कारण पद रिक्त हैं। वर्तमान में प्रशासी सेवा संवर्ग के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची विवादित होने के कारण उक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा पा रही है। इसी प्रकार नगर निगम, मेरठ में सहायक नगर आयुक्त का 01 पद सृजित है, जो कि भरा हुआ है। अतएव सम्प्रति नगर निगम, मेरठ में सहायक नगर आयुक्त का कोई पद रिक्त नहीं है। प्रदेश में कुल 12 नगर निगम हैं परन्तु अभी तक लेखाधिकारी के केवल 08 पद ही सृजित हैं। उक्त सृजित 08 पदों के सापेक्ष 02 पद रिक्त हैं। उक्त 02 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं, परन्तु पोषक संवर्ग में अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है।

4-नगर निगम, मेरठ में मार्ग प्रकाश विभाग में वर्तमान में सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के कोई पद सृजित नहीं है। अतएव उक्त पदों पर तैनाती की कार्यवाही नहीं की गयी है।

5-उक्त सभी रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज स्थित रजबहों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

I मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कृषि प्रधान देश होने के कारण यहां के 80 प्रतिशत किसानों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है, और यहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। समय से कृषि कार्य सम्पादित न होने से जहां इसका सीधा असर प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, वहीं किसानों के सामने भुखमरी, बच्चों की शिक्षा, पुत्रियों की शादी आदि की भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, और उनके सामने विभिन्न प्रकार की परेशानियां सुरसा की भांति मुख फैलाये खड़ी हो जाती हैं।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाली नहरों में पानी नहीं आ रहा है जिसके कारण किसानों को कृषि कार्य हेतु सिंचाई के लिये पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। **अठेहा रजबहा, सगरा रजबहा, उदयपुर रजबहा एवं जायस रजबहा** सहित अन्य नहरों में पानी न आने से इन नहरों के माध्यम से सिंचाई करके, होने वाले कृषि कार्य पूरी तरह से बाधित हैं और किसानों को बुवाई के लिये खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान समय में रबी की फसल की बुआई का काम चरम पर है, किन्तु समय से सिंचाई के लिये पानी न मिलने के कारण एवं फसल की बुआई समय से न हो पाने के कारण इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा और उत्पादन काफी मात्रा में कम हो जायेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सिंचाई के लिये पानी न मिलने से खासकर गेहूं एवं आलू की फसलें सर्वाधिक प्रभावित हो रही हैं। अब तक आलू की बुआई का कार्य लगभग समाप्त हो जाना चाहिए। नवम्बर माह व्यतीत हो गया है, किन्तु आलू के खेत खाली पड़े हुए हैं जबकि नवम्बर माह के अन्त तक आलू की बुआई का कार्य समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से गेहूं की बुआई का कार्य भी बाधित है। फसलों की बुआई समय से न हाने से किसानों के सामने विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जायेंगी। आलू एवं गेहूं, रबी की मुख्य फसल है। रबी की फसल की बुआई समय से न होने के कारण इसका सीधा असर खरीफ की फसल पर भी पड़ेगा। इस प्रकार से पूरे वर्ष का कृषि कार्य प्रभावित होगा। अतः किसानों को कृषि कार्य के लिये समय से पानी उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त आख्या के आधार पर यह अवगत कराना है कि उपरोक्त सूचना में संदर्भित नहरों में सगरा राजवाहा, जो शारदा सहायक संगठन से सम्बन्धित है, जिसकी लम्बाई 36.60 किमी0 है, जो प्रतापगढ़ जल शाखा के बांये किनारे से किमी0 16.00 से निकलती है, पानी के कम मांग एवं सिल्ट सफाई के कार्यों हेतु बन्द है तथा दिनांक 16-12-06 से चालना प्रस्तावित है जबकि अटेहा राजवाहा, उदयपुर राजवाहा एवं जायस राजवाहा पैक्ट संगठन

नोट :-I यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु संगठन की समस्त नहरें दिनांक 15-10-06 से 03-12-06 तक बन्द रहने के पश्चात दिनांक 04-12-06 से हैदरगढ़ शाखा के शीर्ष से चलना प्रारम्भ हुआ है। रोस्टर तथा वर्तमान स्थिति के अनुसार उल्लिखित राजवाहे के चलने की स्थिति निम्न प्रकार है :--

1-जायस रजबहा	दिनांक 08-12-06 से
2-अटेहा रजबहा	दिनांक 15-12-06 से
(जायस रजबहा से निकलती है)	
3-उदयपुर रजबहा	दिनांक 12-12-06 से

उपरोक्तानुसर प्रश्नगत नहरों के क्षमतापूर्वक चलने से काश्तकारों के लिये सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो जायेगा।]

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने गृह जनपद की गलत सूचना देकर गृह जनपद में तैनात रहने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत सिंह जनसेवक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेद मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[डा0 सतीश कुमार द्विवेदी, कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, रायबरेली के अपने गृह जनपद में तैनात रहने व उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत पूर्व में प्रकाश में आयी थी। उक्त शिकायतों की जांच प्रो0 रामजी, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ व निदेशक, आयुर्वेद से कराई गई थी। जांच में समस्त शिकायतें निराधार पाई गई तथा इनका गृह जनपद इनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर 565/76क, अमरूदहीबाग, सिंगारनगर, लखनऊ अंकित पाया गया।

डा0 सतीश कुमार द्विवेदी के गृह जनपद के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रायबरेली के पत्र दिनांक 10-11-2006 में यह अवगत कराया गया है कि प्रकरण में एक जांच आख्या पत्र दिनांक 4-3-2006 के माध्यम से शासन को प्रेषित की जा चुकी है। पुनः शासनादेश दिनांक 24-7-2006 के अनुपालन में उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सदर से जांच कराई गयी। जांच में उपलब्ध अभिलेखों में नागरिकों एवं ग्राम प्रधान डिघौरा सोयमऊ, परगना व तहसील सदर, रायबरेली के बयानों के अनुसार डा0 सतीश कुमार द्विवेदी के पिता ग्राम डिघौरा के मूल निवासी थे, नौकरी के कारण लखनऊ में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे, जहां डा0 सतीश कुमार द्विवेदी व उनके भाई श्री सुरेश कुमार द्विवेदी की शिक्षा-दीक्षा हुई। खतौनी वर्ष 1409 से 1414 फसली खाता सं0-456 ग्राम डिघौरा के अनुसार प्रश्नगत खाते की भूमि गाटा सं0-1221/0.0990 1376 फसली से डा0 द्विवेदी के पिता के नाम दर्ज थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त वरासतन भूमि डा0 सतीश कुमार द्विवेदी आदि के नाम दर्ज कर दी गयी। इसके अतिरिक्त यह अभिलिखित है कि डा0 द्विवेदी के चचेरे भाई अब भी ग्राम में निवास कर रहे हैं। जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा उक्त पत्र में यह

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उल्लेख भी किया गया है कि प्रकरण में जांच के दौरान एक शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री प्रेम लाल सामाजिक कार्यकर्ता रायबरेली का प्राप्त हुआ है जिसके साथ डा0 सतीश कुमार द्विवेदी द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0 प्र0 को सम्बोधित आवेदन-पत्र में आवास आवंटन एवं गृह निर्माण अग्रिम प्रार्थना-पत्र में स्थायी पता ग्राम डिघौरा, पो0 डिघौरा, जनपद रायबरेली अपने हस्तलेख में अंकित किया है। उक्त तथ्यों के परिशीनल के उपरान्त यह स्वतः स्पष्ट है कि श्री द्विवेदी का पैतृक/मूल निवास जनपद रायबरेली है।

सेवा पुस्तिका में श्री द्विवेदी का गृह जनपद लखनऊ अंकित होने एवं जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा प्रेषित आख्या में पैतृक/मूल निवास रायबरेली अंकित होने को दृष्टिगत रखते हुए मूल गृह जनपद के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु पत्रावली कार्मिक विभाग को उनका मत प्राप्त करने हेतु संदर्भित की गयी है। कार्मिक विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहरों में पानी न आने, राजकीय नलकूप खराब होने तथा रसायनिक खाद उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर दिनांक 05-12-06 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना मांगी गयी :--

1-पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहरें पानी नहीं दे रही हैं।

2-राजकीय नलकूप भारी संख्या में खराब पड़े हैं जो नलकूप ठीक भी हैं बिजली की कमी के कारण उनका भी उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है।

3-रायायनिक खाद्य विशेष रूप से डी0ए0पी0 उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध भी है किसानों को बहुत महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही हैं

इस प्रकार किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका दुष्प्रभाव रबी के उत्पादन पर पड़ने वाला है इसी उत्पादन पर किसान का सारा काम चलता है किन्तु सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर नहीं है।

बिन्दु 1 के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (पूर्व), सिंचाई विभाग के पत्र दिनांक 07-12-05 द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दोहरी घाट सहायक पम्प नहर, दोहरीघाट पम्प नहर, शारदा सुरहाताल पम्प नहर, मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर, रोहिन नहर, बान गंगा नहर, शारदा सहायक की नहरें, शारदा प्रणाली की नहरें, चन्द्रप्रभा नहर, कर्मनाशा नहर, नरायनपुर पम्प नहर, भूपौली पम्प नहर, ज्ञानपुर पम्प नहर, चौधरी चरण सिंह देवकली पम्प नहर, चौधरी चरण सिंह जमानियां पम्प नहर, सिरसी बरौधा प्रणाली, घोरी नहर, सुखरा नहर, गरई नहर प्रणाली, जरगो नहर, ढेकवां नहर, बेलन नहर, टोंस पम्प

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहर, यमुना पम्प नहर, घाघर नहर, नगवा बांध प्रणाली और खजूरी नहर की प्रणालियां हैं। यथास्थिति आगामी रबी से पूर्व नहरों की सिल्ट सफाई कर नहरों से पानी छोड़े जाने का रोस्टर बनाया गया है। अधिकांशतः सिल्ट सफाई का काम सम्पन्न करा लिया गया है तथा अवशेष सिल्ट सफाई का काम भी शीघ्र सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त नहरों में से नहरों के चलने की तिथियां निम्नानुसार हैं :--

दोहरीघाट पम्प नहर 07-12-06 से सुरहाताल पम्प नहर 29-11-06 से, रोहिन नहर 29-11-06 से, बान गंगा नहर 3-12-06 से, शारदा सहायक की नहरें 3-12-06 से, शारदा की नहरें 23-11-06 से तथा ज्ञानपुर पम्प नहर 4-12-06 से चल चुकी हैं।

दोहरीघाट सहायक पम्प नहर 09-12-06 से, पश्चिमी गण्डक नहर 09-12-06 से चन्द्रप्रभा नहर 23-12-06 से, कर्मनाशा नहर, नरायनपुर पम्प नहर और भूपौली पम्प नहर 15-12-06 से, चौधरी चरण सिंह देवकली पम्प नहर और चौधरी चरण सिंह, जमानियां पम्प नहर 8-01-07 से, सिरसी बरौधा प्रणाली, घोरी नहर और सुखरा नहर 15-12-06 से, गरई नहर, जरगो नहर और ढेंकवा नहर दिनांक 22-12-06 से रोस्टर के अनुसार चलाया जाना प्रस्तावित है।

बेलन नहर तथा यमुना पम्प नहर प्रणाली 1 नवम्बर से 25 नवम्बर, 06 तक चली हैं। पुनः 18-12-06 से चलेंगी। टोन्स पम्प नहर 1 नवम्बर से 22 नवम्बर, 06 तक चली हैं पुनः 18-12-06 से चलेंगी। घाघर, नगवा और खजूरी नहर प्रणाली की नहरें जलाशयों में पानी न होने के कारण नहीं चल सकेंगी।

बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 08-12-06 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आंख्या के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :--

(अ) पूर्वी उत्तर प्रदेश में 147 लघु डाल नहरें कार्यशील हैं, दिनांक 30-11-06 की बन्दी के अनुसार मात्र दो पम्प नहरें दपसौरा, जनपद फतेहपुर तथा गुलौरा, जनपद बलिया ट्रांसफार्मर से फ्यूज जलने तथा नदी की धारा दूर चले जाने के कारण क्रमशः दिनांक 23-11-06 व 03-11-06 से बन्द है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की लघु डाल नहरों द्वारा रबी 1414 फसली में गत वर्ष 4535 हेक्टे0 के विरुद्ध अब तक 5248 हेक्टे0 सींच की गयी है इससे स्पष्ट है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की लघु डाल नहरें सुचारु रूप से चलायी जा रही हैं।

(ब) प्रदेश में कुल 27,988 चलित नलकूपों में से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12941 चलित नलकूप हैं। सप्ताहान्त 30-11-06 की बन्दी के अनुसार इनमें से 281 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 260 नलकूप विद्युत दोष से बन्द रहे, जो क्रमशः मात्र 2.17 प्रतिशत तथा 2.01 प्रतिशत ही है।

(स) नलकूपों पर मोटरों को संचालित करने के लायक औसत विद्युत उपलब्धता लगभग 9 घण्टे है। विद्युत उपलब्धता के अनुसार नलकूप सुचारु रूप से चलाये जा रहे हैं।

बिन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध में कृषि विभाग के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :--

प्रदेश में वर्ष 2005-06 में 259.58 लाख मी0 टन रबी खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था जबकि वर्तमान रबी 2006-07 में 307.88 लाख मी0टन खाद्यान्नों, 275.00 लाख मी0 टन गेहूं

उत्पादन तथा 30 कुन्तल प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादकता का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये गत वर्ष के 40.63 लाख मी0 टन उर्वरकों के वितरण के सापेक्ष इस वर्ष रबी 2006-07 मे 43.80 लाख मी0 टन उर्वरकों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न उर्वरकों की दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 तक उपलब्धता/वितरण की स्थिति का विवरण निम्नवत् है :--

लाख मी0टन में

क्र0सं0/ उर्वरक का नाम	रबी 06-07 में निर्धारित लक्ष्य	दिनांक 05 दिसम्बर, 06 तक उपलब्धता	उपलब्धता प्रतिशत	वितरण	वितरण प्रतिशत	गत वर्ष इसी अवधि तक वितरण
1-यूरिया	25.50	11.83	46	7.36	62	4.55
2-डीएपी	10.50	7.78	74	6.55	42	4.60
3-एनपीके	6.30	4.81	76	4.12	81	2.27
4-एमओपी	1.50	1.03	69	0.82	29	0.64
योग :-	43.80	25.45	58	18.85	56	12.06

2-उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 05-12-06 तक लक्ष्य 43.80 लाख मी0टन के सापेक्ष 25.45 लाख मी0 टन अर्थात 58 प्रतिशत उर्वरक उपलब्ध थे और उपलब्ध उर्वरकों में से मात्र 18.85 लाख मी0 टन उर्वरक वितरित हुए थे। गत वर्ष इसी अवधि मे 21.75 लाख मी0 टन उर्वरक उपलब्ध थे और 12.06 लाख मी0 टन उर्वरक वितरित हुए थे। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दिनांक 05-12-06 तक 3.70 लाख मी0 टन अधिक उर्वरक उपलब्ध हैं और 6.79 लाख मी0 टन अधिक उर्वरक वितरित हुए थे।

3-जहां तक डी0ए0पी0 का प्रश्न है, अवगत कराना है कि रबी 2006-07 में कुल 10.50 लाख मी0 टन डी0ए0पी0 के वितरण का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष दिनांक 05-12-06 तक 7.78 लाख मी0 टन डी0ए0पी0 की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है जो लक्ष्य का 74 प्रतिशत है। उपलब्ध डी0ए0पी0 में से उक्त तिथि तक 6.55 लाख मी0 टन डी0ए0पी0 वितरित की जा चुकी है। गत वर्ष इसी तिथि तक 6.64 लाख मी0 टन डी0ए0पी0 उपलब्ध थी जिसके सापेक्ष 4.60 लाख मी0 टन डी0ए0पी0 वितरित किया गय. था। इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 1.14 लाख मी0 टन अधिक डी0ए0पी0 उपलब्ध है और 1.95 लाख मी0 टन अधिक डी0ए0पी0 का वितरण हुआ है।

4-सहारनपुर मण्डल में 88 प्रतिशत, मेरठ में 102 प्रतिशत, आगरा में 85 प्रतिशत, बरेली में 70 प्रतिशत, मुरादाबाद में 129 प्रतिशत, कानपुर में 75 प्रतिशत, इलाहाबाद में 72 प्रतिशत, झांसी में 107 प्रतिशत, चित्रकूट धाम में 100 प्रतिशत, वाराणसी में 95 प्रतिशत, मीरजापुर में 93 प्रतिशत, आजमगढ़ में 82 प्रतिशत, गोरखपुर में 68 प्रतिशत, बस्ती में 36 प्रतिशत, देवीपाटन में 39 प्रतिशत, लखनऊ में 53 प्रतिशत और फैजाबाद में 43 प्रतिशत डी0ए0पी0 की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।

5-डी0ए0पी0 के विकल्प के रूप में ही एन0पी0के0 उर्वरक का उपयोग कृषकों द्वारा किया जाता है। इस क्रम में यह अवगत कराना है कि एन0के0पी0 के इस वर्ष 6.30 लाख मी0 टन वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष दिनांक 05 दिसम्बर, 06 तक 4.81 लाख मी0टन एन0पी0के0 की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है जो लक्ष्य का 76 प्रतिशत है। गत वर्ष इसी अवधि तक 3.46 लाख मी0टन एन0पी0के0 उपलब्ध था और 2.27 लाख मी0टन एन0पी0के0 का वितरण हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 तक 1.35 लाख मी0 टन अधिक एन0पी0के0 उपलब्ध है और 1.85 लाख मी0टन अधिक एन0पी0के0 का वितरण किया गया हैं।

6-सहारनपुर मण्डल में 70 प्रतिशत, मेरट में 70 प्रतिशत, आगरा में 69 प्रतिशत, बरेली में 71 प्रतिशत, मुरादाबाद में 73 प्रतिशत, कानपुर में 104 प्रतिशत, इलाहाबाद में 101 प्रतिशत, झांसी में 53 प्रतिशत, चित्रकूटधाम में 126 प्रतिशत, वाराणसी में 81 प्रतिशत, मीरजापुर में 69 प्रतिशत, आजमगढ़ में 67 प्रतिशत, गोरखपुर में 65 प्रतिशत, बस्ती में 113 प्रतिशत, देवीपाटन में 52 प्रतिशत, लखनऊ में 75 प्रतिशत और फैजाबाद में 85 प्रतिशत एन0पी0के0 की उपलब्धता दिनांक 05-12-06 तक सुनिश्चित कर ली गयी है।

7-उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की शासन स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ सचिव, सहकारिता विभाग, निबंधक, सहकारी समितियां और प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एफ0 भी रहते हैं और यदि कोई अन्तर्विभागीय समस्या आती है तो उसका समाधान तत्काल कर लिया जाता है। प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को बार-बार यह निर्देश दिये गये हैं कि वे दैनिक आधार पर उर्वरकों की व्यवस्था/वितरण की समीक्षा करें और जहां कहीं भी सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं वहां प्रत्येक न्याय पंचायत में एक या दो फ्रेंचाइजी नियुक्त कर उर्वरकों का सर्वत्र समान वितरण निर्धारित दर पर सुनिश्चित करायें तथा उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर कृषि/राजस्व/सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाय ताकि उर्वरकों की कालाबाजारी न हो सके। जिलाधिकारियों द्वारा शासन के उक्त निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो रही है।

8-जनपद स्तर पर उर्वरक व्यवसायियों के गोदामों/प्रतिष्ठानों आदि पर जिलाधिकारियों द्वारा छापे डाले जा रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। इस वर्ष दिनांक 30 नवम्बर, 2006 तक प्रदेश में 21693 छापे मारे गये, 8823 नमूनें गृहीत किये गये, 7596 नमूनें विश्लेषित हुये, 448 नमूनें अमानक पाये गये। अमानक पाये गये नमूनों में से 244 व्यवसायियों के विक्रय प्रमाण पत्र निलंबित कर दिये गये, 396 के लाइसेंस निरस्त कर दिये गये, 225 व्यवसायियों को सचेत कर दिया गया, 45 के व्यापार प्रतिबंधित कर दिये गये, 41 उर्वरक प्रतिष्ठान सील कर दिये गये, 29 के विरुद्ध धारा-3/7 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी और 10 व्यवसायियों को जेल भेजा गया। 13.56 मी0टन उर्वरक स्टाफ अनियमित बिक्री के सन्देह पर रोका गया।

9-उर्वरकों की कालाबाजारी न हो सके, इसके लिये भारत-नेपाल सीमा के 10 कि0मी0 क्षेत्र के अन्तर्गत उर्वरकों का लाइसेंस दिये जाने एवं उसके नवीनीकरण पर 31 दिसम्बर, 2003 को ही प्रतिबंधित कर दिया गया था और उक्त व्यवस्था आज भी लागू है।

उक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश में सभी रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और प्रदेश के किसी भी जनपद में उर्वरकों की कमी नही है।]

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में जनता की मांग पर रुपये 10 करोड़ की सड़कों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख है कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर अन्तर्गत 18 अगस्त, 2004 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता की मांग पर रुपये 10 करोड़ की सड़के बनायी जायेंगी। मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह भी उल्लेख है कि उक्त घोषणा का आशय नवीन सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में है, जिसका प्रस्ताव उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद जोन को दिया गया है। प्रस्तावानुसार दिनांक 28-2-2005 को उपरोक्त घोषणा के अनुपालन में प्राक्कलन सहित सभी सड़कों के प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्राप्त कराया जा चुका है। इसके बाद भी अभी तक सड़कों की स्वीकृति नहीं जारी की गयी है तथा चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के नाम पर स्वीकृत सड़कों की घोषणा में शामिल कर दिया गया है जिसके कारण मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा का अनुपालन नहीं हो पाया है। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नवीन मार्गों की स्वीकृतियां न की जाने से क्षेत्रीय जन मानस में आक्रोश है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा में यह कहा गया है कि "मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में जनता की मांग पर रुपये 10 करोड़ की सड़कें स्वीकृत की जायेगी"। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में अब तक विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में लोक निर्माण विभाग की आदर्श जनपद योजना, त्वरित आर्थिक विकास योजना एवं पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत सड़कों के नवनिर्माण हेतु रु0 1702.71 लाख तथा राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 1397.01 लाख की धनराशि अर्थात कुल रु0 3099.72 लाख की स्वीकृति की गयी है, जिसका योजनावार विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	योजना का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	लम्बाई (किमी0 में)	लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1	आदर्श जनपद योजना	3	12.55	202.12

1	2	3	4	5
2	त्वरित आर्थिक विकास योजना	4	17.90	248.96
3	पूर्वांचल विकास निधि	7	31.80	491.75
4	अनुदान सं0-83 एस0सी0पी0	24	35.68	539.28
5	आर0आई0डी0एफ0-10	15	14.57	220.60
	योग-	53	112.50	1702.71
6	राज्य सड़क निधि	3	43.50	1397.01
	महायोग-	56	156.00	3099.72

इसके अतिरिक्त मार्गों के मरम्मत/विशेष मरम्मत के कार्यों की अलग से स्वीकृतियां दी गयी है।]

जनपद मऊ में वर्ष 2005 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्या धन न दिए जाने के सम्बन्ध में डा0 यशवन्त सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[मैं आपका ध्यान सदन के माध्यम से जनपद मऊ में वर्ष 2005 में इण्टर मीडिएट उत्तीर्ण करीब 50 उन छात्राओं जिन्हें कन्या विद्या धन की धनराशि सम्बन्धित लेखपाल कानूनगो एवं तहसीलदार की आय रिपोर्ट के आधार पर मिलना चाहिये थे, परन्तु तहसील के बाबूओं के लिपिकीय त्रुटि के कारण नहीं दिया गया है। ज्ञात हो कि जनपद स्तर पर जिन लगभग 50 लाभार्थियों को कन्या विद्या धन के लाभ से वंचित रखा गया है उनके सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो एवं तहसीलदार ने जो आय प्रमाण पत्र संस्तुति किया उस आधार पर वे कन्या विद्या धन के लाभ के पात्र हैं परन्तु जब तहसीलदार द्वारा आय रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक के भेजने हेतु तहसील के बाबुओं ने तैयार किया तो लिपिकीय त्रुटि के चलते 18000/- की जगह 98000/- कर दिया। इसी प्रकार की गल्तियों के कारण लगभग 50 लाभार्थियों को कन्या विद्या धन के लाभ से वंचित कर दिया गया है। जिससे वास्तविक वंचित लाभार्थियों में भारी रोष है।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि जिला प्रशासन से रिपोर्ट मंगा कर अपने स्तर से प्रयास कर वास्तविक वंचित लाभार्थियों को कन्या विद्या धन की राशि दिलाने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

उपरोक्त प्रकरण में जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक से करायी जा रही है तथा यह निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक प्रकरण के समस्त अभिलेखों की जांच करके आख्या दें। जांच आख्या प्राप्त होने पर अर्ह बालिकाओं को कन्या विद्या धन की धनराशि स्वीकृत कर दी जायेगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रायबरेली के डलमऊ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क कार्य हेतु धन अवमुक्त होने के बाद भी कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-25 पर वक्तव्य नहीं आया है इसलिए इसको स्थगित करते हैं।

जौनपुर के विकास खण्ड धरमापुर एवं सरकोनी के किसानों हेतु धान खरीद केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[1] श्री जगदीश नारायण राय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा गया है कि जनपद जौनपुर में धान की फसल प्रमुख रूप से उगायी जाती है। सरकार द्वारा इसको खरीदने हेतु क्रय केन्द्र जनपद में खुले हैं, परन्तु विकास खण्ड धर्मापुर एवं सरकोनी के किसानों हेतु कोई सेन्टर निर्धरित नहीं किया गया है। जिससे दोनों ब्लाकों के किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे किसानों में काफी असन्तोष है।

प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत भारत सकरार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2006-07 के लिए जनपदों में क्रय केन्द्रों के निर्धारण हेतु यह निर्देश दिये गये हैं कि जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान की आवक की स्थिति का आंकलन जिलाधिकार द्वारा किया जायेगा तथा जिलाधिकारियों द्वारा नामित क्रय एजेन्सियों के मध्य क्रय केन्द्र खोलने हेतु एजेन्सी के पास पर्याप्त स्टाफ तथा उस क्रय केन्द्र पर विगत वर्ष धान की खरीद की मात्रा का आंकलन करते हुये कार्यवाही की जायेगी। क्रय केन्द्र के निर्धारण में यथावश्यक मा0 जनप्रतिनिधियों का परामर्श प्राप्त किया जायेगा। अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पाये जाने पर निर्णय मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें सम्बन्धित जिलाधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा क्रय संस्था के सम्भागीय अधिकारी समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि धर्मापुर तथा सिरकोनी ब्लाक में ही क्रमशः गौराबादशाहपुर तथा माधौपट्टी में पी0 सी0 एफ0 के धान खरीद केन्द्र जिलाधिकारी, जौनपुर के अनुमोदन के पश्चात खोले जा चुके हैं। धर्मापुर ब्लाक मुख्यालय से गौराबादशाहपुर खरीद केन्द्र की दूरी लगभग 5 किलोमीटर तथा सिरकोनी ब्लाक से माधौपट्टी खरीद केन्द्र की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है।

पिछले वर्ष विपणन शाखा के धर्मापुर केन्द्र पर 2572 कुन्टल तथा सिरकोनी केन्द्र पर 3262 कुन्टल धान की खरीद की गयी थी। विगत वर्ष कम धान की खरीद के कारण विपणन शाखा के उक्त दोनों केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं। यदि भविष्य में धान की आवक बढ़ती है तो

नोट :-[1] | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्धारित नीति के अनुसार मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से क्रय केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद फैजाबाद में विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के अतिरिक्त पहुंच मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[श्री रामचन्द्र यादव सदस्य, मा0 विधान सभा द्वारा दिनांक 4-12-06 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद फैजाबाद में विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अन्तर्गत त्वरित आर्थिक विकास योजना/नाबार्ड-10 के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के अतिरिक्त पहुंच मार्गों के निर्माण कार्य पूर्ण न होने से जन सामान्य को हो रही कठिनाईयों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अधूरे अतिरिक्त पहुंच मार्गों के निर्माण कार्य को तत्काल पूर्ण कराये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि क्षेत्रीय अधिकारियों से आख्या/प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही प्रकरण पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

प्रदेश के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रधानों की भांति प्रतिमाह मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[क्षेत्र पंचायत सदस्यों को क्षेत्र प्रमुख एवं प्रधानगणों की तरह ही अधिकार दिये जाने एवं भत्ता के रूप में 1000/- रु0 प्रतिमाह मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित, 1994 के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों को अलग से कोई वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार नहीं दिये गये हैं वरन् क्षेत्र पंचायतों को दिये गये अधिकार में ही सन्निहित हैं। क्षेत्र पंचायतों द्वारा समस्त विकास कार्य आदि क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार सम्पन्न कराये जाते हैं। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को रु0 3000/- प्रतिमाह की दर से तथा ग्राम पंचायत के प्रधानों को रु0 600/- प्रतिमाह की दर से मानदेय शासनादेश सं0-1113/33-2-06-34जी/01 टी0सी0-01, दिनांक 20-03-2006 द्वारा अनुमन्य है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों, चाहें वह निर्वाचित सदस्य हो अथवा पदेन सदस्य हो, को क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेने पर रु0 200/- प्रति बैठक प्रति सदस्य की दर से भत्ता उक्त शासनादेश दिनांक 20-03-2006 द्वारा अनुमन्य हैं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

। श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के माध्यम से यह अपेक्षा की गई है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए जिला योजना वर्ष 2004-05 में कुण्डाधाम ब्लाक पट्टी को रुपये 5.66 लाख, बेल्हादेवी मंदिर में जल एवं विद्युत व्यवस्था हेतु रुपये 2.68 लाख, मुजाही देवी के पर्यटन विकास हेतु रुपये 2.76 लाख, कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, विद्युत/यांत्रिक उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार महडौरा शिवमंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 2.96 लाख उत्तर प्रदेश जल निगम, सी0 एण्ड डी0एस0 यूनिट-10, इलाहाबाद एवं कल्याणी देवी मंदिर के लिए रुपये 2.54 लाख, ग्रामीण अभियंत्रण प्रखण्ड, प्रतापगढ़ को उपलब्ध कराया गया है। उपरोक्त में केवल कुण्डा धाम का प्रारम्भ कराया गया है, जिसकी गुणवत्ता बहुत खराब है। शेष कार्य भी तक शुरू नहीं कराये गये हैं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2005-06 में भी जिला योजना प्रतापगढ़ द्वारा अनुमोदित पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी मंदिरों का कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिससे जनभावनायें आहत हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला योजना वर्ष 2004-05 के अन्तर्गत कुण्डा धाम ब्लाक पट्टी को रु0 5.66 लाख एवं बेल्हा देवी मंदिर में जल एवं विद्युत व्यवस्था हेतु रु0 2.68 लाख, मुजाही देवी के पर्यटन विकास हेतु रु0 2.76 लाख सी0 एण्ड डी0 एस0, विद्युत यांत्रिक शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम के एवं महडौरा शिव मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 2.95 लाख उ0प्र0 जल निगम सी0 एण्ड डी0 एस0 यूनिट-10 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया गया। कल्याणी देवी मंदिर के लिये स्वीकृत धनराशि 2.54 लाख कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रतापगढ़ को अनुबन्ध निस्तारित न होने के कारण अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपरोक्त अवमुक्त की गई धनराशि से तत्काल कार्य प्रारम्भ कराने हेतु कार्यदायी संस्था एवं क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, इलाहाबाद को निर्देश दे दिये गये हैं, साथ ही कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनाये रखने हेतु भी कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ जनपद के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मंदिरों के पर्यटन विकास हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम के पक्ष में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रतापगढ़ द्वारा अनुबन्ध निष्पादित न होने के कारण अभी धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है। क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, इलाहाबाद एवं कार्यदायी संस्था को ततकाल अनुबन्ध निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है, कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के पक्ष में स्वीकृत धनराशि अनुबन्ध निष्पादित होने के पश्चात् तत्काल अवमुक्त की जायेगी। ।

नोट :- । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ-बलिया राजमार्ग पर रसड़ा से ग्राम सभा पहसा के बीच क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घूराराम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री जी का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के लखनऊ.....

श्री सुखदेव राजभर-

उत्तर पूरा नहीं आया है। अधूरा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बलिया मार्ग विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के पूर्वी ग्राम सभा रेखहा से विधान सभा पश्चिमी के ग्राम सभा पसहा तक लगभग 35 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क के पुनः निर्माण का अनुरोध किया हैं

इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद शहर की विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु 132 के0वी0 के पावर सब स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[इलाहाबाद नगर के उत्तरी क्षेत्र में सुचारु एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु एक नये 132 के0वी0 (2×20 एम0वी0ए0) उपकेन्द्र, तेलियरगंज, इलाहाबाद का निर्माण रक्षा विभाग की पुरानी चैथम लाइन स्थित 3.69 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित है। प्रश्नगत भूमि के आसपास छावनी क्षेत्र होने के कारण एवं अन्य उपलब्ध भूमि पर लाइन निर्माण हेतु "राइट आफ वे" की अनुपलब्धता के कारण उपरोक्त संदर्भित भूमि पर ही उपकेन्द्र बनाया जाना सम्भव पाया गया है।

2-उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने हेतु कारपोरेशन द्वारा भेजे गये अनुरोध पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रीमियम राशि रु0 2,63,71,500.00 तथा 30 वर्षों तक रु0 26,37,150.00 प्रतिवर्ष लीज रेन्ट भुगतान करने की शर्त पर देने की स्वीकृति प्रदान की है।

3-उपरोक्त अत्यधिक धनराशि की मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने रक्षा सम्पदा अधिकारी, कैन्टोन्मेन्ट बोर्ड लखनऊ से निवेदन किया है कि भूमि स्थानान्तरण के बजाय कम लीज रेन्ट लेते हुए जनहित में प्रश्नगत भूमि पर उपकेन्द्र बनाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाये। उनके संज्ञान में उत्तर प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास हेतु बनाये जाने वाले उपकेन्द्रों हेतु उ0 प्र0 सरकार द्वारा उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को ग्राम सभा की भूमि रु0 01/प्रति एकड़ के प्रतीकात्मक लीज रेन्ट पर देने की शासनादेश सं0-यू0ओ0-117/एक-1/2005-रा-1,दिनांक 11-11-2005 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति पर ध्यानाकर्षण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करते हुए जनहित में उपकेन्द्र की स्थापना के दृष्टिगत रक्षा सम्पदा अधिकारी से प्रतीकात्मक लीज रेन्ट के आधार पर भूमि पर उपकेन्द्र निर्माण कराये जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। रक्षा सम्पदा विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।]

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह 132 के0वी0 उपकेन्द्र बीसियों वर्षों से लम्बित है।

श्री अध्यक्ष-

इसको दिखवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मुझे सहानुभूति है कि यह बीसियों साल से लम्बित है। इसको आपने अपने कार्यकाल में नहीं देखा। मैं इसको दिखवा लूंगा।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 07 कि0मी0 सड़क योजना को पूर्ण किये जाने हेतु पूरी धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[7 कि0मी0 सड़क योजना को पूर्ण किये जाने हेतु पूरी धनराशि अवमुक्त किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नगत सूचना में मा0 सदस्यगण ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में की गयी 07-07 कि0मी0 मार्ग निर्माण की घोषणा के सन्दर्भ में यह कहा है कि लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खंडों को कार्यों की स्वीकृत लागत की केवल 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिससे इन कार्यों को पूरा कराना सम्भव नहीं है। अवशेष 85 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने, कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ कराते हुए गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण कराये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उक्त घोषणा के सन्दर्भ में विभिन्न जनपदों से मा0 विधान सभा/विधान परिषद् सदस्यगण के प्रस्तावों पर मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में आगणन एक साथ प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि क्रमिक रूप से समय-समय पर प्राप्त हुए हैं तथा अभी भी कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करते हुए इनकी स्वीकृतियां जारी करायी गयी हैं और अभी भी कई आगणन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

धनराशि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए प्रथम किस्त के रूप में 15 प्रतिशत धनराशि कार्य प्रारम्भ करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है। जिन खण्डों द्वारा स्वीकृत कार्यों के सम्पादन हेतु निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त गठित अनुबन्ध के अन्तर्गत इस धनराशि का उपयोग करते हुए दूसरी किस्त की मांग की गयी है, उस पर कार्यवाही की जा रही है और द्वितीय किस्त उन्हें नियमानुसार यथाशीघ्र उपलब्ध कराते हुए कार्य को गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराया जायेगा।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ विकास प्राधिकरण में रिक्त अभियन्ताओं के पदों को भरने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[मेरठ विकास प्राधिकरण में रिक्त अभियन्ताओं के पदों को भरने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05-12-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी है :--

मेरठ समुचित नियोजित विकास हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यरत है। लेकिन शासन के असहयोग तथा प्राधिकरण स्तर पर सुस्त रफ्तार के कारण यह अपने अर्थ को खोकर अप्रासंगिक हो गया है। प्राधिकरण में 4 अधिशासी अभियन्ता के स्थान पर मात्र एक कार्यरत है। जिसके कारण स्वेच्छाचारिता बढ़ रही है तथा कार्य प्रभावित हो रहा है। वर्ष 2006-07 हेतु 8318.44 लाख का बजट प्रावधान किया गया प्राप्ति पत्र में शमन मद से बजट में 4 करोड़ रुपये का अनुमान, 9 माह में मात्र 33 लाख अर्थात 8.25 प्रतिशत वसूली। सात माह में व्यय लगभग 650 लाख हुआ जो कि प्रावधान का लगभग आठ प्रतिशत अर्थात अगले पांच माह में 92 प्रतिशत व्यय करना होगा, क्या सम्भव है, नहीं, साथ ही जल्दबाजी में गुणवत्ता प्रभावित होगी। विकास मद में भी आमद 8-9 माह में मात्र 17.11 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि अधिशासी अभियन्ताओं की कमी के कारण शमन एवं विकास शुल्क की उचित प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तब मेरठ विकास प्राधिकरण की उपरोक्त कमी के कारण सांसद/विधायक निधि के कार्यों में कार्यदायी संस्था के अपने दायित्व का ठीक निर्वहन नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर मेरठ का विकास प्रभावित हो रहा है। तत्काल अधिशासी अभियन्ता के रिक्त 3 पद भरे जाने चाहिए।

2-इस सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण को वर्ष 2006-07 के बजट में विभिन्न मदों में रु0 290.51 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ, जिसके विरुद्ध दिनांक 30-11-2006 तक रु0 201.45 करोड़ का व्यय हुआ हैं इस प्रकार बजट प्राविधान के सापेक्ष 69.34 प्रतिशत धनराशि व्यय हुई हैं प्राधिकरण को दिनांक 30-11-2006 तक कुल रु0 202.61 करोड़ की प्राप्ति हुई है। विकास एवं निर्माण मद में 83.18 करोड़ के बजट प्राविधान के विरुद्ध रु0 7.68 करोड़ की धनराशि व्यय हुई है तथा रु0 15.00 करोड़ की धनराशि के विकास कार्यों के टेण्डर प्रक्रिया में हैं। ऋणों के भुगतान एवं कृषकों के प्रतिकर के भुगतान को प्राथमिकता दी गयी है ताकि प्रतिकर के भुगतान के उपरान्त मौके पर भौतिक कब्जा कृषकों से प्राधिकरण को मिल सके एवं विकास कार्यों में कृषकों द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न न किया जा सके। निविदा एवं टेण्डर की प्रक्रिया निष्पादित कराते हुए विकास मद में प्रस्तावित कार्यों पर गुणवत्ता के अनुरूप विकास कार्य तीव्र गति से कराये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। विकास कार्य पर प्रतिकर भुगतान तथा ऋण अदायगी से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। प्राधिकरण का बजट दिनांक 29 जून, 2006 को पारित हुआ। स्थानीय निकाय चुनाव के कारण भी निविदा आदि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की प्रक्रिया नहीं हो सकी। अतः लगभग 03 माह की अवधि में ही वास्तविक रूप से विकास का कार्य हुआ है शमन शुल्क एवं विकास शुल्क की उपलब्धि कम है। इस हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं का [illegible] निर्धारित किया गया है एवं उनकी सामयिक समीक्षा की जा रही है। दिनांक 30-11-2006 [illegible] विधायक निधि के अन्तर्गत कुल रु0 1.09 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जिसके विरुद्ध रु0 0.67 करोड़ के कार्य कराये जा चुके हैं तथा रु0 0.42 करोड़ की धनराशि के कार्य प्रगति पर हैं। विधायक निधि के कार्यों में कार्यदायी संस्था अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन कर रही है।

3-मेरठ विकास प्राधिकरण में 01 अधिशासी अभियन्ता, 13 सहायक अभियन्ता तथा 77 अवर अभियन्ता तैनात हैं। इस प्रकार मेरठ विकास प्राधिकरण में विभिन्न पदों पर पर्याप्त अभियन्ता तैनात हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण के लिये अधिशासी अभियन्ता के 02 पद निर्मित हैं। अधिशासी अभियन्ता के 01 रिक्त पद पर यथावश्यक तैनाती पर विचार किया जायेगा। |

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

विभाग की नोटशीट है सेक्रेट्री मेरठ विकास प्राधिकरण को लिखा है। कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, कितने प्रतिशत हुआ ? नौ माह बीत गये हैं उसके विपरीत उत्तर है।

श्री अध्यक्ष-

नियमों में लायें। गलत है तो फिर से दें।

श्री अध्यक्ष-

एक फैसला है 15 तारीख को सुना देंगे।

अब हम उठते हैं 15 तारीख को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 58 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 11 दिसम्बर, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

उ0 प्र0 पैक्सफेड निर्माण इकाई सुल्तानपुर द्वारा वर्ष 2004-05 में जनपद सुल्तानपुर में विधान सभा क्षेत्र सदर में कराये गये कार्यों की सूची

क्र0सं0	कार्य का विवरण एवं प्रकार	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3
1	तुलसी राम माया मिश्र के घर के दक्षिणी गली में द्वारिका प्रसाद के घर तक सी0सी0 रोड 300 मी0	कार्य पूर्ण
2	जिलाधिकारी आवास के बगल से गोवर्धन मीडिया के मकान तक सी0सी0 रोड 400 मी0	कार्य पूर्ण
3	होटल विजय डीलक्स लाल डिग्गी नगर सुल्तानपुर से गुरूचरण कौर पब्लिक स्कूल गेट तक सी0सी0 रोड 100 मी0	कार्य पूर्ण
4	गभड़िया फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे आचार्य देव नारायण मिश्र एवं श्री एम0 पी0 शुक्ल के मकान तक सी0सी0 रोड 210 मी0	कार्य पूर्ण
5	सम्पर्क मार्ग श्री अरविन्द पाण्डेय के मकान से विनोवापुरी में श्री विजय प्रकाश पाण्डेय के मकान तक मिट्टी व सोलिंग पुलिया निर्माण 700 मी0	कार्य पूर्ण
6	श्री अरविन्द दुबे विनोबापुरी के मकान से रमाशंकर पाण्डेय के घर तक सी0सी0 रोड व नाली 135 मी0	कार्य पूर्ण
7	होटल विजय डीलक्स से डा0 एम0पी0 सिंह के मकान होते हुए चतुर्वेदी के मकान तक सी0सी0 रोड 160 मी0 तक	कार्य पूर्ण
8	कड़ेवार गायत्री मन्दिर के सामने सरदार बल्देव सिंह कालोनी तक सी0सी0 रोड 65 मी0 टन	कार्य पूर्ण
9	शशि सिंह के घर से श्री अश्विनी दुबे के घर तक शुक्ला जी के मकान के सामने तक मिट्टी व सोलिंग कार्य 40 मी0	कार्य पूर्ण
10	गोपाल श्रीवास्तव के छात्रावास से श्री अश्विनी कुमार के घर तक (नाराणपुर) तक सोलिंग कार्य 70 मी0	कार्य पूर्ण
11	एन0एच0 56 पर लाहरामऊ के पहले से श्रीराम सिंह पूर्व सांसद के घर तक मिट्टी व सोलिंग 90 मी0	कार्य पूर्ण
12	कृषि मण्डी परिषद् अमहट से डा0 प्रदीप वर्मा के घर तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य 85 मी0	कार्य पूर्ण

1	2	3
13	गोपाल दास पुल के पास डा0 जय प्रकाश सिंह के क्लीनिक तक व वकील के घर तक सी0सी0 रोड 50 मी0	कार्य पूर्ण
14	वैश्य मेडिकल स्टोर से प्रेमचन्द्र गुप्ता के मकान तक दो कोड पेन्टिंग 300 मी0	कार्य पूर्ण
15	झूरी चाट वाले के घर के सामने नाले पर स्लैब निर्माण	कार्य पूर्ण
16	शास्त्री नगर एस0पी0 शुक्ला के मकान से श्री हरिचरण यादव पूर्व विधायक की गली के आगे उमाशंकर पाण्डेय के सामने होते हुए श्याम सुन्दर यादव के घर सी0सी0 रोड व नाली 244 मी0	कार्य पूर्ण
17	गभड़िया ओवर ब्रिज के नीचे पुलिया से आगे रामदेव मिश्र एडवोकेट की गली तक सी0सी0 रोड 100 मी0	कार्य पूर्ण
18	ओवर ब्रिज गभड़िया के नीचे सड़क के श्री गोकुल प्रसाद पाठक के घर तक सी0सी0 रोड 100 मी0	कार्य पूर्ण
19	बजरंग आटोमोबाइल पम्प त्यागीपुर के सामने से पहलवान पीरबाबा स्थल तक सी0सी0 रोड 130 मी0	कार्य पूर्ण
20	श्री चौबे जी (उदयशंकर) के मकान से गोमती नदी तक सी0सी0 रोड 100 मी0	कार्य पूर्ण
21	गुरूचरण पब्लिक स्कूल के उत्तर टाइनीटाइस स्कूल होते हुए गया प्रसाद के घर तक सी0सी0 रोड 100 मी0	कार्य पूर्ण
22	सुरेन्द्र पाण्डेय गुप्ता आटा चक्की के उत्तर से श्री दाम सिंह के मकान के पास नाली एवं सोलिंग कार्य 125 मी0	कार्य पूर्ण
23	गौरव हास्पिटल से श्री ओ0 एन0 सिंह के मकान तक नाली निर्माण 100 मी0	कार्य पूर्ण
24	दरियापुर कमल कोचिंग सेन्टर तक नाली व सी0सी0 रोड 100 मी0	कार्य पूर्ण
25	बलवन्ता मन्दिर के पास सार्वजनिक भूमि पर सार्वजनिक वाचनालय एक अदद	कार्य पूर्ण

सांसद निधि

26	पुलिस लाइन कैम्पस में स्टेज निर्माण (सुल्तानपुर)	कार्य पूर्ण
27	लोहरामऊ रोड पर नवीपुर धोबी के घर से अब्दुल वकी के घर तक सी0सी0 रोड व नाली 50 मी0	कार्य पूर्ण
28	शास्त्रीनगर गजाधर गुप्ता के घर से गौरीशंकर प्रजापति एवं एस0पी0 वर्मा के घर तक मिट्टी सोलिंग व नाली 250 मी0	कार्य पूर्ण
29	प्यारे पट्टी पौशाला से बाईपास तक दोनों तरफ नाले का निर्माण	कार्य प्रगति पर

विकास खण्ड-कुड़वार

1	2	3
30	दाउदपुर बदौलिया सम्पर्क मार्ग से रेलवे क्रासिंग के आगे देवीजी के मन्दिर तक मिट्टी व सोलिंग कार्य 150 मी0	कार्य पूर्ण
31	मन्झारी पूरब ग्राम सभा भड़रा पक्की सड़क से शिवसागर तिवारी के घर तक मिट्टी सोलिंग कार्य 300 मी0	कार्य पूर्ण
32	कुड़वार बाजार से कुड़वार जूनियर हाईस्कूल होते हुए नौगवां मार्ग तक नाली पेन्टिंग कार्य 200 मी0	कार्य पूर्ण
33	बंशा का पुरवा दिलीप तिवारी के घर के सामने एक अदद आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	कार्य पूर्ण

सांसद निधि

34	साउथ के ट्यूबवेल से राम अधीन के पुरवा होते हुए कब्रिस्तान तक 700 मी0	कार्य पूर्ण
35	अझुई सम्पर्क मार्ग से खपुरवा तक मिट्टी एवं खड़न्जा 800 मी0	कार्य प्रगति पर

विकास खण्ड-कुड़वार

36	बचनपुर सहकारी समिति कार्यालय (आई0एफ0एफ0टी0सी0) सरकौडा से गढ़ा आसन तक मिट्टी ब पुलिया निर्माण 500 मी0	कार्य पूर्ण
37	लखनपुर नहर की पटरी से इसरो का पुरवा महन्त तिवारी के घर तक मिट्टी सोलिंग कार्य 225 मी0	कार्य पूर्ण
38	ग्राम सभा पलिया सेक्टर रोड से श्री राजन दुबे के मकान तक मिट्टी व सोलिंग 125 मी0	कार्य प्रगति पर
39	धम्मौर धनिचरा मार्ग पर मामपुर के पास 900 एम0एम0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण एक मदद	कार्य पूर्ण
40	तिवारीपुर से रैमनपुर लल्लू पाण्डेय के घर तक मिट्टी व सोलिंग 450 मी0 (परिवर्तित परियोजना)	कार्य पूर्ण
41	खोचिला कन्या जू0हा0स्कूल से तालाब तक नाला निर्माण 180 मी0	कार्य पूर्ण
42	श्री युग ऋषि आश्रम बोरा बारिक अमहट के पास सार्वजनिक भूमि पर सार्वजनिक वाचनालय	कार्य पूर्ण

सांसद निधि

43	राजकीय यूनानी अस्पताल बन्धुवा कला का निर्माण कक्ष व बरामदा	कार्य पूर्ण
44	रामधनी के घर से महाजित चौराहा से वाहिद के घर तक सी0सी0 रोड 300 मी0	कार्य पूर्ण

पी0एस0यू0पी0-एल0 343 विधान सभा (585)-2-3-07-813 (कम्प्यूटर)।